वृद्ध व्यक्तियों का पारिवारिक सामन्जस्य – एक समाजशास्त्रीय अध्ययन : बुन्देलखण्ड संभाग के झाँसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय – झाँसी

की

समाज विज्ञान संकाय

में

समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत

डाक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध – प्रबन्ध

निर्देशिका

डॉ० गार्गी

पूर्व कुलपति बुन्देलखण्ड वि० वि०
झाँसी
प्राचार्या – आर्य कन्या महाविद्यालय
झाँसी

शोधार्थिनी
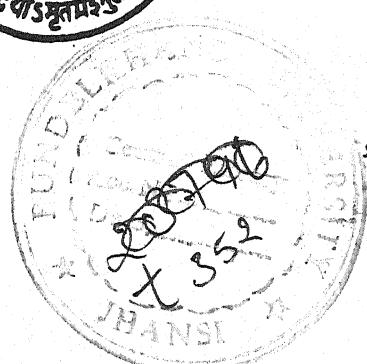
श्रीमती विजय लक्ष्मी पाठक

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय - झाँसी

1999

डा० गार्गी
भूतपूर्व कुलपति
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी – उ. प्र.
प्राचार्या
आर्य कन्या महाविद्यालय
झाँसी – उ. प्र.

फोन : (0517) 361229

दिनांक– 1/1/2001

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **श्रीमती विजय लक्ष्मी पाठक** ने समाज शास्त्र विषय में पी.–एच. डी. की उपाधि **(वृद्व व्यक्तियों का पारिवारिक सामन्जस्य एक समाजशास्त्रीय अध्ययन : बुन्देलखण्ड संभाग के झाँसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में)** हेतु मेरे निर्देशन में बु. वि. वि. के **पंत्राक बु. वि./एके./शोध/94/2942–44** दिनांक 28.04.1994 के द्वारा पंजीकृत हुई थी ।

श्रीमती पाठक मेरे निर्देशन में आर्डीनेन्स 6 द्वारा वांछित अवधि तक शोध केन्द्र में उपस्थित रहीं। इन्होनें शोध के सभी चरणों को अत्यन्त सन्तोषजनक रूप में परिश्रम पूर्वक सम्पन्न किया है ।

मैं इस शोध प्रबन्ध को समाजशास्त्र विषय में पी.–एच. डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत करने की संस्तुति करती हूँ ।

(डा० गार्गी)
शोध निर्देशिका

घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय–झाँसी के अन्तर्गत समाज शास्त्र विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध **''वृद्व व्यक्तियों का पारिवारिक सामन्जस्य एक समाजशास्त्रीय अध्ययनः बुन्देलखण्ड संभाग के झाँसी जनपद के विशेष संन्दर्भ में''** मेरा मौलिक कार्य है । मेरे अभिज्ञान से प्रस्तुत शोध का अल्पांश अथवा पूर्णांश किसी भी विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अथवा अन्य किसी भी उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

दिनांक – 1/6/99

विजय लक्ष्मी

(श्रीमती विजय लक्ष्मी पाठक)

शोधार्थिनी

आभार

मुझ जैसी अल्पज्ञ एवं अनुभवहीन शोधार्थिनी के लिए शोध जैसे गाम्भीर्य सारस्वत अनुष्ठान को पूर्ण कर पाना मेरी सामर्थ्य से परे था किन्तु मेरे लिए प्रणम्य एवं वन्दनीया तथा शोध विद्या में निष्णात डा० गार्गी जी, पूर्व कुलपति बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी एवं प्राचार्या आर्य कन्या महाविद्यालय, झाँसी की प्रज्ञा वेदी में मेरी अन्वेषणात्मक अध्यवसाय की साधना पूरी हुई। पूज्यनीया डा० गार्गी जी की मै सदैव ऋणी रहूँगी, जिनके सद्प्रयासों, प्रेरणा तथा प्रोत्साहन युक्त निर्देशन में यह शोध प्रबन्ध पूरा हो सका है।

परम श्रद्धेया डा० गार्गी जी मेरे लिए केवल शोध निर्देशिका ही नही अपितु ये मेरे मन मन्दिर में आराध्य देवी हैं जिनकी अनुशीलनात्मक आराधना करके मैने इस गवेषणात्मक आयोजन को पूरा किया है ऐसे में इनके शोध सहयोग के लिए "तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा" के रूप में अपनी अशेष श्रद्धा इनके श्री चरणों में उडेलती हूँ।

समाजशास्त्र जैसे परिवर्तनात्मक विषय के सशक्त हस्ताक्षर डा० जे० पी० नाग अध्यक्ष पं० जे०एन०कालेज, बाँदा के प्रति मै अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिनकी शुभकामनाओं एवं सहयोग से यह शोध यज्ञ पूरा हो सका हैं।डा० अरूण कुमार शुक्ला प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग आर्य कन्या महाविद्यालय झाँसी की भी आभारी हूँ जिन्होने शोध पथ का प्रारम्भिक पथ प्रदान किया तथा सतत् सहयोग प्रदान करते रहे।

डा० स्वामी प्रसाद प्रभारी समाजशास्त्र विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर के प्रति भी मै अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिनके सहयोग ने मेरी कलम की कोर को धार प्रदान की है।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी में अपनी अनुपम कार्यशैली के पर्याय श्री मती वर्मा जी की मै विनयावत हूँ जिन्होनें मेरे लिए इस दुरूह कार्य को पूरा करने में एक प्रेरक के रूप में कार्य किया। डा० डी० एन० मिश्रा, निदेशक, निर्मल हास्पिटल झाँसी, जो मेरे ज्येष्ठ भी है के प्रति श्रद्धावनत हूँ जिन्होने समय समय पर शोध सहयोग प्रदान किया।

श्री लालता प्रसाद पांचाल, कार्यालय अधीक्षक, आर्य कन्या महाविद्यालय झाँसी के प्रति भी मै विनयावत हूँ जिनका स्नेहिल स्नेह समय समय पर मुझे प्राप्त होता रहा है। पुस्तकों, सन्दर्भ ग्रन्थों एवं अन्य शोध परक सामग्री की सुविधा प्रदान कर श्रीमती रामदेवी, सहायक पुस्तकालयाध्यक्षा आर्य कन्या महाविद्यालय झाँसी ने मेरे प्रज्ञा पथ को निरापद किया।

मै अपनी पूज्यनीया सास श्री मती हीरावती पाठक तथा श्वसुर डा० भगवान दास पाठक के प्रति नतशीश हूँ। जिनकी वात्सलयमयी छाँव ने इस दुरूह लक्ष्य को प्राप्त करने में सकारात्मक भूमिका निभायी है।

मैं अपने सहचर के अभिन्न मित्र श्री सन्दीप सिंह वर्मा के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होने निराशा के क्षणों में आशा की एक ज्योति के दर्शन कराए और मै शोध पथ पर बढ सकी।

मैं अपने प्रणयी डा० एस०डी० पाठक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होने "गृह कारज नाना जंजाला" से मुक्त रखकर इस महत कार्य मे सहयोग दिया। मै अपनी सन्तति जिज्ञासा, श्रेया एवं प्रज्वल के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होने मातृत्व स्नेह के आकस्मिक अभाव को सहज रूप से व्यतीत कर लिया।

शोध कार्य के अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षणात्मक अनुदाय के लिए मै उन वृद्ध व्यक्तियों तथा उनके परिवारीजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिनके उपयोगी विचारो से यह प्रज्ञा प्रयोजन पूरा हो सका है।

शोध प्रबन्ध के टंकण, मुद्रण, रूप सज्जा तथा आवरण सज्जा के लिए श्री राजकिशोर खरे गार्गी ग्राफिक्स, हमीरपुर उ०प्र० भी बधाई के पात्र है जिनके योगदान से मेरा यह अभीष्ट पूरा हुआ। इन सबके अतिरिक्त मै उन सभी जाने अनजाने सुधी जनों की हृदय से अभारी हूँ जिन्होने मुझे यथा संभव मदद दी।

विजयलक्ष्मी

दिनांक :— 1/6/99

(श्रीमती विजय लक्ष्मी पाठक)
शोधार्थिनी

अनुक्रम

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश में
बुन्देलखण्ड
की स्थिति
कानपुर
इलाहाबाद
ललितपुर
झाँसी
जालौन
हमीरपुर, महोबा
बाँदा, चित्रकूट

सारिणी सूची

प्रस्तावना-1

प्रस्तावना

- जनसंख्यात्मक प्रवृत्ति
- वृद्धावस्था का आशय
- साहित्य का पुनरावलोकन
- शोध अध्ययन के उद्देश्य
- शोध अध्ययन की समाजशास्त्रीय उपयोगिता
- वृद्ध जनों की जनसंख्या
- जनसंख्या में वृद्ध जनों का प्रतिशत
- वृद्ध जनों की जनसंख्या वृद्धि के कारण
- पुरूष तथा महिलाओं के जीवन की प्रत्याशा
- नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की प्रत्याशा
- वृद्ध जनों की समस्याएं
- समस्याओं के निराकरण के उपाय

प्रस्तावना

युग तेजी से करवट बदल रहा है। परिणामतः जीवन मूल्यों में निरन्तर गिरावट आती जा रही है। भौतिक उन्नति वरदान से अधिक अभिशाप सिद्ध हो रही है । भारतीय संस्कृति के मूल आधार संयुक्त परिवार आज टूटते चले जा रहे है। जहाँ पर भी संयुक्त परिवार विद्यमान है वहाँ का वातावरण वृद्धों की मानसिकता एवं शारीरिक स्थिति के अनुकूल नहीं है। धनोपार्जन की तलाश और शहरी जीवन के मोह में आज की युवा पीढी प्रायः नगरो की ओर आकर्षित हो रही है , फलस्वरूप वृद्धों के प्रति उदासीनता बढ रही है , उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण ने वृद्धों एवं असमर्थों के लिए गहन समस्या उत्पन्न कर दी है ।

चिकित्सा पद्वति में उन्नति के साथ साथ औसत आयु के स्तर में वृद्धि हुई है परिणामतः वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है । भारतीय संस्कृति में वृद्व माता–पिता एवं परिवार में सभी वृद्धजनों को भगवान का पद दिया जाता है , किन्तु आज के प्रगतिशील युग में हर क्षण बदलते

सामाजिक परिवेश में नई पीढ़ी से ऐसी आशा करना ही दुराशा मात्र है। नई पीढी अपने पैरो पर खड़े होते ही वृद्ध जनों को अनुपयोगी और भार स्वरूप समझने लगती है। छोटी उम्र से ही उनके अनुशासन में रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। जिन वृद्ध माता – पिता के हाथों में आर्थिक संसाधन केन्द्रित है वहाँ निहित स्वार्थों के कारण वातावरण कुछ भिन्न है। इसके विपरीत जो माता–पिता सन्तान पर आश्रित है उनके प्रति श्रृद्वा सत्कार तो दूर की बात है प्रायः कर्त्तव्य की भावना भी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

उम्र बढोत्तरी एक प्राकृतिक एवं अनुलोम (पीछे न जाने वाली) जीवन पद्वति है।[1] इस तथ्य की वास्तविकता अक्सर भ्रामक होती है। बहुत से वृद्ध, जो वृद्धावस्था की ओर बढ रहे है , ऐसा दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित होते है , जो उम्र बढोत्तरी या वृद्धावस्था के क्रम को गतिशीलता प्रदान कर सकता है और बुजुर्ग या वृद्धों को हाशिए में डाल सकता है ।

वृद्धावस्था प्रायः थकान , कार्यशीलता में कमी , रोगों की प्रतिरोधक क्षमता के हृास से सम्बन्धित है ।[2] अक्षमताएं जो दैनिक जीवन के कार्य कलापों को दुर्बल बनाती है वृद्धावस्था में सामान्य हो जाती है। इनके चिन्ह रोग नहीं माने जाते है फिर भी ये संयुक्त रूप से वृद्धावस्था निर्मित करते है।

यद्यपि वृद्धावस्था विभिन्न आयामों वाली पद्वति है[3] ,वस्तुतः इसके कारण एवं परिणाम समझने के उद्देश्य से इस पर पडने वाले जैविक , सामाजिक , मनोवैज्ञानिक एवं जनांनकिकीय कारकों की चर्चा की जा सकती है ।

---

1 - Muttagi, P.K., - Aging Issues And Old Age Care (1997) New Delhi, P.No. 2
2 - Chowdhary, D. Paul, - Aging And The Aged (1992) New Delhi P. No. 10
3 - सिन्हा, सुमनरानी, - वृद्धजनों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (1998) इलाहाबाद, पृ. सं. 13

डेमोग्राफिक अर्थ में उम्र बढोत्तरी एक जैविक पद्वति है जो गतिमान एवं निरन्तरतां लिए होती है। काल कमिक उम्र जैविक और मनोवैज्ञानिक उम्र की नाप नहीं करती है।[1] वृद्धावस्था कब प्रारम्भ होती है उस उम्र को निश्चित नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक उद्देश्यों जैसे सेवानिवृत्ति का निश्चयकरण , पेंशन योग्य उम्र का निर्धारण तो होता है किन्तु इसका सम्बन्ध जैविक एवं मनोवैज्ञानिक उम्र से नहीं होता है। एक देश के श्रम बल वाली अधिक अवस्था की जनसंख्या का बडा हिस्सा एक आर्थिक बोझ का प्रतिनिधत्व करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने में यह बडी आवश्यकताएं उत्पन्न करता है , विशेषकर चिकित्सीय व सामाजिक क्षेत्र में उन लोगों के लिए जो वृद्धावस्था अथवा उम्र बढोत्तरी के कारण अक्षमताओं की दशाओं के कारण दुर्बल हो गए है।

वृद्धावस्था को समझने में दो तथ्य महत्वपूर्ण होते है जो परस्पर भिन्न होते हुए भी पारस्परिक रूप से सम्बन्धित होते है। वे है –

1– शारीरिक उम्र एवं

2– सामाजिक उम्र

शारीरिक उम्र एक व्यक्ति की जैविक दशाओं में परिवर्तन जैसे – बालों के रंग में परिवर्तन, दॉत गिरना, दृष्टि दोष उत्पन्न दोनो या कमजोर होना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं में ध्यानाकर्षण की स्थिति, शारीरिक व्याधियॉ या रोग आदि से सम्बन्धित है ।

दूसरा तथ्य सामाजिक उम्र बढोत्तरी जैसे सामाजिक सुरक्षा, किसी संगठित क्षेत्र में सेवा से निवृत्ति, डेमोग्राफिक वर्गीकरण, समाज और व्यक्ति पर इसके प्रभाव आदि से सम्बन्धित प्रशासनिक आधार पर निश्चित की जाती है।

---

1 - Muttagi, P.K. - Aging Issues And Old Age Care (1997) New Delhi, P.No. 5

उपर्युक्त दो तथ्य वृद्धावस्था को समझने के महत्वपूर्ण आधार है , फिर भी इन तथ्यों के आधार पर वृद्धावस्था को परिभाषित करना कठिन है। "किसी ने एक बार कहा था कि मेरे लिए बूढ़ी उम्र मुझसे पन्द्रह वर्ष अधिक है, अर्थात जो मेरी उम्र से पन्द्रह वर्ष बडा है, वह बूढ़ा है।"[1] यही कारण कि Tean Ager युवक युवतियां (13 से 19 वर्ष के मध्य) 30 वर्ष की उम्र वालों को बूढ़ा या बूढ़ी समझते है , जो 45 वर्ष की उम्र के है वे 60 वर्ष की उम्र वाले को बूढ़ा समझते हैं। यहॉ तक कि वृद्व लोग बमुश्किल महसूस करते है कि वे बूढे या वृद्व है । व्यावहारिक रूप से वृद्वावस्था का विभाजन करने वाली रेखा सेवानिवृत्ति की उम्र को माना जाता है , जो सेवानिवृत्त हो जाते है उन्हे वृद्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हें वृद्ध नागरिक के रूप में परिभाषित करता है जो 65 वर्ष की उम्र के ऊंपर है क्योंकि इस उम्र के बाद शारीरिक अगों की कार्य क्षमता में कमी आने लगती है अर्थात शारीरिक अक्षमता प्रकट होने लगती है।[2]

अधिकाशं पश्चिमी राष्ट्रों ने 65 वर्ष की उम्र को सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित किया है। जहॉ तक भारत का प्रश्न है, सेवानिवृत्ति की उम्र 55 वर्ष से 62 वर्ष के मध्य रखी गयी है।[3]

भारत में जनगणनात्मक तथ्यों के आधार पर 60 वर्ष की उम्र को वृद्वावस्था के रूप में वर्गीकृत किया है।[4]

---

1 - समाज कल्याण (दिल्ली) मासिक पत्रिका, कल्याण मंत्रालय के लेख से उद्धृत, पृ. सं. 17
2 - संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में प्रकाशित
3 - Chodhary, D. Paul, - Aging And The Aged (1992) New Delhi, P.No. 25

4 - भारत 1998, सूचना मंत्रालय, नई दिल्ली

प्रस्तुत शोध अध्ययन में 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो को वृद्ध मानते हुए अध्ययन के लिए चुना गया है। 55 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को पॉच आयु समूहों में (55–60, 60–65, 65–70, 70–75 तथा 75 वर्ष से अधिक) बॉटा गया है।

हम जानते है कि सेवानिवृत्ति की आयु, व्यवसाय, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संगठनों, शासकीय संस्थाओं आदि में भिन्न भिन्न होती है। सेवानिवृत्ति की आयु राजनीतिज्ञों पर लागू नहीं होती क्योंकि वे कभी भी सेवानिवृत्ति नहीं होते। 80 वर्ष की आयु में भी वे पॉच वर्षीय शासनकाल के लिए मंत्री पद के योग्य माने जाते है।[1] किन्तु यह शर्त किसी अन्य संगठन के कर्मी पर लागू नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी व्यक्ति होते है जो सक्रियता की स्थिति में होने के बावजूद भी निष्क्रिय होते है। सम्भवतः इसी कारण से जब वे सेवानिवृत्त होते है तब वे दूसरो की अपेक्षा अधिक वृद्ध होते है।

ऐसी स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि सेवानिवृत्ति व्यक्ति के वृद्ध होने की कसौटी होती है। यदि वह सेवानिवृत्ति नहीं होता है तो उसके कई कारण हो सकते है। उनमें से एक विभागीय आलेखो में गलत उम्र दर्शाना है जिससे वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के पश्चात् भी सेवारत रहता है।

इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वृद्ध या बुजुर्ग के लिए हमारी परिभाषा में विशिष्ट लक्षण की कमी होती है।

---

1 - जैन, डा0 पुखराज, – विश्व के प्रमुख संविधान (1996), आगरा, पृ. सं. – 30

वृद्धावस्था की किसी भी विवेचना में यह ध्यान आवश्यक है कि शारीरिक और मानसिक दोनो रूपों में उम्र वृद्धि की पद्वति में विस्तृत व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। उम्र वृद्धि कई ढंगों से प्रभावित होती है जिनमें कुछ पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। परिणामतः कुछ लोग 65 वर्ष की उम्र में भी औसतन 50 वर्ष की उम्र में ही अक्षम एवं मुरझाए हुए से प्रतीत होने लगते है।

वृद्वावस्था, सेवानिवृत्ति की आयु अथवा पेशन आयु की सामान्यतया पर्यायवाची मानी जाती है चूँकि सेवानिवृत्ति की आयु भी भिन्न भिन्न होती है अतः यह स्वीकार करना तर्क पूर्ण होगा कि व्यक्ति 60 वर्ष के बाद वृद्व हो जाता है।

जनसंख्यात्मक प्रवृत्ति

चिकित्सा विकास के कारण मृत्युदर की कमी और औसत जीवन के लम्बा होनेके परिणामस्वरूप वृद्व व्यक्तियों की संख्या में वृद्वि हो रही है ।

संयुक्त राष्ट् संध की रिपोर्ट के अनुसार वृद्व व्यक्तियों का अनुपात विश्व जनसंख्या के प्रतिशत के अनुरूप ठोस रूप में बढेगा। एक अध्ययन के अनुसार पूरे विश्व में 1950 के बाद व्यक्ति की औसत आयु में 20 वर्ष की वृद्वि हुई है। 1970 में 60 वर्ष से अधिक के लोगों की संख्या 30 करोड 40 लाख से अधिक थी। इस शताब्दी के अंत तक इनकी संख्या लगभग 60 करोड हो जाने की सम्भावना है।[1] जो उच्च्य प्रतिव्यक्ति आय के देशो में वर्ष 2000 तक 13 और इससे ऊपर होगा।

---

1 – मनोरमा वार्षिकी (1998), पृ. सं. 75

यह प्रतिशत सामान्य आय वर्ग वाले देशो में 10 होगा। जो वृद्व व्यक्तियों के उच्च अनुपात वाले राष्ट्रों के लिए गम्भीर समस्या होगी।

पिछले कुछ दशकों में बहुत से राष्ट्र वृद्व जनसंख्या की समस्या का सामना कर चुके हैं, कमोवेश अभी भी ये राष्ट्र वृद्वों की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है।

सामान्य जनसंख्या में वृद्व व्यक्तियों का अनुपात तीव्र गति से बढ रहा है। चिकित्सा के चहुँमुखी विकास ने मुत्यु दर कम किया है और जीवन लम्बा कर दिया है।

वृद्धावस्था का आशय

यह शाश्वत सत्य है कि वृद्धावस्था मानव जीवन की संध्या है जिसकी स्थिति देश दुनिया में डूबते हुए सूर्य के समान है और यह जीवन का अनिवार्य कम है जिसने भी मानव योनि में जन्म लिया है उसे देर सबेर वृद्धावस्था का शिकार होना ही पडता है। प्रश्न यह उठता है कि वृद्व कौन है और वृद्ध से क्या आशय है हालांकि आज तक इसके लिए कोई निश्चित आयु निर्धारित नहीं कि गयी है लेकिन आम तौर पर 60 वर्ष और उसके बाद के व्यक्ति को बुजुर्ग या वृद्व माना जाता है।[1] बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में मानव की औसत आयु में काफी वृद्वि हुई है जिसका प्रमुख कारण है –

---

1 - Srivastava, R.S., - Aged And The Society (1983), Delhi, P.No. 56

चिकित्सा जगत में अनेकानेक नए आविष्कार , स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूकता तथा विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न।

जहाँ तक वृद्ध की परिभाषित करने का प्रश्न है, तो शब्द कोष के अनुसार – वृद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है – वृद्धि से सम्पन्न, बुद्धि से युक्त, ठीक उसी प्रकार से जैसे शुद्ध का अर्थ होता हे शुद्धि से सम्पन्न और बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धि से सम्पन्न। यह बुद्धि आयु की कमी भी हो सकती है और विद्या , धर्म अथवा अनुभव की भी । इसलिए जिस व्यक्ति में आयु, विद्या धर्म अथवा अनुभव की वृद्धि हो वही वृद्ध है।[1]

वृद्धता का लक्षण मात्र आयु का ही अधिक हो जाना नहीं , बल्कि एक पूर्ण वृद्ध के परिवेश में आयु वृद्ध , ज्ञान वृद्ध और अनुभव वुद्ध , इन तीनों का ही संयोग होता है ।

अनादिकाल से अपनी विजय यात्रा पर निकला हुआ मानव ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, शिक्षा, संस्कृति और भाषा के जिन नए ध्रुवों पर अपना झण्डा फहराया आया है, समाज व्यवस्था राजनीति और अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित जिन वैज्ञानिक नियमों का आविष्कार करता आया है उन सबको आगामी पीढी तक सम्प्रेषण का कार्य मौलिक और लिखित दोनो ही रूपों में समाज के वृद्ध लोग ही करते रहे है । लाखों, करोडों वर्षो से संचित ज्ञान और अनुभव को भी उसी सहजता से वह अपने माता–पिता, बडे, बुजुर्गों एवं गुरूजनों से प्राप्त कर लेता है ।

युग के हर व्यक्ति को अपना अपना प्रयोग और अपना अपना आविष्कार नए सिरे से करना पडता तो हम आज भी जंगलों और पर्वतों की गुफाओं में रहकर वन्य जीवन बिताने

---

1 - समाज कल्याण मासिक ;1998द्ध – पूर्वोक्त – पृ. सं. 13

को बाध्य होते । आज शक्ति और सामर्थ्य के जिस उच्च शिखिर पर आरूढ़ होकर, हम गर्व का अनुभव करते है उस उँचाई तक हमें पहुँचाने का श्रेय हमारे वृद्व वर्ग को ही है ।[1]

साहित्य का पुनरावलोकन

वृद्वावस्था जैसी सामाजिक समस्या के सन्दर्भ में जो शोध परक सांख्यिकी एवं विवरणात्मक साहित्य उपलब्ध है उसका तुलनात्मक मूल्यांकन निर्दिष्ट करता है कि व्यापक या अधिक प्रतिशत के समाजशास्त्रीय शोध कार्य वर्तमान समस्या के सन्दर्भ में साहित्य में उपलब्ध नहीं है।

भारतवर्ष, कनाडा, अफ्रीका, तथा अन्य यूरोपीय देशों में वृद्व व्यक्तियों के सन्दर्भ में कुछ योजनाओं का कार्यान्वयन प्रस्तावित किया गया हे परन्तु आर्थिक संसाधनों की अनुपलब्धता में तत्सम्बंधित योजनाओं का संचालन नहीं हो सका । बर्तमान शताब्दी में जो साहित्य शोध कार्यो का उपलब्ध है उसमें विविधता है और कोई भी एक अध्ययन प्रस्तुत आशय का उपलब्ध नहीं है।

सामाजिक मूल्यों परिवर्तनों एवं व्यवहारों के नियोजन के लिए जो शोध अध्ययन प्रमुख रूप से प्रकाश में आए वे विशेष रूप से वर्णनात्मक है तथा इसमें **एदेल्शन आदि 1958 , आल्पोर्ट 1957 , एण्डरसन 1972 , वेकर एवं अन्य 1964 , ब्लेक 1961 , केरल 1950 , केटल आदि 1957 , चाइल्ड 1975 , चार्ल्स कूले 1981 तथा मेरडोनाल्ड 1970 आदि प्रमुख है।**

---

1 - शर्मा एवं डाक, एम. एल. ए टी. एम. –' भारत में वृद्धावस्था' (1987) – दिल्ली

प्रस्तुत शोध अध्ययनों का तुलनात्मक निष्कर्ष यह है कि सामाजिक विविधता के समीकरणों में वृद्व व्यक्तियों की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन नित्य प्रति होता जा रहा है और उनमें मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थायित्व की प्रवृत्ति विकसित हो रही है जिसका सामयिक निराकरण करने की महती आवश्यकता है और इस आवश्यकता की परिपूर्ति वर्तमान शोध अध्ययन के माध्यम से की जा सकती है ।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

श्रीमती यंग ने लिखा है – सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा कमबद्व पद्वतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा एवं उनमें पाए जाने वाले अनुक्रमों अन्तः सम्बन्धों की कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है ।[1]

सी0 ए0 मोसर – की मान्यता है कि सामाजिक शोध एक व्यवस्थित अनुंसधान है जिसका उद्देश्य सामाजिक धटनाओ या समस्याओं के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति है।[2]

इन अवधारणाओं के आधार पर शोध के उद्देश्यों को मोटे तौर पर भागों में विभाजित किया जा सकता है

1– सैद्वान्तिक अथवा ज्ञान सम्बधी उद्देश्य

2– व्यवहारिक एवं प्रयोगवादी उद्देश्य

---

1 - मुखर्जी, डा0 आर. एन. – सामाजिक शोध एवं सांख्यिकीय (1997) दिल्ली, पृ. सं. 2
2 - मुखर्जी, डा0 आर. एन. –पूर्वोक्त – पृ. सं. 34

नवीन तथ्यों के विषय में अनुसंधान कर तथा पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा कर सामाजिक धटनाओं के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान को गतिशील एवं प्रगतिशील बनाए रखना सामाजिक शोध का एक महत्वपुर्ण सैद्वान्तिक उद्देश्य है ।

सामाजिक शोध सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान का एक महत्वपूर्ण शोध है । वह ज्ञान हमे सामाजिक समस्याओं के हल करने एवं सामाजिक जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए अवश्यक योजना बनाने में मदद कर सकता है ।

जहाँ तक प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के उद्देश्य का प्रश्न है वह यह जानना है कि वृद्व व्यक्तियों का पारिवारिक सामंजस्य कैसा है **पी0 वी0 राममूर्ति ने उद्योगो में कार्यरत वृद्वों की समस्याओं का अध्ययन 1965 , किया है । बी0 राज ने अपने अध्ययन 1971 , में ग्रामीण सन्र्दभ में वृद्व व्यक्तियों की भूमिका का , एन0 के0 सिंघी ने 1970 में सेवानिवृत्ति व्यक्तियों की समस्याओं का अध्ययन किया है टी0 कृष्णन नायर ने 1980 ने ग्रामीण तमिलनाडु में वृद्व विषयक शोध कार्य , आर0 डी0 नायक ने 1970 बाम्बे में सेवानिवृत्ति व्यक्तियों के सन्दर्भ में के0 सी0 देसाई** ने भारत में वृद्वावस्था से सम्बन्धित शोध परक कार्य सम्पादित किए है।

एच0 एस0 भाटिया 1983 ने वृद्वावस्था और समाज के सन्दर्भ में शोध कार्य किए हैं।

डी0 पालॅ चौधरी Aging and aged तथा , पी0 के0 मुत्तगी ने Aging issues and old age care विषयक ग्रन्थ लिखे ।

किन्तु वृद्धावस्था तथा पारिवारिक सामंजस्य विषय से सम्बन्धित शोध कार्य अभी तक प्रकाश में नही आए विशेष कर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सन्दर्भ में ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में बुन्देलखण्ड प्रान्त के झॉसी जनपद के वृद्वों के पारिवारिक सांमजस्य का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है ।

आधुनिकता, ओद्योगीकरण तथा नगरीकरण की तीव्र प्रक्रिया, बदलते सामाजिक मूल्यों के अधड में शोधार्थिनी द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि कि बुन्देलखण्ड संभाग के झॉसी जनपद के वृद्ध व्यक्तियों के पारिवारिक सांमजस्य की स्थिति क्या है वस्तुतः शोध के निम्न लिखित उद्देश्य है –

1– बुन्देलखण्ड संभाग के झॉसी जनपद में वृद्ध व्यक्तियों के सामाजिक अस्तित्व

2– वृद्ध व्यक्तियों की आथिक निर्भरता तथा अभिलाषाएं

3– वृद्ध व्यक्तियों की राजनैतिक गतिविधियां तथा प्रभावशाली योगदान

4– वृद्ध व्यक्तियों का पारिवारिक सांमजस्य

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के उद्देश्य अन्तविर्षयी होगें जिसके अन्तर्गत समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, आर्थिक तंत्र तथा राजनैतिक किया विषयों पर पडने वाले प्रभावों का मिश्रित मूल्यांकन किया जा सकेगा ।

शोध अध्ययन की समाजशास्त्रीय उपयोगिता

संस्कृति , रंग एवं वर्ग को छोडकर सम्पूर्ण विश्व में व्यक्तियों में यदि कोई मौलिक समानता है तो वह है वृद्धावस्था। "वृद्धावस्था की यह पद्वति टूटना एवं कमजोरी से जुडी हुई है उम्र बढने के साथ ही लोगो में जैविक एवं शारीरिक परिवर्तन धटित होते है जो मानव शरीर के सभी भागो में पारिलक्षित होते है।"[1] यह परिवर्तन मानव की शारीरिक कियाओं को सम्पादित करने वाले अंग्रों – फेफडे , हदय के बाल्ब तन्त्रिका तंत्र , पाचन और उत्सर्जन प्रणाली में होते है । शरीर के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है, निद्रा की समस्या उत्पन्न हो जाती है बाल झड जाते है । इन्डोकाइन ग्रान्थियों की कार्यक्षमता कम हो जाती है ।

वृद्ध भावनात्मक और मानसिक समस्याओं के असन्तुलित विषय बन जाते है उम्र के साथ ही मनोवैज्ञानिक रोगो में वृद्धि होने लगती है ।[2]

जनसंख्या के बढते काल खण्डों में वृद्ध व्यक्ति भी प्रमुख होता है वे अतिजीवी और उत्तरजीवी होते है वे शक्ति के सामाजिक प्रदर्शन उत्तरदायित्व और नेतृत्व के बारे में , अपने समय के अनुभवों को हमें बहुत कुछ सिखाने की क्षमता रखते है । उन्होने ऐसी समस्याओं का

1- – पूर्वोक्त – पृ सं. 31
2- गुप्ता एवं शर्मा, एम. एल., डी. डी., –पूर्वोक्त– आगरा पृ. सं. 19

सामना किया है जो हमारे लिए अपरिचित रहती है और आगामी अर्द्व शाताब्दी की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर छायी रहती है ।

पश्चिमी देशों में पारिवारिक संरचना परिवर्तित हो रही है । धटनाये जो देश के अन्दर और दो देशो के मध्य , प्रवजन के कारण परिवार विस्तार से सम्बन्धित है, ने पारिवारिक जिम्मेदारियों और एकीकरण पर तनाव उत्पन्न किया है विशेष कर परिवार के वृद्व जनो के सन्दर्भ में ।

जैसे – जैसे उम्र बढ़ती है वृद्व को पराश्रय की आवश्यकता भी होती है । आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न और पर्याप्त संसाधनों एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है । सेवाओं का समझदारी पूर्ण होना , सहयोगात्मक और चिन्तापूर्ण होना आवश्यक होता है समाज के लिए यह आवश्यक होता है कि वह वृद्वों के प्रति वचनवद्वता और भावात्मक अभिव्यक्ति रखे ।[1] वचनवद्वता का सन्दर्भ वृद्व व्यक्ति के जीवन चक्र आवश्यकताओं की परिवर्तनशील प्रकृति, उत्तम वित्तीय सेवाओं से होता है। विकासशील राष्ट्र में हम उस स्तर पर पहुँच चुके है जब वृद्वों को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता । इस भावात्मक पक्ष को शक्तिशाली बनाने के साथ ही सैद्वान्तिक पक्ष खोजना आवश्यक है।

सभी वृद्वों में असमानता दृष्टव्य होती है उनके मध्य सामूहिक विभाजन परिलक्षित होता है । उन्हे काल क्रमिक क्रम के आधार पर एक साथ नहीं रखना चाहिए । बल्कि उम्र आवास पद्वति , लिंग, शिक्षा , व्यवसाय, स्वास्थ्य भौतिक आवश्यकता , कार्यक्षमता , पारिवारिक संरचना के आधार पर विभाजित करना चाहिए ।

1- Sati, P.M. - Retired And Aging People (1994) Delhi P.No. 31

यह आवश्यक पक्ष है क्योकि विभिन्न समूहों की समस्याएं और उलझने भिन्न भिन्न होती है।

उदाहरणार्थ परिवार चक्र का प्रभाव महिलाओं के लिए पुरूषों से अधिक कष्ट प्रद होता है क्योकि उनका सम्बन्ध वाह्य जगत से अधिक घरेलू क्रियाकलापों में अधिक होता है । विधवापन की स्थिति में परिवार में नारीत्व पर विपरीत प्रभाव डालती है क्योकि यह प्रस्थिति उन्हे पूरी तरह से बच्चों पर आश्रित कर देता है इससे न केवल भावनात्मक अभाव बल्कि परिवार में उनकी प्रस्थिति में भी गिरावट होती है ।[1]

आवश्यकताएं और समस्याएं एक वर्ग से दूसरे वर्ग की भिन्न होती है उन व्यक्तियों की आवयकताएं एवं समस्याएं , जिन्हे अपनी सेवाओं से अवकाश प्राप्त करना है, अवकाश प्राप्त नहीं करना है, भी भिन्न होती है अवकाश प्राप्त व्यक्ति की समस्याएं कठिन हो सकती है । उसी उम्र के अन्य व्यक्ति जो अपने कार्य या व्यापार में लगा है, उनकी समस्याएं पूरी तरह से भिन्न है ।[2] एक क्रियाशील व्यक्ति का परिवार व समाज में उसका स्तर भिन्न होता है वह आय के स्रोतों में कार्य करते हुए अधिकाशं समय में व्यस्त रहता है अवकाश प्राप्ति के पूर्व , व्यक्ति परिवार की देखभाल करने वाले समाज का लाभदायक व्यक्ति माना जाता है । किन्तु अवकाश प्राप्ति के बाद वही व्यक्ति एक प्रयोगहीन वृद्ध – व्यक्ति एवं कण्टक माना जाता है । स्वरोजगार व्यक्ति या गृहपत्नी के सन्दर्भ में परिवर्तन धीरे धीरे धटित हो सकते है । वह व्यक्ति अपने आप को संयोजित करने का पर्याप्त अवसर रखता है ।

---

1 - भाटिया, एच. एस. , – वृद्धावस्था और समाज (1983) उदयपुर, पृ. सं. 10
2 - देसाई, के. डी., – सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समस्याएं (1970) बाम्बे, पृ. सं. 5

वृद्धजनों की जनसंख्या

कुल जनसंख्या में वृद्वजनों की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण घटक है । यह ऐसा घटक है जिसकी अपनी निजी विशेषताएं और निजी समस्याएं है संयुक्त राष्ट् संघ ने 1983 में दुनिया के देशों के वृद्ध जनों की समस्याओं की ओर सचेत करते हुए योजनाएं बनाने का सुझाव दिया था, अब जब समस्या गंभीर हो रही है तब संयुक्त राष्ट् संघ ने वर्ष 1999 को वृद्व वर्ष के रूपमें मना कर वृद्धजनों की जनसंख्या की ओर दुनिया के देशों का ध्यान पुनः आकृष्ट किया है ।

विगत दशको से स्वास्थ्य सुविधाओ में वृद्धि गंभीर वीमारियों से बचने के लिए कारगर इलाज की खोज के फलस्वरूप मृत्यु दर में गिरावट आदि के कारण वृद्धजनों की जनसंख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही है । विश्व स्तर पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है जबकि 55 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों की जनसंख्या में 2.2 प्रतिशत की दर से वृद्वि हो रही है ।[1] भारत इसका अपवाद नहीं है । 1947 के भारत की जनसंख्या में 170 प्रतिशत की वृद्वि हुई है जबकि इस अवधि में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की जनसंख्या में 270 प्रतिशत की वृद्वि हुई है । अस्सी वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या की वृद्धि दर और भी अधिक है ।[2]

भारत ही नहीं, लगभग सभी विकासशील देशों मे वृद्वजनों की जनसंख्या बढ रही है । 1982 में रोजर्स ने भविष्यवाणी की थी कि आगामी कुछ ही दशकों में विकासशील देशों में वृद्धजनों की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी तथा 2025 तक में संसार के 70 प्रतिशत वृद्ध इन्हीं देशों में पाए जाएंगे ।

1- ड्रेमोग्राफी इण्डिया, अंक 23, पृ. सं. 108

2. जननांककीय शोध ईकाई, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता (1995)

वृद्धजनों की जनसंख्या

1901 में भारत में वृद्वजनों की कुल जनसंख्या 1 करोड 20 लाख थी जो 1991 में बढ कर 5 करोड 53 लाख हो गई है । सन् 2001 में इस जनसंख्या के 7 करोड 59 लाख हो जाने की उम्मीद है । संयुक्त राष्ट् संघ के अध्ययनों के अनुसार भारत में सन् 2030 में वृद्वजनों की कुल जनसंख्या 19 करोड 60 लाख हो जाएगी ।[1] स्वतंत्रता के बाद भारत में वृद्वजनों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् रहा है (सारणी संख्या) –1।

सारणी संख्या – 1.1

कुल जनसंख्या में वृद्धजनों का प्रतिशत

कुल जनसंख्या में वृद्धजनों का प्रतिशत						
वर्ष	पुरूष			महिला		
	60+	65+	70+	60+	65+	70+
1950	5.2	2.9	1.7	6.1	3.8	2.8
1960	5.5	3.3	1.7	5.8	3.5	1.9
1970	5.9	3.6	1.9	6.0	3.7	2.0
1980	6.4	4.0	2.2	6.6	4.1	2.3
1990	7.1	4.5	2.5	7.6	4.8	2.8
2000	8.0	3.5	3.0	8.9	5.9	3.4

स्त्रोत डेमोग्राफी इण्डिया अंक 23

1 - यू. एन. ओ. रिपोर्ट (1998)

वृद्धजनों की जनसंख्या में वृद्धि के कारण

वृद्वजनों की जनसंख्या में वृद्धि के निम्न कारण है –

मृत्यु - दर में कमी

विगत दशकों में मृत्यु दर में देशव्यापी गिरावट आई है फलस्वरूप वृद्धजनों की जनसंख्या में वृद्वि हुई है । भारत में 1901–11 में सकल मृत्यु दर 44.4 प्रति हजार थी जो 1951–60 में घट कर 22.8, 1961–70 में 19.2, 1971–80 में 15.0,1981–90में 11.9 तथा 1991–94 में 9.7 रह गई है । वृद्ध पुरूषों की जनसंख्या की मृत्यु दर में भी कमी आई है 1941–51 में यह 98.7 थी जो 1961–71 में घटकर 73.7 और 1984 में 67 रह गई है । इन वर्षों में वृद्ध महिलाओं की मृत्युदर कमशः 88.3, 72.5 और 58 रही है ।[1]

वृद्ध महिलाओं की मृत्यु दर वृद्ध पुरूषों की तुलना में सदैव कम रही है। कारण महिलाओं और पुरूषों की जीवन शैली में भिन्नता है । पुरूषों में धूमपान व तंबाकू खाने की खतरनाक आदत, मेहनतकश कार्यो में संलग्न रहना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किया कलापों में रूचि लेना, हदय रोग व कैसर जैसी बीमारियों से पीडित होना आदि के कारण महिलाओं की तुलना में मृत्यु दर अधिक पाई जाती है।

1- भारत (1998),

जीवन की प्रत्याशा में वृद्धि

मृत्यु दर में कमी के कारण जीवन जीने की प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। 1973 में एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की प्रत्याशा 49.7 वर्ष थी जो 1978 में बढ कर 52.1 वर्ष 1983 में 55.3 वर्ष 1988 में 57.8 वर्ष और इस समय 60 वर्ष के ऊपर है सामान्य व्यक्तियों की तरह वृद्ध व्यक्तियों की जीने की प्रत्याशा में वृद्धि हुई है । 1901—11 में 60 वर्ष से पुरूष की जीने की प्रत्याशा नौ वर्ष थी जो 1981—91 में 17.3 वर्ष हो गई है । इसी प्रकार 1901—11 में 60 वर्ष की वृद्ध महिला के जीने की प्रत्याशा 9.3 वर्ष थी जो 1981—91 में बढ कर 18 वर्ष हो गई है । 1991—2000 में वृद्ध पुरूष और वृद्ध महिला के जीने की प्रत्याशा क्रमशः 18.3 व 20.0 वर्ष होने का अनुमान है सारिणी संख्या – 1.2 कहने का तात्पर्य यह कि अगली सदी में एक वृद्ध पुरूष के 18 वर्ष और एक वृद्ध महिला के 20 वर्ष जीने की उम्मीद है ।

सारिणी संख्या – 1.2

पुरूष और महिलाओं के जीवन की प्रत्याशा

पुरूष और महिलाओं के जीवन की प्रत्याशा (वर्षों में)						
वर्ष	60+		65+		70+	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1901–11	9.0	9.3	7.3	7.6	5.8	6.0
1911–21	9.0	9.5	7.3	7.7	5.8	6.2
1921–31	9.3	9.9	7.5	8.0	6.0	6.4
1931–41	10.0	10.6	8.0	8.6	6.3	6.8
1941–51	10.9	11.4	8.8	9.2	6.8	7.3
1951–61	12.3	12.8	9.8	10.3	7.6	8.0
1961–71	14.0	14.3	11.1	11.5	8.6	8.9
1971–81	16.1	16.1	12.8	13.0	9.7	9.9
1981–91	17.3	18.0	13.7	14.5	10.4	11.0
1991–2000	18.3	20.0	14.6	15.9	11.1	12.1

स्त्रोत डेमोग्राफी इण्डिया, अंक 23

नगरीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सामान्य स्वास्थ्य रक्षा के प्रति जागरूकता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा वृद्ध व्यक्तियों केजीने की प्रत्याशा अधिक पाई जाती है ।

सारिणी संख्या – 1.3

नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की प्रत्याशा

नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की प्रत्याशा (वर्षों में)				
वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र		नगरीय क्षेत्र	
	60+	70+	60+	70+
1970–75	13.5	8.6	15.7	10.8
1976–80	14.7	10.2	16.2	11.0
1981–85	15.1	9.9	16.9	11.6
1986–89	16.1	11.1	16.8	11.4

स्त्रोत डेमोग्राफी इण्डिया, अंक 24

वृद्धजनों की समस्याएं

शारीरिक समस्या

वृद्धावस्था आते ही शरीर की इंद्रियॉ शिथिल होने लगती है। शरीर के तंतु सिकुडने लगते है । रक्तचाप बाधित होने लगता है शरीर कमजोर हो जाने से चलने फिरने में असमर्थता आने लगती है । वृद्वजनों की यह बहुत बडी समस्या है । एक अध्ययन के अनुसार 70 वर्ष आयु के वृद्व व्यक्ति के मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति 30 वर्ष वाले व्यक्ति की तुलना में 15

प्रतिशत कम होती है । वृद्धजनों की एक बहुत बडी समस्या है – आंखों से कम दिखाई पडना । वृद्व महिलाएं इस समस्या से वृद्व पुरूषों की तुलना में अधिक पीडित है । पूर्व के जीवन में महिलाओं की उपेक्षा, पौष्टिक खाद्य पदार्थो का कम या न मिलना ही इसके प्रमुख है। इस आयु में श्रवण इंद्रियां कमजोर पड जाती है तब इन्हें असहाय होकर संकेतों से काम लेना पडता है।

आर्थिक समस्या

आर्थिक समस्या आय से जुडी है चूकि इस अवस्था में कार्य करने की क्षमता कम पड जाती है । अतः दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पडता है उन वृद्वों की दशा अधिक दयनीय होती है जो या तो निःसन्तान होते हैं या अविवाहित होते है जमीन जायदाद के स्वतंत्र मालिक होते हुए भी शारीरिक दुर्बलता के साथ बहुत बडी त्रासदी है । कर्नाटक राज्य के चार जिलों के 745 वृद्वजनों के अध्ययन में पाया गया है कि 60 प्रतिशत वृद्वजनों व 30 प्रतिशत वृद्व महिलाओं के पास आय का अपना कोई स्रोत नहीं है । इसमें 92 प्रतिशत वृद्धजन पूरी तरह से अपने पुत्रों पर निर्भर है । महिलाओं में दो–तिहाई विधवाओं के पास और पुरूषों में 48 प्रतिशत विधुरों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है ।

स्वास्थ्य की समस्या

वृद्वजनों के सामने स्वास्थ्य का कमजोर होना भी बहुत बडी समस्या है । वृद्वजनों को नाना प्रकार की बीमारियां घेरे रहती है तथा समय से उनका इलाज भी नहीं होता । कर्नाटक राज्य के उपर्युक्त अध्ययन में पाया गया कि 20 प्रतिशत वृद्वजन लंबे समय से किसी न

किसी बीमारी से पीडित हैं । प्रमुख बीमारियां – अस्थमा, रक्तचाप, तपेदिक, हड्डी का दर्द, दृष्टि दोष और फालिस है । बीमारो में 44 प्रतिशत गत पांच वर्षों से किसी न किसी बीमारी से पीडित पाए गए ।

सामाजिक समस्या

पहले संयुक्त परिवार अधिक होते थे जिनका मुखिया परिवार का सबसे अधिक सयाना व्यक्ति होता था । सयाने की ही हुकूमत चलती थी । वह परिवार कि हर सदस्य की सुख सुविधा का ध्यान रखता था । परिवार के सदस्य भी सयाने की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे । सयानों को कम से कम कठिनाइयों से गुजरना पडता था । आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं । सयानों की अहमियत कम होती जा रही है । आज की युवा पीढी में परिवार की परिधि में मात्र पति पत्नी और बच्चों को सम्मिलित करने की प्रवृत्ति बढ रही है । वृद्वजन परिवार से अलग थलग होते जा रहे है । ऐसी स्थिति में वृद्वजनों के सामने सहारे की समस्या आना स्वाभाविक ही है अब वृद्वजनों को युवा पीढी की संकीर्ण मानसिकता के कारण वह सम्मान नहीं मिलता जो पहले कभी मिलता था ।

समस्याओं का निराकरण ?

अध्ययन बताते है कि भविष्य में वृद्वजनों की जनसंख्या में वृद्वि होनी है । इसे कोई रोक नहीं सकता । यदि उनकी समस्याओं के प्रति अभी से प्रयास न किए गए तो आगे समस्याएं जटिल से जटिलतर होती जाएगी । अतः उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कारगर कदम उठाना आज के समय की मांग है ।

आज हमारे सामने समाज व विकास का जो ढांचा खडा है उसे मूर्त रूप में देने में वृद्वजनों का अमूल्य योगदान रहा है अतः उनके प्रति कृतज्ञता के रूप में उनकी समस्याओं का निराकरण खोजना सरकार, समाज व परिवार की नैतिक जिम्मेदारी है। आज वृद्वजन भले ही शारीरिक अशक्तता के कारण अनुत्पादक सिद्व हो और कियाशील व्यक्तियों के ऊपर एक बोझ के रूप में हों पर वे आज भी महत्वपूर्ण है । माना कि उनका शरीर थक चुका है पर उनका मस्तिष्क तो परिपक्व है । उनका मस्तिष्क नाना प्रकार के अनुभव संजोए हुए हैं। उनके अनुभव समाज को विशेषतौर से युवा पीढी को एक रचनात्मक दिशा दे सकते हैं। वृद्वजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न स्तर पर प्रयास विचारणीय हो सकते हैं ।

शासन स्तर पर

आज कि स्थिति में वृद्वजनों के ऊपर बहुत कम अध्ययन हुए हैं अतः उनकी मूलभूत समस्याओं की जानकारी कम है । वृद्वजनों की समस्याएं उजागर करने के लिए शोध– अध्ययनों को सरकारी अनुदान पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । अध्ययनों के निष्कर्ष भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्व हो सकते है ।

वृद्वजनों को बुजर्गों संपदा मानते हुए उनके संरक्षण के उपाय किए जाने चाहिए। उन्हे निःशुल्क यातायात की सुविधा आदि दी जानी चाहिए । वर्तमान समय में गरीब वृद्वों को 750 रू0 वृद्ववस्था पेंशन दी जाती है जो पर्याप्त नहीं है । पेंशन का पुनर्निधारण किया जाना चाहिए तथा मंहगाई के अनुसार समय समय पर पेंशन पुनर्रीक्षित की जानी चाहिए । पेंशन हरेक वृद्वजन को दी

जानी चाहिए ताकि वे दूसरों पर पूरी तरह आश्रित न रहें साथ साथ परिवार में उनका महत्व भी बना रहें।

पेंशन का वितरण समय से हो और नियमित रूप से हो इलाहाबाद जिले के होलागढ ब्लाक के एक गांव के अध्ययन में पाया गया है कि 70 प्रतिशत वृद्ध लाभार्थी समय से पेंशन न मिलने के कारण परेशान है । पेंशन हेतु चयन, पेंशन वितरण आदि के मामले में भेदभाव की शिकायतें आज का विचारणीय प्रश्न है ।

समाज स्तर पर

हमारे वृद्धजन अपना शेष जीवन सुख पूर्वक बिताएं, इसकी जिम्मेदारी समाज को भी अपने ऊपर लेनी होगी । ग्राम सभा स्तर पर एक समिति बने जिसमें हर वर्ग के वृद्वजनों को सदस्य बनाया जाया जाना चाहिए। समिति यह देखे कि परिवार स्तर पर वृद्वजनों की क्या समस्याएं है ! फिर समस्याओं के निराकरण के उपाय किए जाने चाहिए । समिति पेंशन के प्रकारण में भी वृद्वजनों की सहायता विचारणीय प्रश्न है।

परिवार स्तर पर

हर परिवार का परम कर्त्तव्य है कि वह अपने वृद्वजनों की सुख–सुविधा का ध्यान रखें । परिवार के लिए वुद्वजन शरीर से अशक्त होते हुए भी सहायक हो सकते है । दरवाजे पर पडे रह कर वे घर की रखवाली करते हैं । वे परिवार के सदस्यों को, कौन सा कार्य कब करना है, इसका व्यावहारिक निर्देश देते रहते हैं । उनकी निगाह बच्चों पर भी रहती है यदि माता–पिता कहीं

अन्यत्र व्यस्त हैं तो बच्चे वृद्वजनों के संरक्षण में रहते है और वे नियंत्रित रहते है । वृद्वजन छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते है जो नैतिकता व अच्छी सीख वाली होती है । पारिवारिक व सामाजिक विवादों के मामलों में उनकी सलाह बडी व्यावहारिक होती है ।

वृद्वजनों के मेहनत से बनी व्यवस्था में हम सुखपूर्वक जी रहे हैं । अब हमारा कर्तव्य है कि कि हम उन्हें सुख पूर्वक जीवन जीने दें । वृद्वजनों को सुख सुविधाएं देना उनके प्रति दया दिखाना नहीं है । हमसे सुख–सुविधाएं पाना तो उनका अधिकार है । उनके इन अधिकार की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए ।

अध्याय–2

अध्ययन पद्धति

- अध्ययन क्षेत्र
- अध्ययन पद्धति
- न्यादर्श संकलन
- प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्य
- सारणीयन तथा विश्लेषण

अध्ययन पद्धति

पद्वति का तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसे कि एक वैज्ञानिक अपनी अध्ययन वस्तु के सम्बन्ध में तथ्ययुक्त निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग में लाता है। तथ्य युक्त निष्कर्ष निकालने का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। इसके लिए निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग परीक्षण तुलना तथा निष्कर्षीकरण के कठिन मार्ग को अपनाना पड़ता है। किसी भी शोध में अनुसंधान प्रकिया का विशेष महत्व होता है, अनुसंधान का महत्व इस बात में निहित होता है कि वे बौद्विक एवं व्यावहारिक दृष्टि से जिज्ञासा शान्त करने में सहायक हो सके। अनुसंधान एक ऐसी जटिल प्रकिया है जिसका आधार वैज्ञानिक पद्वति होता है।[1] कमबद्व अध्ययन विज्ञान की आत्मा होती है। वैज्ञानिक पद्वति में कमबद्वता को ही वरीयता दी जाती है। श्री मती पी0वी0 यंग ने वैज्ञानिक पद्वति के चार प्रमुख चरण बताए है।[2] (1) समस्या से सम्बन्धित उपकल्पना का निर्माण, (2) उपकल्पना परीक्षण के लिए तथ्यों का अवलोकन, (3) परीक्षण एवं लेखन हवीय तथ्यों का वर्गीकरण एवं (4) विश्लेषण से नियमों का सामान्यीकरण करना।

इस दृष्टि से अनुसंधान एक सुनियोजित प्रकिया है जो प्रायः पद्वति शास्त्र के रूप में जानी जाती है कुछ विद्वानों ने इसे विज्ञान के साथ ही विकसित प्रकिया माना है। कुछ

---

1 - मुखर्जी, आर. एन., समाजिक शोध एवं सांख्यिकी, दिल्ली, पृ. सं. 105–106
2 - गुप्ता एवं शर्मा एम. एल., डी. डी. समाजिक सर्वेक्षण शोध एवं सांख्यिकी, आगरा, पृ. सं. 15

विद्वान इसे स्वयं विज्ञान मानते है, उनका तर्क है कि पद्वति शास्त्र अविभाज्य होता है इसका खण्ड–खण्ड में विभाजन संभव नहीं है इसलिए यह स्वतः एक सम्पूर्ण विज्ञान है यह कारणता में विश्वास करता है। किसी घटना के घटित होने में निःसन्देह किसी कारण का होना निश्चित होता है इन्हीं कार्य कारण के विश्लेषण में पद्वति शास्त्र रूचि लेता है हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 1977 ने कहा है कि अनुसंधान चाहे जिस कोटि के हो उसके निम्नांकित सोपान होते है।

समस्या का चुनाव

↓

अनुसंधान विषय से संम्बधित वैज्ञानिक साहित्य का सवैदापर्ण

↓

अवधारणाओं का स्पष्टीकरण

↓

प्राकल्पना का निर्माण

↓

ऑकड़ों का संकलन

↓

ऑकड़ों का उपयोगीकरण

↓

ऑकड़ों का निर्वचन

↓

सामान्यीकरण

यह सभी सोपान पद्वति सोपान पद्वति शास्त्र के ही अंग है किसी शोध को सही परिप्रेक्ष्य में जॉचने एवं परीक्षण के लिए हमें पद्वति शास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है।

किसी शोध का प्रारम्भिक चरण समस्या का चयन है। समस्याओं में से समस्या का चयन स्वयं में समस्या होती है। इस सम्बन्ध में डा0 श्यामधर सिंह 1986 ने अपने अध्ययन में कहा है कि समस्याओं का चयन समस्या समाधान का आंरभिक बिन्दु स्पष्टः रूप से एक विशेष समस्या का समाधान बनता है। इस दृष्टि से समस्या का चयन ही शोध प्रारूप का निर्धारण करता है।

शोध प्रारूप के सम्बन्ध में ए0 एल0 एफाक का कथन है कि उद्देश्य की प्राप्ति के पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके शोध कार्य की जो रूप रेखा बना ली जाती है वही शोध प्रारूप है[1] इसे अनुसंधान प्रारूप या अनुसंधान का प्रायोजित प्रारूप कहा जाता है। समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को हम शोध के लिए नहीं चुन सकते है किसी घटना को अध्ययन हेतु तभी चुना जाता है जब उसका कोई बौद्विक अथवा व्यावहारिक उपयोग हो। समस्या के चयन में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वह किसी प्रकार के समाजशास्त्रीय सिद्वान्त से जुड़ी है? क्या वह सम्पूर्ण व्याप्त सिद्वान्त के किसी उपांग को प्रामाणित करने में सहायक है ? अथवा मध्य अभिसीमा सिद्वान्त की श्रृंखला में वृद्धि कर रहा है इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में समस्या का चयन समयोपयोगी होता है इस दृष्टि से प्रस्तुत समस्या वृद्ध व्यक्तियों का पारिवारिक सामन्जस्य जहॉ बृद्व व्यक्तियों के सामाजिक अस्तित्व का`ऑकलन करेगा वहीं वृद्धों की आर्थिक निर्भरता अभिलाषायें तथा पारिवारिक सामंजस्य का स्थिति का समीक्षात्मक मूल्याकंन करने में सहायक होगा ।

1- बोगार्डस, ई. एस. सोशियालॉजी पृ. सं. 43

अध्ययन क्षेत्र

लुण्डवर्ग ने लिखा है कि इससे बढ़कर अपव्ययी व निष्फल अथवा अनुभवहीन अनुसंधान कर्त्ता का लक्षण और कुछ नहीं हो सकता कि ऑकडों का उत्साहपूर्वक संकलन इस सिद्वान्त के आधार पर करना आरम्भ कर दिया जाए कि यदि केवल पर्याप्त तथा विभिन्न प्रकार के ऑकड़ों को एकत्रित कर लिया जाए तो उसके परिणामों के आधार पर किसी भी या समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है।ᵟ इसलिए ऑख बन्द करके सभी प्राकर के ऑकड़ों को एकत्रित करनेका प्रलोभन त्याग कर अध्ययन क्षेत्र को परिसीमित करना अति आवश्यक है।[1]

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लिए तथ्यों के संकलन हेतु उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के जनपद झॉसी का चयन किया गया है। यह जनपद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद जालौन, ललितपुर, हमीरपुर तथा महोबा से जुडा हुआ है। बुन्देलखण्ड के दो मण्डलों में से एक झॉसी राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही वायु मार्ग तथा ब्राडगेज रेल्वे से जुड़ा हुआ है। जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। [2]रानी लक्ष्मीबाई के साहस की गाथाएं सर्वविदित है। ऐसी गौरवशाली नगरी को शोध प्रबन्ध का अध्ययन क्षेत्र चुना गया है। अध्ययन क्षेत्र के 500 बृद्व व्यक्तियों का साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि के माध्यम से किया गया है। समय तथा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखकर क्षेत्र का चयन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र, वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त करने तथा उपकल्पनाओं के सत्यापन की दृष्टि से उचित है।

1- मुखर्जी, आर. एन. पूर्वोक्त पृ. सं. 21
2 - जनपद, गजेटियर, 1991

अध्ययन पद्धति

अध्ययन के निष्कर्ष हेतु तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार तथा गहन अवलोकन, दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं का साक्षात्कार करके, अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का व्यवस्थित संकलन किया गया है। साक्षात्कार माध्यम से प्राप्त जानकारी अपने आप में पर्याप्त नहीं थी अतः विभिन्न परिवारों की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं मनोवृत्तियों के साथ ही उनके सामाजिक परिवेश के यथार्थ ज्ञान के लिए अवलोकन प्रविधि का आश्रय लेना उचित प्रतीत हुआ है, शोधार्थिनी को अध्ययन क्षेत्र के परिवारों में अनेको बार जाना पड़ा है। अध्ययन हेतु चयनित परिवारों के भू स्वामित्व, कृषित भूमि, जनसंख्या, शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक संरचना, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार संसाधनों से सम्बन्धित ऑकड़ों को एकत्र कर उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक ऑकड़ों का संग्रह पूर्णतया क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित है जब कि द्वैतीयक ऑकड़ों के संग्रह में जनगणना पुस्तिका गजेटियर तथा अन्य उपलब्ध अभिलेखों का सहारा लिया गया है।

वृद्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी होने से तथा उनके कार्य के स्थान पर जाने से, सम्पर्क हो पाना आसान नहीं था अतः उनसे मिलने तथा सूचना संग्रहीत करने हेतु उनके पास पुनर्सम्पर्क स्थापित करना पड़ा ।

तथ्य संकलन के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ है कि मात्र वृद्ध व्यक्तियों से ही सूचना संकलित करना पर्याप्त नहीं है जब तक कि उन पारिवारिक सदस्यों से सूचना न प्राप्त की जाए जिनके साथ वृद्ध आवासित हैं अथवा वे जो वृद्धों को आश्रय दे रहे है। इसके लिए उन

सदस्यों से भी सूचनाएं संकलित की गई जिसके लिए अवलोकन प्रविधि का सहारा लिया गया। तथा इन सूचनाओं को दैनन्दिनी में कमवार अंकित किया गया। इस दैनन्दिनी में क्षेत्रीय लोंगो अथवा पड़ोसियों की प्रतिकियाओं को अंकित किया गया। शोध कार्य में यह दैनन्दिनी अत्यत्न महत्वपूर्ण प्रतीत हुई। वास्तव में वृद्वों के पारिवारिक सांमजस्य एवं परिवर्तनीय परिवेश की समग्र झांकी दैनन्दिनी में अंकित तथ्यों से प्राप्त हुई है वह साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त होना संभव नहीं थी।

अर्ध–सहभागी अवलोकन के कम में विभिन्न जाति एवं धर्म के वृद्वों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, शासकीय, अर्द्वशासकीय एवं अशासकीय के साथ ही बेरोजगार, रोजगार में अक्षम व्यक्ति से समय समय पर सम्पर्क कर गहन विचार किया गया।

उत्तर दाताओं से साक्षात्कार के समय भी अपेक्षित तथ्यों के संकलन के साथ ही सामाजिक जीवन, पारिवारिक संरचना के प्रति दृष्टिकोण, पारिवारिक विघटन के सामाजिक एवं वैयत्तिक कारणों की विस्तृत जानकारी निरन्तर प्राप्त की जाती रही। सामाजिक कार्यकर्ताओं, वृद्धाश्रम संचालित करने वाले प्रबन्धकों, समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों से सम्पर्क करने से सामाजिक वास्तविकताओं को समझने में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। कई बार चयनित परिवारों में जाने से उन परिवारों के सदस्यों के साथ मैत्री एवं सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गये जिससे उत्तर दाताओं से साक्षात्कार करने में शोधार्थिनी को काफी सुविधा हुई।

वृद्व व्यक्तियों के पारिवारिक सामंजस्य की स्थिति का अध्ययन करने हेतु तथ्यों को एकत्रित करने हेतु बनाई जाने वाली साक्षात्कार अनुसूची को अन्तिम रूप देने से पहले उसका, अध्ययन क्षेत्र के कुछ उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करके पूर्व परीक्षण किया गया। प्राथमिक

तथ्यों को संकलित करने के लिए प्रयुक्त अनुसूची में मुक्त प्रकार के विकल्पहीन तथा पूर्व निर्धारित विकल्प वाले दोनों प्रकार के प्रश्न आवश्यकतानुसार रखे गये हैं। तथ्यों के संकलनार्थ प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची को इस शोध प्रबन्ध में परिशिष्ट के रूप में दिया गया है।

न्यादर्श संकलन

किसी भी शोध में समग्र सामग्री के महत्व को कम करके नहीं ऑका जा सकता है वे शोध के अतरंग भाग है लेकिन साथ ही वे स्रोत भी समान रूप में महत्वपूर्ण है जहॉ से एक शोधार्थी समस्या के विश्वसनीय अध्ययन के लिए सूचनाएं संकलित करता है।[1] विश्वसनीय स्रोतो से संमको या न्यादर्श का संलकन शोधकर्त्ता के बोझ को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देना है। वास्तव में न्यादर्श संकलन शोध अध्ययन का महत्वपूर्ण चरण होता है। जिसमें अध्ययन विषय से सम्बन्धित न्यादर्श के संकलन हेतु गजेटियर, सामुदायिक विकास द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन, कल्याण मंत्रालय की पत्रिकाएं पंचवर्षीय योजनाओं की रिपोर्ट, जनगणना पुस्तिका का सहारा लिया गया है।

किसी भी शोध कार्य के लिए न्यादर्श का संकलन प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार निरीक्षण आदि पद्वतियों के माध्यम से किया जाता है। सही सूचना प्राप्त करने के लिए सूचनादाताओं से मेल मिलाप बढ़ाना आवश्यक हो जाता है ताकि वे किसी भी बात को न छिपाकर स्पष्ट एवं यथार्थ सूचनाएं देने के लिए तैयार हो जाएं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि न्यादर्श संकलन करते समय अध्ययनोपयोगी तथ्यों की उपेक्षा न हो। प्रस्तुत अध्ययन में मुख्य रूप से 500 वृद्ध व्यक्तियों का चयन जो कि एक अनुसंधान कर्त्ता या शोधार्थी अध्ययन क्षेत्र में जाकर विषय या समस्या से

---

1 - गुडे एवं हॉट, – मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च (1972), न्यूयार्क, पृ. सं. 362

सम्बन्धित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके या अनुसूची की सहायता से एकत्रित करता है अथवा अवलोकन के द्वारा प्राप्त करता है प्राथमिक तथ्य इस अर्थ में प्राथमिक होते है क्यों कि उन्हे शोधार्थी अपने अध्ययन उपकरणों की सहायता से प्रथम बार मौलिक यप से एकत्र करता है अथवा निरीक्षण करता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा अध्ययन विषय से सन्दर्भित विभिन्न आयु समूह के वृद्व व्यक्तियों के पारिवारिक सामंजस्य के अध्ययन के लिए, साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से, स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्राथमिक तथ्यों का सग्रह किया गया है शोधार्थिनी ने अनुसूची के प्रश्नों के उत्तर, उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये उत्तरों के आधार पर भरे है। प्राथमिक तथ्यों के सग्रंह के समय शोधार्थिनी द्वारा अवलोकन प्रविधि को भी अपनाया गया है। साक्षात्कार , शोधार्थिनी ने न्यादर्श संकलन हेतु किया गया है। जिनका साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। कुछ उत्तरदाता पारिवारिक दबाब एवं परनिर्भरता के कारण सन्तोष जनक उत्तर नहीं दे सके है। फिर भी उक्त समग्र से अधिकाशं उत्तरदाताओं ने अपेक्षित सहयोग प्रदान किया है।

साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त तथ्यों के वगीकरण एवं सारणीयन के समय 520 उत्तरदाताओं की भरी हुई अनुसूची में से 20 अनुसूचियों को कम कर दिया गया है जो अपूर्ण एवं अस्पष्ट थी। इस प्रकार 500 उत्तरदाताओं की अनुसूचियों के आधार पर सांख्यिकीय गणना की गयी है।

प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्य

वास्तविक सूचना या तथ्यों के बिना सामाजिक अनुंसधान या शोध वास्तव में एक अपंग प्राणी की भाँति है।[1] अनुसंधान या शोध की सफलता इसी बात पर निर्भर रहती है कि एक शोधार्थी अपने अध्ययन विषय के सम्बन्ध में कितने वास्तविक निर्भर योग्य सूचनाओं एवं तथ्यों को एकत्रित करने में सफल होता है।

सामाजिक शोध में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं या न्यादर्शो की आवश्यकता होती है। इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है –

1– प्राथमिक तथ्य

2– द्वैतीयक तथ्य

प्राथमिक तथ्य वे मौलिक ऑकड़े होते है जिन्हे निरीक्षण के शोधार्थिनी समय उन तथ्यों कोअपनी डायरी में अंकित किया जो इस शोध के लिए अत्यन्त उपयोगी थे इस शोध अध्ययन में जिन प्राथमिक तथ्यों का उपयोग किया गया है वे पूर्णतया प्राथमिक एवं मौलिक है जिनको एकत्रित करने के लिए शोधार्थिनी को चयनित वृद्वों से अनेको बार सम्पर्क करना पड़ा है ।

किसी भी शोध में प्राथमिक तथ्यों का जो महत्त्व होता है वह सर्वविदित है किन्तु द्वैतीयक तथ्यों के बिना शोध की वैज्ञानिकता प्रश्न चिन्हित हो जाती है, ये वे ऑकड़े या सूचनाएं होती है, जो शोधार्थी को प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेखों रिपोर्ट, सांख्यिकी, पाण्डुलिपि, पत्र डायरी, आदि से प्राप्त होते हैं।

1- मुखर्जी, आर. एन. – पूर्वोक्त – पृ. सं. 100

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में प्राथमिक तथ्यों के साथ ही द्वैतीयक स्रोतो से प्राप्त सूचनाओं का सहारा किया गया है। जनपद सांख्यिकी पत्रिका, गजेटियर जनगणना पुस्तिका के विभिन्न भाग, शोध पत्रिकाओं, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से प्रकाशित विभिन्न शोध प्रतिवेदनों एवं पत्रिकाओं, दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार पत्रों के शोध परक आलेखों से अध्ययनोपयोगी तथ्यों या सूचनाओं का उपयोग इस अध्ययन में किया गया है ।

सारणीयन तथा विश्लेषण

सर्वेक्षण कार्य के दौरान एकत्रित की हुई सामग्री प्रायः बड़ी मात्राओं में और विखरी हुई दशा में होती है। इनमें किसी प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, जो अनुपयोगी भी प्रतीत होती है, उन्हे उपयोगी बनाने के लिए तथ्यो को उनकी समानता, विभिन्नता या किसी अन्य आधार पर कुछ निश्चित श्रेणियों में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है।

जिस प्रकार एक मकान के निर्माण में पत्थरों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार शोध रूपी भवन के निर्माण में समंकों की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस प्रकार पत्थरों के ढ़ेर को मकान नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार से समंको के संकलन से ही शोध कार्य पूरा नहीं हो पाता ।

गुडे तथा हॉट के अनुसार जो अनुसंधानकर्त्ता शोध उपकल्पना से पूरे रूप से परिचित होता है उसे अपने संमकों के विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण में कोई कठिनाई नहीं होगी।[1]

गुडे एवं हाट तथा बाइकनर के कथनानुसार जो शोधार्थी समंकों के विश्लेषण एवं उसके प्रस्तुतिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है वह अपने शोध अध्ययन के सही निष्कर्ष को प्राप्त करने में सफल नहीं होगा, क्यों कि समंक या न्यादर्श मात्र कच्चे माल की तरह होते है ।

सारणीयन एवं विश्लेषण के द्वारा ही उन्हे व्यवस्थित रूप दिया जाता है, प्रस्तुत शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित संमकों का विश्लेषण करने के लिए अनुपातों, माध्यों, प्रतिशतों एवं अन्य सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान शोध में समंकों का विश्लेषण यथा स्थान पर प्रस्तुत किया गया है एवं संमकों को विभिन्न तालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

यह शोध प्रबन्ध की सबसे अन्तिम अवस्था है। शोध प्रबन्ध के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ही शोधकर्त्ता शोध से सम्बन्धित सभी संमकों एवं सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करते है। शोधार्थिनी द्वारा शोध प्रबन्ध के प्रस्तुतीकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया हैं क्यों कि यही सम्पूर्ण शोध की आत्मा है और उसका अन्तिम उद्देश्य भी ।

1– गुडे एवं हॉट – पूर्वोक्त – पृ. सं. 201

अध्याय–3

वृद्ध व्यक्तियों का सामाजिक स्वरूप

- जाति एवं धर्म
- शिक्षा
- वृद्ध व्यक्तियों की शैक्षणिक स्थिति
- विभिन्न जातियों की शैक्षणिक स्थिति
- पारिवारिक संरचना
- वृद्ध व्यक्तियों की पारिवारिक स्थिति

वृद्ध व्यक्तियों का सामाजिक स्वरूप

पूर्व अध्यायों में प्रस्तावना एवं अध्ययन पद्धति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। शोध प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में वृद्ध व्यक्तियों की जाति एवं धर्म, शिक्षा, शैक्षणिक स्थिति तथा विभिन्न जातियों में शैक्षणिक स्थिति का विवरण, पारिवारिक संरचना तथा वृद्ध व्यक्तियों के पारिवारिक स्वरूपों का तर्कपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

भारत अपनी भौगोलिक सीमाओं के अन्दर विभिन्न, भाषाओं, मूल्यों, और संस्कृति के विभिन्न वर्गों को समाए हुए है भारतीय समाज हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के साथ ही अन्य धार्मिक समूहों के अतिरिक्त विभिन्न जातीय समूहों में बटॉ हुआ है ।

देश के 80 प्रतिशत लोग गग्रमीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में आवासित है शेष 20 प्रतिशत लोग जिन्हे शहरी कहा जाता है, उनका अच्छा खासा हिस्सा गन्दगी एवं झोपड़ी वाले उपनगरीय भू–भाग में आवासित है ।

अधिकांश भारतीय निर्धनता एवं अशिक्षा जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। गग्रमीण एवं जनजातीय क्षेत्र के लोगो की आर्थिक कियाएं मुख्य रूप से कृषि, जंगली क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यवसाय एवं कौशल पूर्ण रोजगार से सम्बन्धित हैं ।

नि : सन्देह आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्य तथा विश्वास वृद्धों के प्रति दृष्टिकोण को प्रीाावित करते हैं इन सबमें आर्थिक तथ्य प्रभावपूर्ण एवं निर्णायक कारक होता है।

विभिन्न राष्ट्रों में वृद्ध व्यक्तियों का परिवार में सम्मान पूर्ण स्थान रहा है उन्हे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है वे समाज में उच्च सम्मान पाते रहे है। वृद्ध व्यक्ति विशेषकर दक्षिण एशियाई हिन्दू समाज में जो भारत एवं नेपाल में बहुतायत है विशिष्ट स्थान रखते हैं । बुजुर्गों या वृद्धों के सम्मान के कारण ही हिन्दू समाज ने मूल्यों, चारित्रिक पद्वति सामाजिक संगठन एवं अनुशासन जैसे साजाजिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण धटकों की खोज की है । सामाजिक व्यवस्था का यह आदर्श जो वृद्व व्यक्तियों के सामाजिक मूल्यों को परिचित कराता है प्रतिदिन के जीवन में सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अभिव्यक्त होता है ।

यह व्यवस्था हिन्दू समाज की नैतिक सामाजिक वर्णाश्रम व्यवस्था से अलग नहीं है। वृद्व व्यक्ति का ज्ञान और अनुभव हमारे हिन्दू धर्मशास्त्रों में व्यक्त होता है। वास्तव में विद्वता का सम्पूर्ण वैदिक वंशानुकम यंगों से गुरू शिष्य परम्परा के रूप में हस्तान्तारित होता आया है । वैदिक ऋषि और प्रथम काव्य वैदिक श्लोंकों के लेखक ऐसे व्यक्ति माने जाते है जो उम्र एवं वुद्वि के साथ विभूषित और चॉदी की तरह सफेद दाढ़ी की धारा से चित्रित किए गए है। उनमें से कुछ ऋषि दोहरे ज़न्म की जातियों के वंश कुल (गग्रेत्र व प्रवर) के संस्थापक पूर्वज माने जाते है जिनको वंशावली का निरन्तर सम्बन्ध स्थापित किया गया है ।

एक हिन्दू परिवार का मुखिया प्रतिदिन की पूजा के रूप में अपने पूर्वजों को नैवेद्य चढ़ाकर प्रसन्न होता है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है इस तरह से परम्परा एवं निरन्तरता की धारणा युग की पूजा और सम्मान के साथ गहरे से जुड़ी होती है । वृद्वावस्था एक घटना के रूप में सामाजिक एवं धार्मिक अवसरों के द्वारा चिहित है ।

भारत के गॉवों में गॉव के वृद्ध व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते रहे है । उम्र और सम्मान के आधार पर ग्रमीण विवादों विशेषकर जातिय संधर्ष, सम्पत्ति के विवाद जैसे मुद्दों के निर्णय हेतु ग्राम पंचायते गठित होती है ।

ये पंचायते सामाजिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। वृद्व व्यक्ति भारतीय सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है वृद्व व्यक्ति जो घर का मुखिया होता है उसके निर्णयों पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है वह सम्पत्ति का मालिक होता है, वह पारिवारिक गतिविधयों से सम्बन्धित निर्णय करता है, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला होता है । पारिवारिक सदस्यों की उम्र का ध्यान दिये बिना उन्हें एक छत के नीचे लाता है और मृत्यु तक उन्हे अपने अनुभवों के आधार पर मार्ग दर्शन देता रहता है और अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है । भारत जैसे राष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जीवन के अधिकाशं क्षेत्रों में उनकी संख्या के अनुपात से भी अधिक वृद्वों का प्रभाव होता है ।

भारतीय सामाजिक आदर्श और मूल्य वृद्व या वृद्व व्यक्तियों का ध्यान रखने एवं उनके सम्मान करने पर जोर डालते है । परिणाम स्वरूप परिवार के वृद्वों की चिन्ता परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है ।

जाति एवं धर्म

सामाजिक विभिन्नता तथा उनके साथ ही होने वाले समूहो तथा व्यक्तियों की प्रस्थिति का प्रथक्करण मानव समाज का एक विशाल लक्ष्य है । बहुसंख्यक समुदायों में यह प्रस्थिति व्यक्ति के उन क्षेत्रों के किए गए किया कलापों की उपलब्धता पर निर्भर करती है जिनकों वे समुदाय अधिक प्रदान करते है ऐसे किया कलापों का विस्तार किन्हीं प्रकार की अलौकिक अनुभूतियों की सामर्थ्य से लेकर धनोपार्जन की योग्यता तक फैला हुआ है । इस विभिन्नता के प्रत्यक्ष चिन्ह वेशभूषा, व्यवसाय तथा भोजन सम्बन्धी कुछ समूहों के विशेषाधिकार एवं दूसरों की असमर्थताएं है।

अन्य समुदायों में व्यक्ति की प्रस्थिति जन्म से निर्धारित होती है। भारतीय यूरोपियन भाषायें बोलने वाले लोग जन्म द्वारा प्रस्थिति के इस सिद्वान्त को अन्य लोगों की अपेक्षा और भी अधिक सीमा तक ले गये और ये न केवल समाज के मध्य विभिन्न समूहों की संख्या में ही अपितु उनके अधिकारों तथा असमर्थताओं में था। उन्होनें तो ऐसे आदेश दे दिये कि एक समूह का सदस्य अपने ही समूह में विवाह करेंगा । इस प्रकार यह देखा गया कि हिन्दू व्यवस्था इस विषय में एक मात्र ऐसी है जिसमें कुछ समूहों का स्पर्श्य रूप में तथा कुछ का अस्पर्श रूप में वर्गीकरण किया।

भारत में पुष्पित तथा पल्लवित होने वाली अनेक संस्कृतियों में से भारतीय आर्य संस्कृति के साहित्यिक अभिलेख न केवल सबसे प्राचनीनतम है अपितु उनमें उन कारकों का प्रथम उल्लेख तथा सतत् प्रवाहमान इतिहास उपलब्ध होता है जो जाति का निर्माण करते है।

भारतीय समाजिक संस्थाओं में जाति एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है तो भारत में जाति एवं वर्ण ।[1]

डा0 आर0 एन0 सक्सेना का मत है कि जाति हिन्दू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रहा है जिससे हिन्दुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। हिन्दुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन बिना जाति के विश्लेषण के अपूर्ण ही रहता है। [2]

श्रीमती इरावती कर्वे का भी मत है कि यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन नितान्त आवश्यक है।[3]

यही कारण है कि समय समय पर इतिहासकारों, भारतशास्त्रियों, जनगणना आयुक्तों समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों एवं अन्य देशी तथा विदेशी विद्वानों ने जाति प्रथा का अध्ययन किया और अपने अपने दृष्टिकोण प्रकट किए। भारत में जाति की व्यापकता एवं महत्व का स्पष्ट करते हुए प्रो0 डी0 एम0 मजूमदार लिखते है जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है । सामान्यतः भारत जातियों एवं सम्प्रदायों की परम्परात्मक स्थली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जाति यहॉ की हवा में धुली मिली है और यहॉ तक कि मुसलमान तथा ईसाई भी इससे अछूते नहीं बचे है।[4]

1- घुर्ये, जी. एस. – जातिवर्ग एवं व्यवसाय, पृ. सं. 31
2 - गुप्ता, एम. एल. तथा शर्मा डी. डी. – भारतीय समाजिक संस्थायें पृ. सं.
3 - कर्वे, इरावती – भारत में नातेदारी व्यवस्था , पृ. सं. 15
4 - मजूमदार, डी. एन. – भारतीय जनसंस्कृति , पृ. सं. 20

भारतीय समाज धर्म–प्राण समाज कहलाता रहा है, यहॉ धर्म को प्रत्येक क्षेत्र में महत्ता प्राप्त रही है। धर्म व्यक्ति, परिवार, समाज और सम्पूर्ण राष्ट् के जीवन को अगणित रूपों में प्रभावित करता रहा है। यहॉ भौतिक सुख प्राप्ति को जीवन का परमलक्ष्य न मानकर धर्मसंचय को प्रधानता दी गयी है। भारतीय समाज व्यवस्था मूलतः धर्म पर आधारित है। यहॉ धर्म के आधार पर जीवन के समस्त कार्यों की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है भारतीय समाज में व्यक्ति ज्ञान भक्ति अथवा कर्म के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप को समझाने का प्रयत्न करता रहा है।

डा0 राधाकृष्णन ने लिखा है– धर्म की अवधारणा के अर्न्तगत हिन्दू उन अनुष्ठानों एवं गतिविधियों को करता है जो मानवीय जीवन को गढ़ती एवं बनाए रखती है । हमारे प्रथक प्रथक हित होते है, विभिन्न इच्छाएं होती है और विरोधी आवश्यकताएं होती है जो बढ़ती है और बढ़ने की दशा में परिवतर्तित हो जाती है उन सभी को घेर घार कर एक समूचे रूप में प्रस्तुत कर देना धर्म का प्रयोजन है ।[1]

---

1 - गुप्ता एवं शर्मा – पूर्वोक्त –,   पृ. सं. 10

सारिणी संख्या – 3.1

वृद्ध व्यक्तियों से सम्बन्धित जाति-धर्म सम्बन्धी विवरण

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्ध व्यक्तियों की संख्या	जाति / धर्म							
		क		ख		ग		घ	
		से.	प्रति.	से.	प्रति.	से.	प्रति.	से.	प्रति.
55–60	124	100	20.00	20	4.00	03	0.6	01	0.2
60–65	205	150	30.00	42	8.4	10	2.00	03	0.6
65–70	90	55	11.00	21	4.2	09	1.8	05	1.00
70–75	50	42	8.4	03	0.6	03	0.6	01	0.2
75 वर्ष से अधिक	31	20	4.00	08	1.6	02	0.4	01	0.2
योग / प्रति	500	367	73.4	94	18.8	27	5.4	12	2.4

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

क – हिन्दू

ख – मुस्लिम

ग – सिख

ध – ईसाई

प्रस्तुत सारिणी संख्या – 3.1 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत 73.4, हिन्दुओं का है जब कि सबसे कम प्रतिशत 2.4 ईसाई वृद्धों का है। कारण स्पष्ट है कि झाँसी जनपद हिन्दू बाहुल्य जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जब कि ईसाई धर्म के कम लोग आवासित है। दूसरी जातियों में मुस्लिम उत्तरदाता हैं जिनका प्रतिशतांक 18.8 है तथा सिखों का प्रतिशत 5.4 है ।

आयु वर्ग के आधार पर विश्लेषण करने पर सर्वाधिक 60–65 वर्ष, आयु वर्ग के वृद्धों का प्रतिशतांक 41.00 है तथा 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तर दाताओं की संख्या 31 है जो 6.2 प्रतिशत है।

55–60 वर्ष आयु समूह के वृद्धों का प्रतिशतांक 24.8 है जो सर्वाधिक प्रतिशताकं के पश्चात् आता है ।

सिख उत्तरदाओं की संख्या चयनित अध्ययन क्षेत्र में 27 प्रतिशत 5.4 है । 60–65 वर्ष आयु समूह के सिख वृद्धों का सर्वाधिक प्रतिशतांक 2.00 है तथा सबसे कम सिख वृद्ध उत्तरदाता 75 वर्ष से अधिक आयु समूह के है जिनका प्रतिशत 0.4 है।

शिक्षा

मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता रहा है प्रत्येक नयी पीढ़ी को पुरानी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक, विरासत से प्राप्त होता है और कुछ वह स्वयं ज्ञान में वृद्धि करता है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रकियाऔर हस्तान्तरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती

गयी है। ज्ञान की यह परम्परात्मक श्रॅखला ही शिक्षा है जिसके द्वारा मानव ने अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है शिक्षा ने ही मानव को पशु स्तर से उँचा उठाया है और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी बनाया है।

चीनी सन्त कन्पयूशस ने कहा था – अज्ञानता एक ऐसी रात्रि के समान है जिसमें न चॉद है न तारें ।

शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर अज्ञान रूपी अन्धेरी रात्रि के अन्धकार को दूर करना है। शिक्षा केअभाव में ज्ञान और विज्ञान दोनों का अभाव होगा। ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत के हस्तान्तरण का कार्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है ज्ञान एवं सांस्कृतिक सामाजिक विरासत को हस्तान्तरित करने वाली संस्थाएं शिक्षण संस्थाएं कहलाती है। फिलिप्स कहते है – कि शिक्षा वह संस्था है सिका केन्द्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है ।

आदिम एवं आधुनिक समाजों में पायी जाने वाली शिक्षा की पद्वति, स्वरूप, साधन, एंव उद्देश्य में अन्तर पाया जाता है। आदिम समाजों में शिक्षा तथा संस्कृति का घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। आदिम समाजों में शिक्षा का तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से नहीं था बल्कि समाज एवं संस्कृति से अनुकूलन स्थापित करने से था। आदिम समाजों में शिक्षा प्रदान करने वाली विशिष्ठ शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। परिवार पड़ोस नातेदारी समूह एवं अनौपचारिक साधनों द्वारा शिक्षा प्रदानकी जाती थी। आदिम समाजों में शिक्षा मौखिक निर्देशों, दन्त कथाओं, लोकगीतों, संगीत एवं आपसी वार्तालाप द्वारा दी जाती थी और यह कार्य प्रमुख रूप से परिवार द्वारा ही किया जाता था। इन

समाजों में धर्म एवं नैतिकता की प्रधानता थी। वृद्ध व्यक्ति भी सुझाव, आलोचना, हँसी -- मजाक, दण्ड–पुरूस्कार के द्वारा बच्चे को शिक्षा देते है।

आदिम शिक्षा सार्वभौमिक न होकर केवल कुछ लोगों/ वर्गों तक ही सीमित थी। भारत में केवल द्विज जातियों को ही पठन पाठन एवं शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। आदिम समाजों में शिक्षा का एक तरीका अवलोकन द्वारा सीखना भी था ।

मैलिनोवस्की कहते है कि ट्रिबियाण्डा द्वीप में बच्चे यौन क्रियाओं का प्रशिक्षण बचपन में ही माता पिता को यौन क्रिया में लिप्त देखकर कर लेते थे ।[1]

किन्तु आधुनिक समाजों में औद्योगीकरण के कारण शिक्षा, शिक्षण, एवं संस्थाओं के स्वरूप में भिन्नता आयी है। अब शिक्षा सार्वभौमिक बन गयी है और सभी जातियेां एवं वर्गों के लिए उपलब्ध है। शिक्षा देने का कार्य अब औपचारिक रूप से शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता है। शिक्षा में विशेषीकरण की प्रवृत्ति पनपी है। आज चिकित्सा, कानून, व्यापार, विज्ञान एवं तकनीकी का ज्ञान आदि की शिक्षा देने वाली विभिन्न संस्थाएं है। शिक्षा में धर्म एवं नैतिकता का प्रभाव कम हुआ है, शिक्षा अब धर्म निरपेक्ष हो गयी है शिक्षा वयैत्तिक के स्थान पर समूहवादी हो गयी है। लिखित रूप में शिक्षा कार्य अधिक किया जाने लगा है।

बोटोमोर का कथन है कि आदिम एवं पूर्व कालीन समाजों में शिक्षा का सम्बन्ध अधिकांशतः रहन सहन के तरीकों से ही था जबकि आधुनिक समाजों में शिक्षा का

---

1 - मजूमदार, डी. ए. – पूर्वोक्त – पृ. सं.

विषय साहित्य कम और वैज्ञानिक अधिक है। प्राचीन समाजों में शिक्षा का तात्पर्य संग्रहित ज्ञान को हस्तान्तरित करने में था जबकि आधुनिक शिक्षा वैज्ञानिक ज्ञान में परिवर्तन में भी रूचि रखती है ।

शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को समाज के मूल्यों, मानदण्डों, नियमों, कानूनों एवं आदर्शो आदि का ज्ञान कराया जाता है समाज द्वारा निर्धारित एवं स्वीकृत नियमों का पालन करने से समाज में नियन्त्रण, एकता एवं समरूपता तथा सामंजस्य बना रहता है।

आज की शिक्षा तर्क एवं विज्ञान पर आधारित है वह मानव मस्ष्तिक का विकास करती है, ज्ञान के द्वार खोलती है, मनुष्य को चिन्तनशील बनाती है। बुद्धिमान एवं बलवान व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उचित एवं अनुचित में भेद करे, समाज सम्मत व्यवहार करें । शिक्षा व्यक्ति के गुणों में वृद्धि करती है। ज्ञान एवं सामाजिक प्रगति एवं नियन्त्रण दोनों के लिए ही आवश्यक है ।

सारणाी संख्या -3.2

वृद्ध व्यक्तियों की शैक्षणिक स्थिति का विवरण

आयु समूह (वर्षो में)	वृद्धों की संख्या	शैक्षिणिक स्थिति									
		अशिक्षित		क		ख		ग		घ	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	37	7.4	30	6.0	27	5.4	25	5.0	05	1.4
60–65	205	117	23.4	39	7.8	27	5.4	20	4.0	02	0.4
65–70	90	42	8.4	28	5.6	15	3.0	05	1.0	00	0.0
70–75	50	22	4.4	17	3.4	10	2.0	01	0.2	00	0.0
75 वर्ष से अधिक	31	18	3.6	10	2.0	03	0.6	00	0.0	00	0.0
योग/प्रति	500	236	47.2	124	24.8	82	16.4	51	10.2	07	1.4

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

क– हाईस्कूल

ख– इण्टरमीडिएट

ग– स्नातक

ध– स्नातकोत्तर

सारिणी संख्या –3.2 के देखने से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के वृद्ध व्यक्तियों में आयु वर्ग 60–65 वर्ष के वृद्धों में निरक्षरता का प्रतिशत 23.4 है तथा आयु समूह 75 वर्ष सेअधिक के अशिक्षित वृद्धों का न्यूनतम प्रतिशतांक 3.6 है। इनमें से कुछ वृद्धों को अक्षर ज्ञान तो है किन्तु लेखन क्षमता में वे अपने दस्तखत के अतिरिक्त कुछ भी नही कर सकते है ।

हाईस्कूल तक कि शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत 7.8 है यह प्रतिशत 60–65 आयु समूह के व्यक्तियों का है जब कि इसी समूह के इण्टर तक की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत 5.4 है।

स्नातक स्तर तक की शिक्षा व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रतिशतांक 5.0 है जो आयु समूह 55–60 वर्ष का है इसी आयु समूह के स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 05 है जो चयनित व्यक्तियों का 1.4 प्रतिशत है।

65–70 आयु समूह का कोई भी वृद्ध समूह तथा 75 से अधिक आयु के व्यक्तियों का उच्च शिक्षा प्राप्त न होना, शैक्षणिक तथा आर्थिक संसाधनों की कमी का होना प्रतीत होता है क्योकि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व देश में शैक्षणिक संस्थानों का कम होना एक कारक है साथ ही परतंत्र राष्ट् में शैक्षणिक उपलब्धि हासिल कर पाना असंभव नहीं तो दुरूह अवश्य था। व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित करने से ही स्वतन्त्र नहीं रह पाता था। शैक्षणित ज्ञान की तुलना में व्यवहारिक ज्ञान को अधिक महत्व पूर्ण माना जाता था। रोजगारोंन्मुख शिक्षा की अनुलब्धता थी, मैकाले की प्रणाली का प्रभाव अधिक था ।

मनुष्य को अपने जीवन काल में अनेकानेक कठिनाओं का सामना करना पड़ता था जिससे शैक्षणिक स्तर प्राप्त करना कठिन होता रहा होगा ।

किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक जाति, धर्म एवं वर्ग के लोगों को शेक्षणिक स्तर बढ़ाने केअवसर उपलब्ध है। शैक्षणिक संस्थानों की सीपना में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सेआमूल चूल परिवर्तन हुए है। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की प्रकिया के साथ ही रोजगारोन्मुख शिक्षा संस्थानें की वृद्धि से शैक्षणिता प्रस्थिति प्राप्त करने की दिशा में प्रगति हुई है।

सारिणी संख्या - 3.3

विभिन्न जातियों में शैक्षणिक स्तर का विवरण

क. सं.	धर्म समूह	अशिक्षित		शिक्षित							
				क		ख		ग		घ	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	हिन्दू	190	51.7	99	26.9	66	17.9	10	2.7	02	0.5
2.	मुस्लिम	23	24.4	45	47.8	12	12.7	12	12.7	02	2.1
3.	सिख	14	51.8	10	37.3	03	11.1	01	3.7	00	0.0
4.	ईसाई	09	75.0	03	25.00	03	25.00	03	25.00	00	0.0

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

क– हाईस्कूल

ख– इण्टरमीडिएट

ग– स्नातक

ध– स्नातकोत्तर

सारिणी संख्या–3.3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न समूहों में शैक्षणिक स्तर में पर्याप्त भिन्नताएं है। अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता वृद्धों में ईसाई समूह के वृद्धों में अशिक्षा ज्यादा स्पष्ट है इनका प्रतिशत 75.0 है। इसके पीछे कारण रहें है कि जो भी ईसाई

समूह के उत्तरदाता है वे मूल रूप से ईसाई नहीं है बल्कि धर्मान्तरण की प्रकिया द्वारा ईसाई हुए है जिन्हे प्रलोभनों द्वारा ईसाई धर्म का अनुयायी बना लिया गया था। अध्ययन से सम्बन्धित एक भी व्यक्ति स्नातकोत्तर उपाधि धारित नहीं था।

सर्वाधिक अशिक्षित समूहों में तीसरे स्थान पर हिन्दू है जिनकी संख्या 190 (प्रतिशत 51.7) है किन्तु इसके साथ ही 0.5 प्रतिशत हिन्दू स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त है।

2.1 प्रतिशत मुस्लिम स्नातकोत्तर उपाधि धारक है इसी समूह के 47.8 प्रतिशत वृद्ध हाईस्कूल तक शिक्षा ग्रहण करने वाले है।

सिख समूह के 51.8 प्रतिशत वृद्ध अशिक्षित है इस समूह का कोई भी सिख स्नातकोत्तर उपाधि धारक नहीं है सिखों में अशिक्षा का प्रतिशतांक उच्च होने का कारण उनकी स्वरोजगार विशेषकर तकनीकी व्यवसाय से प्रारम्भ से जुड जाना है, यही कारण है कि कोई सिख भिखारी के रूप में दिखाई नहीं देता है और न ही बेकार दिखाई पड़ता है सिखों की इस रूचि के प्रचार प्रसार के माध्यम से स्वरोजगार के प्रति अन्य समूहों में रूचि जाग्रत की जा सकती है।

पारिवारिक संरचना

परिवार सार्व भौमिक सार्वकालिक संस्था के रूप में समाज की निरंतरता का बनाये रखने वाली समाज की एक मूलभूत संस्था है। यह समूह के जीवन एवं उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं की, जो कि जीवन के संदर्भ में विकसित होती है बनाये रखता है।

परिवार नामक संस्था की उत्पत्ति और विकास निश्चित बता पाना तो असम्भव है। परन्तु फिर कुछ विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति एवं विकास के सम्बन्ध में अपने सिद्धान्त प्रस्तुत किये है। समनर तथा केलर एवं रार्बट ब्रीफाल्ट 1927 के अनुसार परिवार का विकास बाद में हुआ पहले मानव छोटे छोटे समूहो में रहता था। ब्रीफाल्ट ने आर्थिक कारणों से मातृ सत्तात्मक परिवार के विकास को सर्वप्रथम माना हैं। मैलिनास्की 1022 के अनुसार परिवार व जनजाति दोनों ही एक साथ रहें। अतः यह निर्धारित करना कठिन है। कि किसने किसको जन्म दिया। वेस्टर मार्क 1922 के अनुसार परिवार मूल रूप से समाज का केन्द्र रहा है। जब से मानव समाज की स्थापना हुई है उसी दिन से मनुष्य परिवार में रहता आया है। वेहाफन का विचार है। कि सर्वप्रथम मानव कामगार की स्थिति में रहता था धीरे धीरे स्त्री ने परिवार का विकास किया है । मारगन 1877 ने परिवार को एक निश्चित निश्चित विकास प्रक्रिया से विकसित होने वाला समूह माना है। इसके अनुसार सर्वप्रथम कामाचार था। धीरे धीरे विवाह की प्रणाली विकसित हुई जिससे परिवार का प्रचलन हुआ। महाभारत में भी कुछ इस प्रकार का विवरण प्राप्त होता है। कि जिसमें कामाचार की स्थिति को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है।

परिवार की उत्पत्ति कैसे भी हुई हो किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि परिवार समाज के सरक्षण एवं सबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। यही कारण समाजो में चाहे सम्य हो अथवा अम्य परिवार नामक संस्था अवश्य पाई जाति है। क्योकि परिवार में ही रहकर व्यक्ति का समाजीकरण होता है। परिवार में ही रहकर व्यक्ति अतीत को ग्रहण करता है। वर्तमान में संबधन करता हुआ चलता हैं। और भविष्य के लिए नवीन पीढी को तैयार करता है।

लावी का मत है कि परिवार मनुष्य के सामाजिक जीवन में चार महत्वपूर्ण कार्यो आर्थिक यौनसम्बन्धी सतांन एवं शिक्षा सम्बन्धी को नियंत्रित करता है किन्सले

डेविस के अनुसार परिवार प्रजनन संरक्षण समाज के सीान का निर्धारण व समाजीकरण जैसे कार्यो की पूर्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यही कारण है कि सभी समाजो में और विशेषकर जनजातीय समाजों में परविार का सीान अन्य समाजों की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह परिवार नामक संस्था विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ती है। जैसे कहीं एकाकी परिवार के रूप में तो कहीं मात्र सत्तामक परिवार के रूप में कहीं पित्रसत्तात्मक परिवार के रूप में।

परिवार नामक सामाजिक ईकाई रक्त सम्बन्धी सामाजिक ईकाईयों में सबसे निचली सीढ़ी पर परन्तु सबसे अधिक निकट सम्बन्धों वाली होती हैं। सदस्य के आधार पर सबसे प्रारम्भिक स्तर पर जिस पारिवारिक समूह को देखते है। उसकी सदस्य माता पिता तथा सामाजिक मान्यता प्राप्त सन्तानों तक सीमित होती है ऐसे परिवार को केन्द्रीय या एकाकी परिवार नाम दिया जाता है। परिवार का दूसरा रूप वह है जिससे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ निकट सम्बन्धियों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जनजाति व समाजों में कुछ ऐसे परिवार भी मिलते है। जिसमें रक्त सम्बन्धियों के अनेकों परिवार मिला दिये जाते है। इस परिवार की सदस्यता जन्म प्राप्त होती है और आयु कोपरिक्वता अथवा विवाह सम्बन्धों की समाप्तिसे इस परिवार की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । उदाहरण के रूप में मालावर के नायर लोगों में ऐसे परिवार को पाटवाद के नाम से जाने जाते है इसके अतिरिक्त आदिम जातिय समाजों में ऐसे परिवार भी मिलते है। जिनमें एक से अधिक पति पत्नी तथा उनके बच्चे और कुछ निकट सम्बन्धी आते है। इस परिवार कोविवाह सम्बन्धी परिवार कहा जाता है। क्योंकि इसमें विवाह सम्बन्ध पर अधिक बटा रहता है। भारतीय परिवेश में ऐसे परिवार काफी संख्या में मिलते है इसमें विवाह केसमय`वंश परम्परा के अनुसार पति अथवा पत्नी को जन्म से प्राप्त परिवार की सदस्यता का परित्याग करना पड़ता है।

परिवार को विवाह के आधार पर भी कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है। जिन समाजों में परिवार की स्थापना के लिए एक पत्नी अथवा एक पति प्राप्त करने का विधान होता है। उसे एक विवाही परिवार का नाम दिया जाता है। और जॅहा बहुविवाह की प्रथा होती है। उसे बहु विवाही परिवार की संज्ञा दी जाती है।

परिवार नामक संस्था की कुछ ऐसी सर्वमान्य विशेषताये है जो प्रत्येक प्रकार के परिवार में पाई जाती है। मैकाइवर तथा पेज 1961 के अनुसार सार्वभैमिकता परिवार के भावनात्मक आधार रचनात्मक प्रीााव सामाजिक संरचना में परिवार की केन्द्रीय स्थति सीमित आकार सदस्यों का उत्तर दायित्व सामाजिक नियमन परिवार का स्थायी अथवा अस्थायी स्वरूप में सभी विशेषतायें भारतीय आदिवासी परिवारों में पाई जाती है।

किग्सले डेविस, मैकाइवर एण्ड पेज, लावी आदि के द्वारा परिवार की जिन विशेषताओं को स्पष्ट दिया गया है।

झॉसी जनपद में पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था पाई जाती है। सभी चयनित वृद्ध पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था के अंग है। इस परिवारों में पितृ वंश परम्परा का निर्वाह किया जाता हैं । पितृवंशीय परिवार वे परिवार होते है जिनमें पिता की सत्ता सर्वोपरि होती है बच्चे पिता के कुल अथवा वंश के नाम से जाने जाते है। पारिवारिक सम्पत्ति पर भी पुत्रों का अधिकार होता है। विवाह के बाद कन्या अपने माता के घर न रहकर अपने पति के घर जाकर रहती है। पति ही परिवार का मुखिया होता है ।

सारिणी संख्या – 3.4

वृद्ध व्यक्तियों की पारिवारिक स्थिति

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	पारिवारिक स्थिति			
		क		ख	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	120	24.0	04	0.8
60–65	205	180	36.0	25	5.0
65–70	90	72	14.4	18	3.6
70–75	50	44	8.8	06	1.2
75 वर्ष से अधिक	31	24	4.8	07	1.4
योग	500	440	80.0	60	12.0

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

क– संयुक्त परिवार

ख– एकाकी परिवार

सारिणी संख्या 3.4 से स्पष्ट होता है कि 88.0 प्रतिशत वृद्ध संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा 12.00 प्रतिशत वृद्ध एकाकी परिवारों के रूप में जीवन निर्वाह कर रहे है।

60–65 वर्ष आयु वर्ग के सर्वाधिक सदस्य संयुक्त परिवार के सदस्य है जिनका प्रतिशतांक 36.00 है। जब कि 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सदस्य, जो सयुंक्त के सदस्य_है कि संख्या सबसे कम है जिनका प्रतिशत 4.8 है जबकि 70–75 आयु वर्ग के सबसे कम सदस्य एकाकी परिवार के अंग हैं जिनकी संख्या 06 है तथा प्रतिशतांक 1.2 है।

भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता के रूप में यहॉ सयुक्त परिवार का प्राचीन काल से महत्व रहा है हिन्दुओं के अलावा अहिन्दू लोगों में संयुक्त परिवार प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था का महत्व देखने को मिलता है अध्ययन क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान यह तथ्य उभर कर सामने आए कि हिन्दुओं में जहॉ संयुक्त परिवार प्रथा का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है वहीं मुस्लिम, ईसाई तथा सिख परिवारों के वृद्धों से साक्षात्कार के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इन समूहों में भी संयुक्त परिवार व्यवस्था के महत्व के तार्किक पक्ष उपलब्ध है।

भारत में परिवार का शास्त्रीय स्वरूप संयुक्त परिवार रहा है ऐसा हिन्दू धर्मशास्त्रों में उल्लिखित है। सदियों से परिवार का यह स्वरूप भारतीय समाज में प्रचलित रहा है। इसके पीछे सुख एवं दुःख की अवधारणा निहित प्रतीत होती है। सुख एवं दुःख जीवन के दो पहलू है जिसके बिना यह जीवन अधूरा सा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख के साथ साथ दुःख भी पाये जाते है ये दुःख किसी भी प्रकार के हो सकते है जैसे दुधर्टना बीमारी शारीरिक एवं मानसिक

अक्षमता अथवा बेरोजगारी आदि। इन सभी अवस्थाओं में वृद्धों की शरण स्थली संयुक्त परिवार ही होते है जो अपने वृद्ध तथा अक्षम व्यक्तियों को यथा संभव आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर चिन्ता मुक्ति दिलाता है, यही कारण है कि वृद्धों में संयुक्त परिवार की सदस्यता का प्रतिशत 60–65 वर्ष के समूह में अधिक दिखाई जाती है क्योंकि यही वह अवस्था है जब वृद्ध प्रायः रीत जाते हैं तथा उन्हें आश्रय की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था ही वह अवस्था होती है जब व्यक्ति में किसी आश्रय, सहयोगी प्रमुखतः आर्थिक तथा मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य कर सकें ।

अध्याय–4

वृद्ध व्यक्तियों की आर्थिक निर्भरता

- आदिम अर्थव्यवस्था
- कृषि अर्थ व्यवस्था
- औद्योगिक क्रान्ति
- औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था
- वृद्ध व्यक्तियों के आय के स्त्रोत
- शिक्षित वृद्धों के आय के स्त्रोतों से सम्बद्धता
- वृद्धों को उपलब्ध सुविधाएं
- वृद्धों की आर्थिक परनिर्भरता

वृद्ध व्यक्तियों की आर्थिक निर्भरता

तृतीय अध्याय में वृद्ध व्यक्तियों के सामाजिक स्वरूप का तर्कपूर्ण विवेचन किया गया है। इस अध्याय में आदिम अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, औद्योगिक क्रान्ति, औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था, वृद्ध व्यक्तियों के आय के स्त्रोत, आय के स्त्रोतों से वृद्धों की सम्बद्धता, उनको उपलबध सुविधाओं तथा वृद्धों की आर्थिक निर्भरता की विवेचना की जाएगी।

समाज की सभी अवस्थाओं में मानव भोजन वस्त्र, निवास और सुरक्षा की आवश्यकता अनुभव करता रहा है। समाज में आर्थिक क्रियाएं और आवश्यकताएं मूलभूत है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इच्छानुसार नहीं कर सकता है। समाज के सदस्य में रूप में यअपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह परम्पराओं, नियमों तथा कार्य प्रणालियों के अनुरूप करता है। संस्था का अर्थ मान्य नियम और कार्य पद्वति से है। इस तरह आर्थिक क्रियाओं और आवश्यकताओं से सम्बन्धित परम्परा, नियम प्रणाली और कार्य पद्वति को आर्थिक संस्था की संज्ञा दी जाती है।

आर्थिक आवश्यकताओं की प्रबन्ध और आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यों को मानव का आर्थिक पक्ष माना जाता है।

आदिम, कृषक और औद्योगिक सभी समाजों में उत्पादन, वितरण उपभोग सम्पत्ति श्रमविभाजन और उत्तराधिकार से सम्बन्धित परम्पराएं नियम प्रणाली और कार्य पद्वतियाँ पायी जाती है।

आदिम अर्थव्यवस्था

आदिम अर्थ व्यवस्था में प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता पाई जाती है। आर्थिक कियाएं भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे वर्षा, धूप, बाढ आदि पर निर्भर करती है। हर्षविट्स और लोवी ने इसका विस्तार से विवेचन किया है। आदिम समाजों में आर्थिक क्रियाएं और श्रम विभाजन की पद्धति काफी सरल थी। श्रम विभाजन आयु और लिंग पर आधारित था। व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा अत्यतं आरभिक अवस्था में थी। परिवार, नातेदारी, समूह और समुदाय उत्पादन के साधनों के स्वामी थे।

आदिम समाज अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर थां अतः उसमें व्यापार की पद्धति का विकास नहीं हुआ था। इन समुदायों में भेंट देने की प्रथा एक ओर तो सामाजिक दायित्व के रूप में विकसित हुई और दूसरी ओर एक प्रकार से यह आदिम व्यापार का भी एक रूप था। आतिथ्य एक प्रकार की आर्थिक सेवा का अंग था। आखेट तथा खाद्य संकलन में जो कुछ भी बच सकता था, उसने आदिम समाजों में निम्नलिखित प्रथाए विकसित हुई :

1– उपहार अथवा भेंट

2– आतिथ्य

3– मुफ्त उधार लेना

4– मुफ्त उधार देना

5– सामान्य उपयोग

इन समुदायों में संपत्ति की तुलना में व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक सम्मान अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था ।

कृषि अर्थव्यवस्था

आदिम समुदायों में धीरे धीरे जंगली जानवरों तथा पौधों के स्थान, पर मनुष्य ने जमीनों का उपयोग तथा पौधों को उगाने का ज्ञान विकसित किया। इस स्थिति में भी भूमि पूरे वंश समूह अथवा समुदाय की संपत्ति थी । धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा विकसित हुई। समुदाय में सभी लोग खेती के काम घर बनानें जंगल को काटने अथवा आखेट में एक दूसरे से सहयोग करते थे। पशुओं और पौधों के पालन तथा सामूहिक प्रयत्न से जंगल की सफाई के कारण कृषि व्यवस्था विकसित हुई। कृषि व्यवस्था के साथ हल का विकास हुआ। मानवीय श्रम के साथ साथ पशुओं के श्रम का उपयोग करना भी मनुष्य ने सीखा। उपयोग से अधिक उत्पादन की शुरूआत हुई। इस अतिरिक्त उत्पादन के कारण एक परिवार अथवा एक समुदाय का दूसरे परिवारों और समुदायों से अपने अतिरिक्त उत्पादन का विनियम आरंभ हुआ। विनियम के लिए बिचौलियों की प्रथा विकसित हुई। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी :

1– उत्पादन के मुख्य स्रोत के रूप में भूमि का उपयोग,

2– भूमि का सामुदायिक, पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व,

3— अतिरिक्त उत्पादन के लिए पारस्परिक विनिमय की पद्धति का विकास,

4— नियमित हाटों का विकास,

5— स्थानीय व्यापार के केन्द्र के रूप में ग्रामीण बाजारों का विकास,

6— ग्रामों के मुखियों अथवा कई ग्रामों के सरदारों की प्रथा का विकास,

खेती, हस्तशिल्प, पूर्व औद्योगिक नगर और क्षेत्रीय एकीकरण के फलस्वरूप सामंतवाद की नींव पडी। इस व्यवस्था में उत्पादन की इकाई परिवार थी। भूमि उत्पादन का मुख्य स्रोत थी। सामंत के पास आर्थिक और राजनीतिक स्वामित्व दोनों थे। इस व्यवस्था में केन्द्रीय सत्ता नहीं थी। भूमि और संपत्ति के स्वामी ग्राम समुदायों और किसानों से रूपया तथा सेवाएं प्राप्त करते थे। इसके बदले में वे आक्रमणकारियों तथा लुटेरों से ग्रामीण एवं किसानो की रक्षा करते थे। इस व्यवस्था में श्रमविभाजन का स्वरूप और भी विकसित हुआ।

उत्पादित वस्तुओं की विविधता बढी। नगरों का विकास हुआ। इन सामंतों और स्वामियों के राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रों से धीरे धीरे आधुनिक राष्ट्र पर आधारित राज्यों का उदय हुआ। भूमि पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था में धातुओं का उपयोग आरंभ हुआ। इसमें मुख्य थे : —

1— तांबा,

2— चांदी,

3— सोना,

4— लोहा,

लकडी और लोहे के कारण पहिए पर चलने वाले रथों और बैलगाडियों का विकास हुआ। बैल, घोडों ऊँटों एवं भैसों की शक्ति का उपयोग कृषि, यातायात और व्यापार आदि के लिए हुआ। विश्व के अनेक हिस्सों में हाथियों का भी उपयोग हुआ। उत्पादन और यातायात में पशुओं के उपयोग से आदमी के श्रम की बचत हुई।

सामाजिक संरचना के श्रम विभाजन के विकास के साथ सामंत, कृषक, शिल्पी कृषि श्रमिक अथवा दास आदि वर्गों की उत्पत्ति हुई। कृषि के विस्तृत क्षेत्र, अतिरिक्त उत्पादन, हस्तशिल्प के विकास और राजनीतिक सत्ता के विस्तार के साथ व्यापारिक और पूर्व औद्योगिक नगरों की अर्थव्यवस्था विकसित हुई।

आदिम और कृषि पर आधारित दोनों अर्थव्यवस्था भौगोलिक पर्यावरण पर निर्भर थीं। दोनों में वस्तुओं एवं सेवाओं के विनियम के जरिए तथा जनरीतियों से होता था। कृषि पर आधारित व्यवस्था में भाषा, लिपि, संगठित धर्म तथा स्थायी ठिकानों का विकास हुआ। इस काल में गृह निर्माण की पद्धति में काफी परिष्कार हुआ। बडे भवन और किले बनाने की क्षमता विकसित हुई। संगीत के सुरों और वाद्यों का विकास हुआ। नृत्य और नाटक की कला विकसित हुई।

इस तरह कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काफी परिष्कार आया। पाल वाली नावों के कारण समुद्रों को पार कर दूर के देशों से व्यापार की पद्धति इस काल में विकसति हुई इस काल में आर्थिक किया की एक अन्य महत्वपूर्ण विनिमय के लिए मुद्रा का प्रचलन था ।

औद्योगिक क्रांति

कृषि हस्तशिल्प वाणिज्य में अतिरिक्त उत्पादन से हुए लाभ तथा सामंती राजनीतिक पद्धति द्वारा स्थापति शांति और व्यवस्था के चलते यूरोप में औद्योगिक कांति की शुरूआत हुई। सामंती व्यवस्था में कृषि और शिल्प के औजार छोटे थे। इनमें मानवीय श्रम अधिक लगता था। उत्पादन में समय भी अधिक लगता था और उत्पादन की मात्रा सीमित होती थी।

औद्योगिक कांति और शुरूआत के मूल में मानव तथा पशु श्रम के स्थान पर यंत्रों की शक्ति का उपयोग था। औद्योगिक कांति के साथ विशाल यंत्र कोयला से उत्पादित भाप द्वारा संचालित होने लगे। भाप की जगह प्रायः एक सदी बाद बिजली ने ले ली। उत्पादन में यंत्रों के बढते प्रयोग के कारण उत्पादन, यातायात और वितरण की प्रणाली में इतने व्यापक परिवर्तन हुए कि इस प्रकिया को औद्योगिक कांति कहा जाता है। औद्योगिक कांति ने आधुनिक अर्थव्यवस्था, इसकी उत्पादन पद्धति, संगठनों और नए मानवीय संबंधों को जन्म दिया है।

यहां एक प्रश्न विचारणीय है कि औद्योगिक कांति की शुरूआत इग्लैंड और पश्चिमी यूरोप में ही क्यों हुई? इस प्रश्न का उत्तर कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने दिया है।

कार्ल मार्क्स के अनुसार जर्जर सामंती समाज के पतन के साथ ही औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था का अभ्युदय हुआ। इसके विकास के पीछे सामंती व्यवस्था के कातिकारी तत्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य सामाजिक परिस्थितियां भी थीं। अमेरिका की खोज एवं अफ्रीका

के दक्षिणी किनारे से होकर यातायात की शुरूआत ने उभरते हुए पूंजीपति वर्ग के लिए उद्योगों और बाजार के नए द्वार खोल दिए। भारत और चीन के बाजार, अमेरिका का उपनिवेशीकरण, अन्य उपनिवेशों से व्यापार, विनिमय और वस्तुओं के उत्पादन के साधनों में वृद्धि ने वाणिज्य, नौ परिवहन तथा उद्योग को ऐसी तेज गति से विकसित किया जो इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ था।

नए बाजारों की बढती आवश्यकता की पूर्ति, श्रेणियों के चतुर्दिक संगठित सामंती उत्पादनप्रणाली के द्वारा संभव नहीं थी। सामंती उत्पादन की पद्वति यंत्रों पर आधारित उत्पादन की व्यवस्था के सम्मुख न टिक सकी। परिवार तथा श्रेणी पर आधारित श्रम विभाजन कारखानों के श्रम विभाजन के साथ ही लुप्त हो गया। भाप और यंत्रों के कारण औद्योगिक उत्पादन में कॉतिकारी परिवर्तन हुआ। मार्क्स की मान्यता है कि अठारहवीं सदी में घटित इंग्लैण्ड की औद्योगिक काति ने संपूर्ण विश्व को बाजार में बदल दिया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर पूंजीपति वर्ग के मार्क्स के अनुसार अत्यंत कातिकारी भूमिका निभाई। इस व्यवस्था के अन्तर्निहित दोष भी है। यह व्यवस्था मुक्त व्यापार और शोषण पर आधारित है। इस व्यवस्था ने अब तक के अत्यंत सम्मानित पेशेवरों जैसे डाक्टर, वकील, धर्म, पुरोहित, कृषि तथा वैज्ञानिक को वेतन पाने वाले मजदूर में बदल दिया है। इसने उत्पादन के साधनों उत्पादन के सम्बन्धों और फलस्वरूप समस्त सामाजिक संबंधों को ही बदल दिया हैं।

मार्क्स के अनुसार उपनिवेशों के शोषण, यातायात की नई सुविधाओं, उद्योग और वाणिज्य के विकास तथा सामंती व्यवस्था के अंतर्विरोध के कारण औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था अठारहवीं सदी के मध्य के इंग्लैण्ड में विकसित होने लगी। इसके बाद तो, विश्व बाजार की लूट और उपनिवेशों के शोषण के चलते औद्योगिक विकास की इस प्रकिया का कोई अंत ही नहीं था। यह व्यवस्था पूंजी और

लाभ की भावना पर आधारित हैं अतः इसे पूंजीवादी व्यवस्था कहते है। मार्क्स के मत के ठीक विपरीत मैक्स वेवर के अनुसार औद्योगिक व्यवस्था और पूंजीवादी प्रणाली विवेकशीलता, संचय की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा, कठिन श्रम, समय के मूल्य तथा कर्तव्य भावना पर आधारित है। पूंजीवाद की उपरोक्त वर्णित चेतना के मूल में प्रोटेस्टैण्ट धर्म के आचारशास्त्र का हाथ है। प्रोटेस्टैण्ट धर्म अपने अनुयायियों को कर्तव्य बोध, समय के मूल्य तथा बचत के नैतिक पक्ष की सीख देता हैं अपने तर्क की पुष्टि में मैक्स वेवर का कहना है कि आरंभिक उद्योगीकरण और पूंजीवाद का विकास प्रोटेस्टैण्ट धर्म के मानने वाले देशों इग्लैण्ड और अमेरिका में हुआ। औद्योगिक कान्ति के बाद प्रौद्योगिकी, उर्जा तथा उत्पादनपद्धति में हुए व्यापक परिवर्तन ने आधुनिक आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया है।

औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था

उन्नीसवीं सदी के मध्य के बाद से औद्योगिक कान्ति के बाद के उद्योगीकरण ने एक निश्चित व्यवस्था का रूप ले लिया है। प्रौद्योगिकी, उत्पादन तथा संगठन की दृष्टि से इसकी कुछ विशेषताएं है।

उद्योगीकरण पर आधारित अर्थव्यवस्था अत्यन्त जटिल है। इस व्यवस्था में मनुष्य पर्यावरण से नियमित और प्रभावित होने के स्थान पर पर्यावरण को यथाशक्ति नियमित करने की चेष्टा करता है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, विशेषीकरण, जटिल श्रमविभाजन, बडे पैमाने पर उत्पादन तथा विशाल यंत्रों पर आधारित है। मूर का कथन है कि इस व्यवस्था में उत्पादन की इकाई के रूप में परिवार की भूमिका समाप्त हो गई है। यंत्रों का प्रभाव कारखानों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि इसने खेती की पद्धति को भी प्रभावित किया है। इस तरह मनुष्य अपनी भौतिक परिस्थितियों पर

आश्रित होने के स्थान पर प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित परिस्थितियों पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। जनजातीय और कृषक समाजों में उत्पादन की पद्धति और मात्रा वर्षा, घूप, भूमि की प्रकृति, उर्बरा शक्ति तथा मानवीय श्रम पर निर्भर करती थी। आधुनिक औद्योगिकी व्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी ने मनुष्य और उसके पर्यावरण के संबंध को बदल दिया है। आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत भाप, बिजली, आणविक शक्ति तथा इनके द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी ने तापमान तथा वर्षा पर निर्भरता को काफी हद तक कम किया है। नए उपकरणों के कारण मानवीय श्रम में बचत हुई है और थोडे समय में मनुष्य अधिक उत्पादन कर सकता है। इस तरह नए यंत्रों ने पुरानी परिस्थितिकी को न केवल बदल दिया है बल्कि नई परिस्थिति को भी जन्म दिया है जिसके अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण के स्थान पर मानवनिर्मित परिस्थितियां और पर्यावरण विकसित हुए है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी और मानवनिर्मित परिस्थितियों ने उत्पादन की पद्धति और उसकी मात्रा में परिवर्तन के साथ ही उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन किया है। पुरानी सरल व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक संगठन अत्यंत सीमित था। परिवार ही भूमि अथवा दस्तकारी के उपकरणों का स्वामी होता था। परिवार के लोग ही उपने श्रम से उत्पादन करते थे। अपने उत्पादन के साधनों जैसे हल, बैल, करघा, भट्ठी तथा उत्पादित वस्तुओं अनाज, कपडा, औजार आदि का प्रबंध परिवार करता था। उद्योगों के कारण वह अब नए रूप, नई विशेषताओं के साथ हमारे सामने उपस्थित हुआ है। औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था की निम्नांकित विशेषताएं है:

1– श्रम के स्थान पर पूंजी का महत्व,

2– उत्पादन की इकाई के रूप में परिवार,

3– मानवीय और पशुओं के श्रम के स्थान पर विशाल यत्रों का उपयोग,

4– मानवीय तथा पशुश्रम पर आधारित ऊर्जा के स्थान पर भाप, बिजली तथा आणविक ऊर्जा का उत्पादन में उपभोग,

5– जीविका के लिए किए गए उत्पादन के स्थान पर विनिमय और लाभ की भावना से किया गया उत्पादन

6– स्थानीय हाट और बाजार के स्थान पर विश्व बाजार का उदय,

7– सहयोग के स्थान पर प्रतिस्पर्धा,

8– यातायात तथा संचार के समुन्नत साधन,

9– वेतन पर आश्रित श्रमिक और पेशेवर वर्ग,

10– मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था,

11– विशाल कंपनियों तथा निगमों का जन्म,

12– उद्योगपतियों के स्थान पर प्रबंधकों द्वारा उद्योगों का संचालन,

13– ग्रामीण समुदायों एवं कृषक व्यवस्था के स्थान पर नगरों और प्रौद्योगिकी पर आधारित अर्थव्यवस्था

14– अत्यंत जटिल श्रमविभाजन की पद्धति

आधुनिक औद्योगिकी व्यवस्था ने कंपनी, निगम, शेयर बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों बैंक, उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के संघ आदि कोजन्म दिया है। समाजशास्त्री इन विशाल आर्थिक समूहों को औपचारिक संगठन कहते है। ये आर्थिक संगठन नियम, प्रणाली, अवैयक्तिक संबंध तथा आर्थिक हित की पूर्ति की भावना पर आधारित है। इन आर्थिक संगठनों की निम्नाकिंत विशेषताएं है:–

1– इनकी सदस्यता निश्चित नियमों पर आधारित होती है। एक निश्चित अवधि के बाद इनके पदाधिकारियों का चुनाव होता है।

2– इनके सदस्यों की संख्या कभी कभी इतनी अधिक होती है और इनका आकार इतना बडा होता है कि सदस्यों के बीच व्यक्तिगत अैर प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव पाया जाता है।

3– ये संगठन उत्पादन, वितरण अथवा विनिमय के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोच समझ कर बनाये जाते है।

4– इनके आकार की विशालता तथा निश्चित उद्देश्यों केकारण इनके सदस्यों के पारस्परिक संबंध भावना के स्थान पर औपचारिक और विधि सम्मत नियमों पर आधारित होते है।

5– इन संगठनों के सदस्यों के बीच निश्चित अवधि के बाद होने वाली बैठकों, परिपत्रों और समाचार पत्रों आदि के द्वारा संपर्क स्थापित होता है।

आधुनिक आर्थिक संगठन में सामूहिकता की भावना प्रभावित हुई सी प्रतीत होती है जहॉ तक वृद्वों की आर्थिक निर्भरता का प्रश्न है तो इनकी स्थिति का विश्लेषण सारणी के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है।

सारिणी संख्या – 4.1

वृद्ध व्यक्तियों के आय के स्त्रोतों का विवरण

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	आय के स्त्रोत											
		क		ख		ग		घ		ड.		च	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	संति.	प्रति.	सं.	प्रति
55—60	124	11	02.2	55	11.0	10	2.0	09	1.8	02	0.4	37	7.4
60—65	205	30	06.0	10	02.0	05	1.0	15	3.0	25	5.0	120	24.0
65—70	90	15	03.0	02	0.4	10	2.0	05	1.0	27	5.4	31	6.2
70—75	50	03	0.6	01	0.2	02	0.4	01	0.2	07	1.4	36	7.2
75 वर्ष से ऊपर	31	00	00.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	05	1.00	26	5.2
योग	500	59	11.8	68	13.6	27	5.4	30	6.0	66	13.2	250	50.0

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

क— कृषि

ख— सेवा

ग— उद्योग

ध– दुकानदारी

ड.– पेशंन

च– कुछ भी नहीं

सारिणी संख्या 4.1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 55–60 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध सर्वाधिक सेवा क्षेत्र (शासकीय एवं अशासकीय) से जुडे है जिनकी संख्या 55 है तथा प्रतिशतांक 11.0 है इस आयु समूह के 7.4 प्रतिशत वृद्ध ऐसे है, जिनके पास आय के कोई स्रोत्र नहीं है 60–65 आयु समूह के सर्वाधिक 6.0 प्रतिशत वृद्ध कृषि कार्यों से जुडे हूए है जब कि इस वर्ग के 24.0 प्रतिशत वृद्ध ऐसे है जो कुछ भी नहीं करते है इनकी संख्या 120 है।

चयनित अध्ययन क्षेत्र के 50 प्रतिशत वृद्ध ऐसे है जो कुछ भी कार्य नहीं करते है जिसके पीछे अहम् कारण उनका शारीरिक रूप से अक्षम होना है।

क्षेत्र के 11.8 प्रतिशत वृद्ध कृषि कार्य, 13.6 प्रतिशत सेवा क्षेत्र , 5.4 प्रतिशत उद्योग6.0 प्रतिशत वृद्ध दुकानदारी तथा 13.2 प्रतिशत वृद्ध पेंशन से अपनी आय अर्जित कर रहे है। जो वृद्ध पेशंन प्राप्त कर रहे है वे सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त कर रहे है।

पेशन प्राप्त करने वाले इन वृद्धों में उन पेंशन प्राप्त वृद्धों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो शासन से प्राप्त होने वाली वृद्धावस्था पेशंन प्राप्त कर रहे है।

विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि 50 प्रतिशत वृद्ध ऐसे है जो पूरी तरह से संयुक्त परिवार में रहते हुए या फिर एकाकी परिवार के रूप में जीवन की सांध्य बेला में

किसी न किसी रूप से अपने परिवारीजनों से आर्थिक रूप से सम्बंधित है परिवारीजनों की आर्थिक मदद से ही वे अपने जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे है।

आर्थिक निर्भरता होने का प्रमुख कारण शारीरिक एवं मानसिक क्षमता में ह्रास होने के साथ है उद्योग की नई अवधारणा से सामंजस्य न हो पाना है। जो वृद्ध बेरोजगार है और कुछ करने की इच्छा रखते हैं उन्हे संसाधन उपलब्ध नहीं हैं जिससे वे चाह कर भी अपने अनुभवों का उपभोग नहीं कर पा रहे है ।

सारणी संख्या – 4.2

शिक्षित वृद्धों के आय के स्रोत्रों से सम्बद्धता का विवरण

आयु समूह (वर्षो में)	वृद्धों की संख्या	शिक्षित वृद्धों की संख्या	आय के स्त्रोतों से सम्बद्ध वृद्धों का विवरण	
			संख्या	प्रति.
55–60	124	87	87	17.4
60–65	205	88	88	17.6
65–70	90	48	48	9.6
70–75	50	28	28	5.6
75 वर्ष से ऊपर	31	13	13	2.6

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक 88 शिक्षित वृद्धों में से सभी आय के किसी न किसी स्रोत्र से सम्बद्ध है जिनका प्रतिशतांक 17.6 है ये वे वृद्ध है जो आयु समूह 60–65 वर्ष के अन्तर्गत आते हैं आय के स्रोत्रों से सम्बद्ध सबसे कम वृद्धों का प्रतिशतांक 2.6 है जो 75 वर्ष से ऊपर के है। इस समूह के वृद्धों का प्रतिशत कम होने का कष्ट उनकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति में कमी है।

55–60 वर्ष आयु समूह के 87 शिक्षित व्यक्तियों में से 17.4 प्रतिशत व्यक्ति आय अर्जित कर रहे है। इस आयु समूह के लोग कुछ न कुछ करने की इच्छा तो रखते है किन्तु संसाधनों तथा पारिवारिक सहयोग के अभाव में ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहे है क्योकि नयी पीढी के युवा अपने बुजुर्गों की व्यावसायिक अवधारणा के अनुरूप कार्य करना उचित नहीं समझते हैं युवाओं की मान्यता है कि नये युग की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते पुरानी विचारधारा तथा व्यावसायिक अवधारणा के अनुरूप न तो व्यवसाय में सफल ही हुआ जा सकता है और न ही प्रतिस्पर्धा में आगे ही बढा जा सकता हैं (सारिणी संख्या – 4.2)।

जो वृद्ध आय के स्रोत्रों से सम्बद्ध रहे है उन्होने नें अपनी आय की अधिकांश बचत को पारिवारिक आवश्यकताओं की पूरा करने में व्यय किया है। अध्ययन क्षेत्र के 25.0 प्रतिशत वृद्धों ने मकान के निर्माण में, 17.0 प्रतिशत कन्या के विवाह में 44.8 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा तथा रोजगार उपलब्ध कराने में तथा 13.2 प्रतिशत वृद्धों ने धन को भविष्य हेतु संचित किया तो है किन्तु कालान्तर में उन्होने अपने पुत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी बचत को व्यय किया है।

जो मकान आदि वृद्धों ने बनवाये है उनका उपयोग उनके पुत्र, वधू तथा नाती–पोते आदि कर रहे है जब कि उन्हे आवास हेतु एक तंग स्थान ही उपलब्ध है आज उनके पास अपनी किंचित आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ भी उनके अधिकार क्षेत्र में नही रह गया है।

जहॉ तक वृद्धों को उनके समय पास करने के लिए समाचार पत्र, टी. वी. रेडियों की उपलब्धता की स्थिति है तो सारिणी संख्या–4.3 के देखने से स्पष्ट

सारिणी संख्या – 4.3

वृद्धों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	सुविधाओं की उपलब्धता									
		क		ख		ग		घ		ड.	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	75	60.4	85	68.5	72	58.6	60	48.3	62	50.0
60–65	205	70	34.1	65	31.7	50	24.3	35	17.07	10	4.8
65–70	90	25	27.7	30	33.3	15	16.6	10	11.1	8	8.8
70–75	50	5	10.00	7	14.0	00	0.00	00	0.00	00	0.00
75 वर्ष से ऊपर	31	00	00.00	00	00.0	00	00.0	00	00.00	00	00.0

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

क– पत्र – पत्रिका

ख– रेडियो

ग– टी.वी. / वी.सी.आर.

घ– फ्रिज कूलर

ड– स्कूटर कार

होता है कि चयनित क्षेत्र के 55–60 आयु समूह के वृद्धों में से 60.4 प्रतिशत को पत्र–पत्रिका 68.5 प्रतिशत को रेडियों 58.6 प्रतिशत को 48.3 प्रतिशत को फ्रिज कूलर तथा 50.0 प्रतिशत को कार स्कूटर जैसे सुविधाएं तथा मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो पा रहे है जैसे जैसे आयु समूह में वृद्धि होती जाती है वृद्धों की सुविधाओं में कमी होती जाती है क्षेत्र के 75 वर्ष से ऊपर आयु समूह के एक भी वृद्ध को यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ऐसा नहीं है कि वे जिस परिवार के अंग हैं वहाँ पर वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है लेकिन वृद्धों को प्रायः ये सुविधाएं मात्र मृग मरीचिका की ही भांति है क्योकि अधिकाशं पुत्र बधुएं तथा पुत्र ऐसा अनुभव करते है कि वृद्धों को कोई न कोई व्याधि लगी होती है जिसका प्रभाव परिवार के अन्य व्यक्तियों पर पड़ सकता है इसलिए वे इन सुविधाओं के उपभोग में उन्हे सहभागी नहीं बनाते है, फ्रिज या कूलर के उपयोग के सम्बन्ध में उनका तर्क होता है कि इनका उपभोग इनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है।

वृद्धों की आर्थिक परनिर्भरता

वृद्धजनों की संख्या और कुल जनसंख्या के मुकाबले उनके अनुपात में वृद्धि का एक खतरनाक परिणाम यह भी हो रहा है कि उनकी सामाजिक परनिर्भरता बडी तेजी से बढ रही है इस स्थिति को समाजशास्त्रीय शब्दावली में वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात कहा जाता है इसका अभिप्राय है 15 से 59 वर्ष तक के कामकाजी लोगों पर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की निर्भरता का अनुपात ।

1961 से 1991 के बीच इस निर्भरता अनुपात में लगातार बढोत्तरी हुई है 1961 में यह अनुपात 10.93 था जो 1991 में बढकर 12.26 हो गया। वर्तमान वृद्धि दर

के हिसाब से वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात सन् 2016 तक 14.12 हो जाएगा। इसमें यह तथ्य ध्यान देने योग्य है महिलाओं का निर्भरता अनुपात पुरूषों से अधिक है।

वृद्धावस्था निर्भरता का मुख्य कारण यह है कि वृद्धजन शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ आर्थिक रूप से भी पराश्रित हो जाते है। अधिकतर बड़े बूढ़े नौकरी और व्यवसाय आदि से निवृत्त हो जाते है तथा उनके बच्चे काम धंधा संभाल लेते है। बडी संख्या में वृद्धजन पहले की तरह सकियता के साथ काम कर पाने में असमर्थ हो जाते है ग्रामीण लोगो विशेषकर महिलाओं में निरक्षरता की दर ऊँची होने के कारण भी बड़ी उम्र के लोग कोई सम्मानजनक तथा अपनी ारीरिक क्षमता के उपयुक्त रोजगार नहीं पा सकते। नौकरी से मुक्त होने वाले व्यक्ति अवश्य अपने पास थोडा बहुत पैसा बचा कर कुछ बेहतर स्थिति में रह सकते है कितु इनमें भी जो लोग अपनी जमा ूपजी बच्चों के विवाह या मकान आदि पर लगा देते है उनकी परनिर्भरता बनी रहती है रोजगार और काम धंधा न होने का प्रभाव उनकी मानसिक स्थिति पर भी पडता है आर्थिक परनिर्भरता से उनके आत्मसम्मान को चोट पहुचती है और वे हीनभावना से ग्रस्त रहते है ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि वृद्धजनों को हताशा, हीनभावना, अकेलेपन की चिता तथा आर्थिक परनिर्भरता के दुष्प्रभाव से बचाना है तो उनके लिए छोटे मोटे काम धधें चलाने पर ध्यान देना होगा। इससे वे व्यस्त भी रहेगे और अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा कर सकेगें। वास्तव में काम में व्यस्तता वृद्धजनों के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से उपयोगी है। काम में लगे रहने से मानसिक तनाव में कमी आती है औरा उनकी शारीरिक सकियता भी कायम रहती है। इससे एक और महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि उनके अनुभव और ज्ञान का समाज की भलाई के लिए सदुपयोग किया जा सकता है।

वृद्धजन कल्याण को समर्पित राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख स्वयंसेवी संगठन हेल्पेज इंडिया ने अनेक स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने क्षेत्र में वृद्धजनों के लिए रोजगार जुटाने की परियोजनाओं के लिए व्यापक पैमाने पर वित्तीय सहायता तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई है। इनमें ऐसी गतिविधियां भी शामिल है जिनमें बडे बूढों को रोजगार मिलने के साथ साथ उनके क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए पिछले दिनों राजस्थान के जोधपुर जिले के 5 रेगिस्तानी गांवों में पीने के पानी का इंतजाम करने की एक योजना के लिए हेल्पेज इंडिया ने 14 लाख रूपये की सहायता दी । इसी तरह एक और परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को भेड बकरी पालने के लिए आसान किश्तों पर ऋण उपलब्ध कराये गये। इस योजना से कुछ ही महीनों में इन महिलाओं की माली हालत सुधर गई। केरल में वायनाड जिले के तीन गांवों में समुदाय भवन और पांच कुएं बनाने की परियोजना के लिए लगभग 8 लाख रूपए की सहायता दी गई जिससे वृद्धजनों को रोजगार तो मिला ही, उन्हे एक साथ मिल बैठने और सुख दुःख बांटने की जगह भी मिल गई तथा कुँओं से पानी की भी व्यवस्था हो गई जिससे उनका पारिवारिक जीवन सुखी हो गया।

वृद्धजनों को विभिन्न काम धंधों का प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम भी लाए जा रहे है। इनमें लिफाफे बनाना, मुर्गी पालन, दरी बुनना, दुधारू पशु पालन, सब्जी उगाना जैसे काम शामिल है। एक संस्था ने जड़ी बूटियां उगाने की परियोजना चलाई है रोजगार का वृद्धजनों के जीवन में कितना महत्व है, इसका अनुमान इसी तथ्य से लग जाता है कि 1991 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों की संख्या काफी है जो रोजगार की तलाश में है। हां, रोजगार चाहने वालों में महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में काफी कम है इसका कारण यह है कि

महिलाएं घर परिवार का काम करने तथा पोते पोतियों को पालने में व्यस्त रहती हैं और पारंपरिक रूप से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को महत्व नहीं दिया जाता।

सन् 2001 में हाने वाली जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है और उसके ऑकडे वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि की नई तश्वीर पेश करेंगे किन्तु वृद्धजनों की समस्या और उनके समाधान के प्रति हम अभी स सचेत और सक्रिय नहीं हुए तो हालत हाथ से निकल सकती है। यही कारण है कि 1991 को वृद्धजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। समाज, सरकार और वृद्धजनों तथा वृद्धावस्था की ओर बढ रहे लोगो को आने वाले समय की चुनौतियों को न केवल पहचानना होगा बल्कि अपने व्यक्तिगत पारिवारिक, आर्थिक तथा सामाजिक आचरण एवं परिस्थितियों में तदनुरूप परिवर्तन करने की ओर ध्यान देना होगा। युवा तथा अधेड़ उम्र के लोगों में चेतना लाना और अधिक आवश्यक है क्योकि उन्हें वृद्धजनों की समस्याओं, दुर्बलताओं तथा विवशताओं को समझकर सहानुभूति के साथ उनसे निपटना भी है और अपने जीवन में आने वाली वृद्धावस्था को सुखी और कष्ट रहित बनाने की तैयारी भी करनी है वो समय चला गया जब वृद्धावस्था की समस्या एक व्यक्ति या ज्यादा से ज्यादा परिवार तक सीमित थी। आज यह समस्या सामाजिक और राष्ट्रीय सीमाओं को लांध कर समूचे विश्व की समस्या बन चुकी है अतः इससे निपटने के प्रयास भी व्यक्तिगत, सामाजिक,राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने होंगें ।

अध्याय–5

वृद्ध व्यक्तियों की राजनीतिक गतिविधियां

- सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि
- समाज तथा राज्य
- सामाजिक आर्थिक विकास और राज्य
- आधुनिक राज्यों की संरचना
- राजनीतिक प्रकार्य
- नेतृत्व
- वृद्ध व्यक्तियों की राजनीतिक गतिविधियॉ
- वृद्ध व्यक्तियों का राजनीतिक दलों से सम्बन्ध
- वृद्ध व्यक्तियों का राजनैतिक संरचना के सम्बन्ध में दृष्टिकोण
- वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण में राजनैतिक दलों की भूमिका

वृद्ध व्यक्तियों की राजनीतिक गतिविधियां

चतुर्थ अध्याय में वृद्ध व्यक्तियों की आर्थिक निर्भरता की तार्किक विवेचना की गई है। इस अध्याय में वृद्ध व्यक्तियों की राजनैतिक गतिविधियों , सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि समाज तथा राज्य आर्थिक विकास और राज्य राज्यों की संरचना, प्रकार्य नेतृत्व, राजनैतिक दलों से सम्बन्ध, संरचना के प्रति दृष्टिकोण, वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण में राजनैतिक दलों की भूमिका की विवेचना की जाएगी।

प्रत्येक समाज में कुछ नियंत्रात्मक नियम होते हैं। आदिम और कृषक समाजों में इन नियमों की अभिव्यक्ति जनरीतियों और पंरपराओं के रूप में दिखाई देती है। आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में इन्होनें कानून का रूप ले लिया है। प्रत्येक समाज में इन प्रतिबंधात्मक नियमों को लागू करने के लिए कुछ निश्चित संगठन बनाए जाते है। आदिम समाजों में इन्हे जनजातीय सरदारों और सामुदायिक पंचायतों के द्वारा लागू कराया जाता है। कृषक समाजों में प्राचीन और मध्ययुगीन राज्यों का विकास हुआ। औद्योगिक व्यवस्था में इस कार्य को आधुनिक राज्य करते है आदिम समाजों में नियत्रंण की यह पद्धति अपनी आरंभिक अवस्था में होती है और इसका रूप एकदम अनौपचारिक होता है। अधिक जटिल समाजों में नियंत्रण की पद्धति अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार की होती है। समाज की प्रकृति जितनी ही जटिल होती, उसकी सामाजिक नियंत्रण की पद्धति

उतनी ही औपचारिक होती जाती है । सामाजिक नियंत्रण और इसे लागू करने वाले सगंठनों की नियम प्रणाली और कार्य पद्धति को राजनीतिक संस्था कहते है। औद्योगिक व्यवस्था में राज्य, सरकार, इसके विभिन्न अंग , शक्ति, सत्ता तथा राजनीतिक दल, मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत आते है।

जब हम राजनीतिक संस्था की बात करते है तो स्पष्ट रूप से इसके तीन पक्ष हमारे सम्मुख होते है –

1– नियंत्रण की पद्धति,

2– नियंत्रण के लिए संगठन,

3– नियंत्रण के लिए शक्ति का प्रयोग ।

उपरोक्त तीनों पक्षों का सबंध सामाजिक प्रणाली से है। अतः समाजशास्त्रियों की दृष्टि ने नियंत्रण की पद्धति, संगठन और शक्ति के वैध उपयोग की पद्धति के रूप में राजनीति, व्यापक सामाजिक प्रणाली की एक उपप्रणाली है। राजनीतिक संस्था का आशय नियंत्रण के नियमों, कार्यप्रणाली, संगठन और शक्ति के वैध प्रयोग से है।

आज की सामाजिक व्यवस्था में राज्य एक समूह के रूप में सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है राज्य के कार्यो का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। बोटोमोर के अनुसार राजनीतिक संस्था में समाज में सत्ता के बंटवारे से मुख्य रूप से संबधित होती है। सत्ता के साथ शक्ति का संबंध है। जो शक्ति संपन्न होता है और जिसके हाथ में सत्ता होती है

वह सामाजिक नियंत्रण के नियमों को लागू करने की भी क्षमता रखता है। आधुनिक समाज में यह कार्य राज्य करता है।

मैक्स वेबर का मत है कि एक मानव समुदाय के रूप में राज्य एक निश्चित भूक्षेत्र के अंतर्गत भौतिक शक्ति के वैद्य प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है।

मैक्स वेबर द्वारा राज्य की दी गई परिभाषा में मुख्य जोर भूक्षेत्र और भौतिक शक्ति के वैद्य प्रयोग पर है। वेबर की इस परिभाषा की काफी आलोचना हुई है क्या राज्य का आधार केवल शक्ति है? शक्ति पर आधारित राज्य क्या टिकाउ साबित हुये है ? इस परिभाषा की आलोचना के प्रसंग में इस तरह के सवाल उठाए गए है। यह सही है कि समाज की लोकतात्रिक राजनीतिक व्यवस्था शक्ति के प्रयोग की तुलना में सहमति पर आधिक आश्रित है। इस तरह शक्ति के सिद्धांत में दुर्बलता अंतर्निहित है। कोई भी समाज अथवा राजनीतिक प्रणाली केवल शक्ति पर आधारित नहीं हो सकती है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि मैक्स वेबर ने शक्ति के वैध सहयोग के एकाधिकार पर बल दिया है। इस तरह आधुनिक समाज में राज्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को दूसरे के भौतिक शक्ति के इस्तेमाल करने का एकाधिकार नहीं है। शक्ति के वैध प्रयोग का एकाधिकार केवल राज्य के पास है। इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि आधुनिक राज्य केवल भौतिक शक्ति पर आधारित है।

राज्य के संगठनात्मक ढोंचे को सरकार कहते है। राज्य की स्वीकृति विचारधारा के अनुरूप सरकार समाज का नियंत्रण करती है।

राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों विज्ञान राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते है लेकिन इनकी पद्धति मे अंतर है। राजनीतिशास्त्र राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, इनकी समग्रता में करता है। इसके लिए राज्य, सरकार, कानून, प्रभुसत्ता, राजनीतिक सिद्धांत एवं व्यवहार अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र है। समाजशास्त्र राजनीति और`इससे संबंधित प्रश्नों पर समाज की एक उपप्रणाली के रूप में विचार करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन में राजनीति पर स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि समाज के साथ इसके संबंध को ध्यान में रख कर विचार होता है।

समाज और राजनीति के पारस्परिक संबंधो पर गहराई से विचार करने के लिए समाजशास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक समाजशास्त्र नामक एक अलग शाखा ही पिछले कुछ दशकों में विकसित हुई है।

उन्नीसवीं सदी केआरंभिक समाजशास्त्रियों टॉकसिले 1835, कार्लमार्क्स 1846, आगस्त कोंत 1851–54 मॉर्गन 1877 तथा हरबर्अ स्पेंसर 1884 ने समाज और राजनीति के पारस्परिक संबंधों पर विचार किया है।

बीसवीं सदी में इस संबंध पर विशेष रूप से हॉबहाउस 1905, माहकेल 1915, परेटो 1916, मैक्स वेबर 1922, मेकाइवर 1926, मानहाइंम 1935, सी. राइट मिल्स 1948 तथा पारसंस 1969 ने प्रकाश डाला है।

अध्ययन की एक शाखा के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र के विकास में लिपसेट 1959 और कोजर 1966 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

उन्नीसवीं सदी के समाजशास्त्रियों के संमुख अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं थीं। यूरोप की सामाजिक संरचना में तेजी से परिवर्तन हो रहा थां फ्रांस की राजक्रांति, अमेरिका में उपनिवेशवादी शासन की समाप्ति, औद्योगिक क्रांति और लोकतात्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अभ्युदय का यूरोप के चिंतन पर गहरा प्रभाव पडा। समाज और राजनीति के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन की निम्नलिखित प्रवृत्तिंया इस अवधि में दिखाई पड़ती है।

1— समाज और राज्य की विकासवादी व्याख्या,

2— समाज और राज्य के पारस्परिक संबंध तथा इनमें प्राथमिकता की विवेचना,

3— राजनीतिक प्रणालियों का विश्लेषण।

इन प्रवृत्तियों पर एक एक करके विचार करना उचित होगा।

समाज एवं राज्य की विकासवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स, अगस्त, कोंत, मार्गन और स्पेंसर की रचनाओं में दिखाई पड़ती है इनके अनुसार

1— समाज के बढते आकार, इसकी जटिलता और इसकी नियंत्रण पद्धति में संबंध दिखई पड़ता है।

2— आदिम समाजों के रीतिरिवाजों और नियंत्रण की सरल पद्धति से क्रमशः मध्ययुगीन तथा आधुनिक राज्यों का विकास हुआ है।

3— विकास की इस प्रकिया और बढती भूक्षेत्रीय एकीकरण में संघर्ष और युद्ध की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

कोंत और स्पेंसर के अनुसार आदिम समाजों के बीच चलने वाली पारस्परिक लडाई के कारण इनका धीरे धीरे विस्तृत भूक्षेत्रीय समुदाय के रूप में संगठन हुआ। इन्हें भूक्षेत्रों के आधार पर संगठित करने वाली शक्ति के रूप में राज्य का विकास हुआ। मार्गन और मार्क्स के अनुसार आर्थिक संरचना, वर्ग और वर्गो के बीच चलने वाले पारस्परिक संघर्ष के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। मार्क्स के अनुसार सामाजिक जीवन के प्रत्येक काल में शक्तिशाली वर्ग ने अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग किया। मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था में राज्य भूस्वामियों और सामंतों को स्वार्थ रक्षा का हथियार था। पूंजीवादी व्यवसाय में यही पूंजीपतियों के हित की रक्षा करता है साम्यवादी व्यवस्था में राज्य द्वारा सर्वहारा श्रमिक वर्ग के हितों का संरक्षण होगा।

इंग्लैण्ड में संसद की सर्वोपरिता, फ्रांस की राज्यक्रातिं और सामाजिक संविदा के सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले प्रायः सत्रहवी सदी तक यह धारणा थी कि राज्य और राजतंत्र दैवी विधान द्वारा निर्मित है। राज्य एक सर्वोच्च शक्ति है। लेकिन ऊपर लिखी ऐतिहासिक घटनाओं के बाद लोकतात्रिक राजव्यवस्था का अभ्युदय हुआ।

समाज तथा राज्य

उन्नीसवीं सदी में समाज एवं राज्य के पारस्परिक संबंध और इनमें प्राथमिकता के प्रश्न को लेकन तीन तरह की सैद्धांतिक प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है।

1– पहली सैद्धांतिक प्रवृत्ति राज्य को सर्वशक्तिशाली मानती है। इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व जर्मन दार्शनिक हीगेल करते है।

2— दूसरी सैद्धांतिक प्रवृत्ति के अनुसार समाज सर्वोपरि है। राज्य केवल उपादान है। समाज की प्रकृति द्वंद्वात्मक अथवा संधर्षपूर्ण है। सामाजिक जीवन में वर्गो केबीच आपसी संधर्ष दिखाई पडता है। राज्य शक्तिशाली वर्ग का हथियार मात्र है। इस विचारधारा के मुख्य प्रतिपादक कार्ल मार्क्स है।

3— तीसरी विचारधारा के अनुसार राज्य का काम सामाजिक जीवन में व्यवस्था स्थापित करना है। समाज में केवल सघर्ष नहीं बल्कि संघर्ष और सहमति दोनों बातें पाई जाती है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य सहमति पर आधारित है इस मत का प्रतिपादन टाकविले ने किया है।

उन्नीसवी सदी के समाजशास्त्रियों के सामने राजनीतिक प्रणालियों के प्रकार सीमित थे। अतः उन्होने आदिम समाजों के सामाजिक नियंत्रण की पद्धति, कृषक व्यवस्था में राज्यों केविकास, रोम के नगर, राज्य, विभिन्न साम्राज्यों, मध्ययुगीन सामंती राजतंत्री प्रणाली और लोकतंत्र पर विचार किया है।

साम्यवादी और फासीवादी राजनीतिक प्रणालियों का विकास वीसवी सदी में हुआ अतः पहले के समाजशास्त्री इन पर विचार नहीं कर पाए है।

सामाजिक राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए बोटोमोर ने राजनीतिक प्रणालियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है।

1— आदिम समाज स्पष्ट एवं स्थायी राजनीतिक संरचना का अभाव,

2– नातेदारी और धर्म से प्रभावित स्पष्ट तथा स्थायी राजनीतिक प्रणाली का विकास इसके भी भाग है जैसे

क– नगर राज्य,

ख– नगर राज्यों पर आधारित साम्राज्य,

ग– सामंती राज्य,

घ– केंद्रीकृत अधिककारीतंत्र पर आधारित एशिया के राज्य,

ड – राष्ट् राज्य

3– आधुनिक लोकतात्रिक राज्य,

4– आधुनिक अधिनायकवादी राज्य,

5– राष्ट्रों राज्यों पर आधारित साम्राज्य,

उपरोक्त वर्गीकरण राजनीतिक प्रणालियों के विकास को स्पष्ट करता है। राज्य भी एक तरह का सामाजिक समूह है। इसमें सामाजिक नियंत्रण की द्वितीयक प्रणाली पाई जाती है। राज्य के लिए भूक्षेत्र, जनता, सरकार और सार्वभौमिकता का होना अनिवार्य है।

राज्य अपने प्रकार्यो को सरकार द्वारा पूरा करता है। सरकार का अर्थ राजा अथवा राज्याध्यक्ष, संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस, सेना, दण्ड, कानून पताका तथा वर्दी के मिले जुले स्वरूप से है।

राजनीतिक प्रणाली की दृष्टि से एकबात ध्यान रखने योग्य है कि इंग्लैण्ड, हॉलेण्ड और जापान में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाबजूद राजतंत्रीय प्रणाली जीवित है।

नेपाल और`भूटान ऐसे राज्य है जहां चुनावों के बाद भी प्रभुसत्ता राजा में केंद्रित है। कुद ऐसे भी राज्य है जहॉ चुनाव तो होता है लेकिन वास्तविक सत्ता सेनाध्यक्ष के हाथ में होती है जो तानाशाह की तरह शासन करता है अभी हाल तक पाकिस्तान में इसी प्रकार का शासन था। और बांग्लादेश में अभी भी इस प्रकार का शासन है।

सामाजिक आर्थिक विकास और राज्य

समाज आर्थिक संस्थाओं, राज्य, राज्य के विकास में पारस्परिक संबध है। आखेट, खाद्य संकलन और आरंभिक कृषि वाले आदिम समाज, परिवार, नातेदारी तथा ग्राम्य समुदायों के द्वारा संगठित थे। इन संगठनों के सरदार अथवा मुखिया होते थे। जनरीतियों के द्वारा इनका नियंत्रण होता था। इनकी सदस्यता और भूक्षेत्र सीमित थे। इनमें नियंत्रण तथा व्यवस्था की अवधारणा या तो बिल्कुल नहीं थी और अगर थी भी तो अत्यंत आरंभिक अवस्था में ।

कृषक समाजों में क्षेत्रीय एकीकरण के साथ समुदाय का आकार विस्तृत हुआ। गांव के स्थान पर कई गावोंके समुह एक भूक्षेत्र के अंतर्गत आए। नियंत्रण की समस्या भी जटिल हुई और इस तरह मुखिया और सरदारों के स्थान पर राजतंत्र का विकास हुआ। परिवार और नातेदारी के स्थान पर भूक्षेत्रीय संबध हुए। कृषिव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन, वाणिज्य के क्षेत्र और मात्रा`में वृद्धि यातायात के विकास मुख्य रूप से हाथियों तथा घोडों के पालने और प्रशिक्षण की विधि के विकास तथा रथों के आविष्कार के बाद जो साम्राज्य, यूरोप में रोमन साम्राज्य और`चीन के आरंभिक साम्राज्य इस तरह के विशाल राज्यों के उदाहरण है। मध्ययुग में राजनीतिक सत्ता और नियंत्रण की प्रणाली का स्वरूप सामंतवादी अथवा राजतंत्रात्मक था।

औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था के विकास के साथ स्वतंत्रता समता तथा व्यक्तिवाद की विचारधाराएं उभरी। इन विचारधाराओं के कारण लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली का विकास हुआ। इस तरह राज्य ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों से उत्पादित संरचना है। आधुनिक राज्य और सरकार के विकास के कालक्रम इस प्रकार है।

1– आदिम सामाजिक व्यवस्था में संबधं परिवार नातेदारी और गावों तक सीमित थे। इस व्यवस्था में नियंत्रणं तथा नियमन का कार्य शारीरिक शक्ति साहस और बुद्धि वाले व्यक्तियों जैसे परिवार नातेदारी समूहों तथा गावों के मुखिया अथवा सरदार के हाथ में था। कुछ आदिम समाजों में सामुदायिक पंचायतें भी थी।

2– कृषकव्यवस्था में भूक्षेत्रीय एकीकरण हुआ और राज्यों का आकार विस्तृत हुआ। इस स्तर पर राजाओं द्वारा शासित छोटे छोटे राज्य बनें।

3– विकसित प्रणाली, अतिरिक्त उत्पादन वाणिज्य, धर्म के प्रसार, यातायात में सुधार के साथ विशाल साम्राज्यों की उत्पत्ति हुई।

4– संघर्ष और युद्व के कारण विशाल साम्राज्यों का पतन हुआ और फिर इनके स्थान पर सांस्कृतिक समूहों के आधार पर मध्य युग में राज्य बनें। स्पेन, पुर्तगाल, इग्लैण्ड, फ्रांस आदि इसके उदाहरण है।

5– औद्योगिक व्यवस्था और पूंजीवाद के विकास के साथ मध्युगीन राजतंत्रात्मक प्रणाली के स्थान पर आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली के स्थान पर आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों का निर्माण हुआ। इन राज्यों में व्यक्तिवादी विचारधारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप के सिद्वांत पर जोर दिया गया।

6– जिन राज्योंमें औद्योगिक विकास `के साथ पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, उन्होनें विकास के दूसरे हिस्सों, जहां आदिम सामुदार्यिक अथवा कृषि की व्यवस्था थी के ऊपर बाजार के लिए आधिपत्य किया। इस प्रकिया में पूंजीवादी साम्राज्यवादी राज्यों का विकास उन्नीसवीं तथा बीसवीं सदी में हुआ। इस प्रकार के साम्राज्य स्थापित करने वाले राज्यों में इग्लैण्ड, फ्रांस हॉलैण्ड, बेलजियम, स्पेन तथा पुर्तगाल प्रमुख थे।

7– पूंजीवादी साम्राज्यवादी राज्यों की आपसी होड के कारण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, लड़े गये। प्रथम विश्वयुद्व की अवधि में रूस में सन् 1917 में समाजवादी राज्य और युद्व के बाद इटली में सन् 1922 में फासिस्ट राज्य की स्थापना हुई, इसके नेता मुसोलिनी थे।

8– सन् 1945 में द्वितीय विश्वयुद्व की समाप्ति के बाद युद्व के कारण क्षत विक्षत साम्राज्यवादी शक्तियॉ एशिया और अफ्रीका स्थिति उपनिवशों के ऊपर अपने प्रभुत्व को बनाए रखने में असमर्थ साबित हुई। एशिया और अफ्रीका के देशों को स्वाधीनता मिली। इस तरह स्वाधीन राष्ट्रों का एक नया समूह उभरा। भारत, बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिंबावे, नाइजीरिया, अंगोला आदि ऐसे राज्यों के उदाहरण है।

आधुनिक राज्यों की संरचना

आधुनिक राज्यों की संरचना के मूलभूत तत्व भूक्षेत्र, नागरिक, सरकार, प्रभुसत्ता, और नागरिकों की राज्य के प्रति स्वाभाविक भक्ति भावना है। सरकार के निम्नलिखित तीन अंग होते है।

1– व्यवस्थापिका, जो कानून बनाने का कार्य करती है।

2– कार्यपलिका, जो कानूनों को लागूकरती है।

3— न्यायपालिका, जो कानूनों की व्याख्या के आधार पर विवादों का निपटारा करती है।

आधुनिक युग में कानून का शासन है। जनजातिय एवं कृषक समाजों में जो काम जनरीतियां करती है आज उस काम को कानून करता है। इस तरह कानून भी आधुनिक राज्यों की संरचना का एक अनिवार्य तत्व है।

आधुनिक सरकारों का संचालन राजनेताओं और अधिकारियों के हाथ में होता है। राजनेताओं द्वारा निर्धारित नीतियों का कियान्वयन अधिकारी और कर्मचारी करते है। इस व्यवस्था को अधिकारी तंत्र कहते है। आज की राजनीति सत्ता के चतुर्दिक घूमती है। सरकार के पास शक्ति होती है। शक्ति और सत्ता के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में सतत प्रतिस्पर्धा चलती रहती है।

इस तरह संक्षेप मेंआधुनिक राज्य की संरचना के निम्नलिखित तत्व है।

1— भूक्षेत्र, नागरिक, प्रभुसत्ता, और राज्य के प्रति नागरिकों की भक्ति भावना।

2— सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता के पार्थक्य की पद्धति ।

3— कानून

4— अधिकारी तंत्र।

5— प्राधिकार।

6— सत्ता।

7— शक्ति।

8— नियम, प्रतिमान और कार्य प्रणाली।

राजनीतिक प्रकार्य

यंग और मैक के अनुसार आधुनिक लोकतात्रिक प्रणाली में सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का पार्थक्य होता है। ये विभिन्न अंग अपने अपने प्रकार्यों को पूरा करते है। इनके अनुसार निम्नलिखित तीन राजनीतिक प्रकार्य है–

1– समाज के संचालन के लिए प्रतिमानों का संस्थाकरण अथवा कानूनों का निर्माण।

2– संस्थागत प्रतिमानों द्वारा सामाजिक संघर्षों का निपटारा।

3– राज्य के संचालन की योजना और संस्थागत प्रतिमानों का कार्यान्वयन।

प्रतिमानों के संस्थाकरण के लिए लोकतात्रिक व्यवस्था में चुनी हुई व्यवस्थापिका होती है। संघर्षो के निपटारें के लिए न्यायपालिका होती है। प्रतिमानों और नीतियों के कियान्वयन के लिए कार्यकारिणी होती है।

राजनीति के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में निम्नलिखित अवधारणाओं का बार बार प्रयोग होता है।

1– नेतृत्व

2– सत्ता

3– शक्ति

4– प्रभाव

राज्य और सरकार की कार्य प्रणाली तथा राजनीतिक संघर्ष की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं है। सबसे पहले इनके अर्थ का स्पष्टीकरण आवश्यक है।

नेतृत्व

नेत्त्व की समाजशास्त्रीय अवधारणा के विकास में मैक्स वेबर का योगदान है। वेबर के अनुसार नेतृत्व का अर्थ आदेश पालन की संभावना से है इसके दो पक्ष है। पहले पक्ष में वे व्यक्ति अथवा समूह आते है जिनके पास आदेश देने का अधिकार होता है दूसरे पक्ष में वे लोग सम्मिलित किए जा सकते है जो आदेशों का पालन करते है वेबर के अनुसार अधिकाशं आदेशों का पालन दो बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

1– स्वार्थपूर्ति की भावना के कारण,

2– प्रथाओं के कारण,

वेबर के अनुसार निपट स्वार्थ अथवा बिना किसी अभिव्यक्ति के अंध आज्ञापालन इन पर आधारित सत्ता संरचना टिकाऊ नहीं हो सकती है। वेबर का मत है कि तीन आधारों पर प्राधिकार वैध होता है। वे निम्नाकित है–

1– कानून,

2– परंपरा,

3– करिश्मा,

इनके आधार पर मैक्स वेबर नेतृत्व को तीन श्रेणियों में विभाजित करते है। 1– कानूनी प्राधिकार, 2– परंपरात्मक प्राधिकार, 3– करिश्मायुक्त प्राधिकार ।

कानूनी व्यवस्था पर आधारित प्राधिकार की नियुक्ति की औपचारिक कार्यप्रणाली होती है। इन अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य कानून द्वारा निर्धारित होते है। इस व्यवस्था में किसी व्यक्ति के स्थान पर निश्चित नियमों द्वारा परिभाषित पद की आज्ञा का पालन होता हैं किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति एक व्यक्ति होता है लेकिन जब तक वे अपने पद पर रहते है तभी तक उन के आदेशों का पालन होता है।इस व्यवस्था का वेबर के अनुसार सबसे अच्छा उदाहरण अधिकारीतंत्र है।

परंपरागत प्राधिकार सामाजिक व्यवस्था के प्रति पवित्रता के विश्वास पर आधारित होता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था परंपरात्मक प्राधिकार का अच्छा उदाहरण है संतान अपने पिता के प्रति सम्मान और आज्ञापालन की भावना परंपरागत प्राधिकार के कारण रखती है।

वृद्धों की राजनीतिक गतिविधियां

किन्तु बदलते सामाजिक मूल्यों, बढ़ती स्वार्थपरता सम्मान देने की परम्परा में आ रहे बदलाव सत्तात्मक पक्ष में परिलक्षित हो रहे है। यद्यपि वृद्धों के प्रति दायित्वों की स्वीकृति एवं उनके सम्मान के परम्परागत पारिवारिक मूल्य अभी भी कुछ न कुछ मात्रा में विद्यमान है किन्तु बदल रहे सामाजिक आर्थिक परिवेश में नयी समस्याएं उठ रही है। गॉवों में परम्परागत जमीदार परिवारों में वृद्ध व्यक्ति इस अनुभव से काल्पनिक रूप में सन्तुष्ट रहते है कि परिवार की सम्पत्ति में

उनका भी अधिकार है। किन्तु शहरी परिवारों में अर्थ व्यवस्था में कियाशीलता समाप्त होने के कारण आर्थिक भूमिका व स्तर प्रायः खो सा जाता है। यदि उनके पास बचत राशि है तो वे श्रेष्ठता का भाव रखते है और राजनैतिक गतिविधयों में भाग लेते है तथा किसी न किसी रूप में राजनैतिक दलों के सदस्य भी हो जाते है।

किन्तु अचानक दैनिक कार्यों से अलग होने और `अपने पुत्रों और `रिश्तेदारों पर `आर्थिक रूप से आश्रित होने पर राजनैतिक गतिविधियों में कियाशील होने की इच्छा उनमें समाप्त सी हो जाती है।

सारिणी संख्या–5.1 के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धों में आयु समूह 60–65 वर्ष के 36.4 प्रतिशत वृद्ध राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेते हे जब कि 75 वर्ष से अधिक आयु समूह के 0.4 प्रतिशत वृद्ध की राजनैतिक गतिविधियों के भागीदार हैं।

सारिणी संख्या – 5.1

वृद्ध व्यक्तियों की राजनैतिक गतिविधियों का विवरण

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्ध व्यक्तियों की संख्या	राजनैतिक गतिविधियों का विवरण			
		हाँ		नहीं	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	102	20.4	22	4.4
60–65	205	182	36.4	23	4.6
65–70	90	65	13.0	25	5.0
70–75	50	22	4.4	28	5.6
75 वर्ष से ऊपर	31	02	0.4	29	5.8

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

55–60 वर्ष आयु समूह के 20.4 प्रतिशत वृद्ध ही राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेते है क्योकि वे सेवा काल के अन्तिम दिनों में होते है उन्हे अपने अवकाश गृहण करने के पश्चात भविष्य की योजनाओं की चिन्ता होती है यदि वे आर्थिक रूप से इतने सबल होते है कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते है तो वे सेवा समाप्ति के पश्चात् राजनैतिक गतिविधियों में अपने अवकाश के क्षणों का उपभोग करते है।

जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है शारीरिक तथा मानसिक शिथिलता बढ़ती जाती है साथ ही आर्थिक रूप से परिवार के अन्य सदस्यों के उपर निर्भर रहने के कारण वे राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते है क्योकि उन्हे इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए धन की आवश्यकता कुछ न कुछ होती है।

जो वृद्ध राजनैतिक दलों से सम्बन्ध रखते है उनमें सर्वाधिक 42.9 प्रतिशत वृद्ध भारतीय जनता पार्टी से तथा 7.1 प्रतिशत वृद्ध अन्य दलों से सम्बन्ध रखते है 18.3 प्रतिशत वृद्ध कॉग्रेस से 17.2 प्रति वृद्ध बहुजन समाज पार्टी से तथा 13.5 प्रतिशत वृद्ध समाजवादी पार्टी से सम्बन्ध रखते है।

भाजपा से सम्बन्ध रखने वालों का प्रतिशतांक अधिक होने का कारण है कि जो वृद्ध इस दल से सम्बन्ध रखते है वे पूर्व में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य रहे है तथा इसकी विचार धारा के समर्थक है (सारिणी संख्या 5.2)।

सारिणी संख्या - 5.2

वृद्ध व्यक्तियों का राजनैतिक दलों से सम्बन्ध

आयु समूह (वर्षों में)	राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले वृद्धों की संख्या	राजनैतिक दलों की सदस्यता									
		क		ख		ग		घ		ड.	
		सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.
55—60	102	30	8.0	25	6.7	19	5.0	21	5.6	07	1.8
60—65	182	95	25.4	28	7.5	24	6.4	20	5.3	15	4.0
65—70	65	25	6.7	10	2.6	20	5.3	07	1.8	03	0.8
70—75	22	10	2.6	05	1.3	02	0.5	03	0.8	02	0.5
75 वर्ष से ऊपर	02	01	0.2	01	0.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0
योग	373	161	42.9	69	18.3	65	17.2	5.1	13.5	27	7.1

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

क– भारतीय जनता पार्टी

ख– कॉंग्रेस

ग– बहुजन समाज पार्टी

घ– समाजवादी पार्टी

ड.– अन्य दल

सारिणी संख्या – 5.3

वृद्ध व्यक्तियों का राजनैतिक संरचना के सम्बन्ध में दृष्टिकोण

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्ध व्यक्तियों की संख्या	राजनैतिक संरचना उचित / अनुचित			
		हॉ		नहीं	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	24	4.8	100	20.00
60–65	205	95	19.0	11.0	22.00
65–70	90	35	7.0	55	11.00
70–75	50	20	4.0	30	6.0
75 वर्ष से ऊपर	31	14	2.8	17	3.4

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

वृद्धों का राजनीतिक संरचना के प्रति दृष्टिकोण

वर्तमान राजनैतिक संरचना के सम्बन्ध में वृद्धों का दृष्टिकोण जानने का शोधार्थिनी द्वारा प्रयास किया गया जिसमें सारिणी संख्या 5.3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के 315 वृद्ध बर्तमान सरंचना को उचित नहीं मानते है। राजनैतिक प्रतिशंताक 62.4 है जबकि 37.6 प्रतिशत वृद्ध संरचना के पक्ष में दृष्टिकोण रखते है।

75 वर्ष से ऊपर आयु समूह के वृद्धों का प्रतिशत 3.4 सबसे कम है जो संरचना को उचित नहीं मानते है जब कि 60–65 आयु समूह तथा 55–60 आयु समूह के वृद्ध वर्तमान राजनैतिक संरचना को उचित नहीं मानते है जिनका प्रतिशतांक क्रमशः 22.0 तथा 20.0 है।

अधिकांश वृद्ध व्यक्तियों की मान्यता है कि वर्तमान राजनीति में क्षेत्रीय दलों की प्रचुरता बढ़ती जा रही है जो स्थिर सरकार प्रदान करने में सक्षम नहीं है स्थिर राष्ट्रीय सरकार के अभाव में राष्ट्रीय प्रगति अपेक्षाकृत बाधित होती है स्थिर सरकार के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजनैतिक दल समयानुसार संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तित की जाए इसके लिए आवश्यक हो तो संविधान में भी बदलाव किया जाए, क्योकि जो संविधान है वह वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के पूर्णतया अनुकूल नहीं है।

प्रस्तुत सारिणी संख्या 5.4 में गवेषिका द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण में राजनैतिक दल क्या कोई भूमिका का निर्वाह कर सकते है इस सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र के 500 वृद्धों में से 311 वृद्धों की यह

मान्यता है कि राजनैतिक दल यदि चाहें तो वर्तमान में वृद्धों की जो समस्याएं है उन्हे वे अपने प्रयासों के माध्यम से हल करने में सहायक सिद्ध हो सकते है ऐसे वृद्धों का प्रतिशंताक 62.2 है।

जब कि 189 वृद्ध ऐसे हे जिनकी मान्यता है कि राजनैतिक दल वृद्धों की समस्याओं के निराकरण में कोई सहयोग नहीं कर सकते है क्यों कि उनकी रूचि तो युवाओं की समस्याओं तक ही केन्द्रित होता है क्योकि युवा ही उनकी नीतियों के प्रचार प्रसार तथा

सारिणी संख्या – 5.4
वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में वृद्धों के विचार

टायु समूह (वर्षों में)	वृद्ध व्यक्तियों की संख्या	स्मस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में विचार			
		ळॉ		नहीं	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	102	20.4	22	4.4
60–65	205	108	21.6	93	18.4
65–70	90	54	10.8	46	9.2
70–75	50	31	6.2	19	3.8
75 वर्ष से ऊपर	31	16	3.2	15	3.0
योग	500	311	62.2	189	38.8

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

चुनाव आदि में महत्व पूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है। यहाँ तक कि आज के युवा नेता वृद्धों के अनुभवों का लाभ उठाने का भी कोई प्रयास नहीं करते है वे वृद्धों का निष्क्रिय प्राणी मात्र मानते है।

विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वृद्धों की राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता के अभाव के कारण राजनैतिक आधार पर उनहे जो लाभ मिलने चाहिए नहीं मिल पा रहे है यहाँ तक कि वृद्धावस्था पेंशन जैसी सुविधा का लाभ भी उन्हे सहजता से प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

जो वृद्ध आज राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय है वे आर्थिक रूप से सुदृढ आधार वाले है उनकी आर्थिक निर्भरता परिवार के किसी दूसरे सदस्य पर नहीं है बल्कि वे स्वयं में आत्मनिर्भर है उन्हे अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए किसी की ओर निरीह दृष्टि से नहीं देखना पड़ता है। राजनीति की वर्तमान परिस्थितियों में वृद्धों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है उनके अनुभवों का लाभ उठाकर राजनीतिक अस्थिरता को स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। इससे जहाँ राजनीतिक स्थिरता आएगी वहीं वृद्धों को यह एहसास होगा कि उनके अनुभवों तथा उन्हें सम्मान दिया जा रहा है।

✿✿✿

अध्याय–6

वृद्ध व्यक्तियों का पारिवारिक सामन्जस्य

- परिचय
- परिवार की विशेषताएं
- परिवार का विकास
- परिवार के प्रकार्य
- परिवार प्रणाली में परिवर्तन और तत्जनित समस्याएं
- वृद्धों की कार्य करने की क्षमता का विवरण
- बीमारी से सम्बन्धित वृद्ध व्यक्तियों का विवरण
- वृद्ध व्यक्तियों का पेंशन व्यय करने का विवरण
- पारिवारिक कलह का विवरण
- पारिवारिक कलह में वृद्धों की भूमिका

- वृद्धों के प्रति बहुओं का व्यवहार
- वृद्धों के प्रति बच्चों का लगाव
- पारिवारिक सामन्जस्य स्थापित करने में मित्रों रिश्तेदारों की भूमिका
- वृद्धों की समस्या समाधान में स्थानीय प्रशासन की स्थिति
- वृद्धों का पुनर्वास सम्बन्धी संवैधानिक संशोधन सम्बन्धी दृष्टिकोण

वृद्ध व्यक्तियों का पारिवारिक सामन्जस्य

पंचम अध्याय में वृद्ध व्यक्तियों की राजनीतिक गतिविधियों की तर्कपूर्ण विवेचना की गई है। इस अध्याय में वृद्ध व्यक्तियों के पारिवारिक सामन्जस्य, परिवार, परिवार की विशेषता, विकास, प्रकार्य, तत्जनित समस्यायें, बीमारी बहुओं का व्यवहार, बच्चों का वृद्ध व्यक्तियों से लगाव, स्थानीय प्रशासन के योगदान की संभावना तथा संवैधानिक सुधार से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर विचार प्रस्तुत किए जाऐंगे।

परिवार

परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। मनुष्य परिवार में ही जन्म लेता है। अपनी बाल्यावस्था में वह परिवार में ही भाषा, व्यवहार, पद्धति तथा सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है। किसी न किसी रूप में परिवार सार्वभौम समूह है। यह जनजातीय, ग्रामीण और नगरीय समुदायों सभी धर्मों के मानने वालों तथा सभी संस्कृतियों में पाया जाता है।

परिवार के इस सार्वदेशिक स्वरूप के उपरांत भी विभिन्न समाजों में इसकी संरचना में व्यापक विभिन्नता दिखाई देती है। जनजातीय और कृषक समाजों में कई

पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। इनमें बड़े आकार के अथवा संयुक्त परिवार पाए जाते है औद्योगिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत परिवार का आकार सिमट कर पति, पत्नी और बच्चों तक सीमित रह गया है। इसे समाजशास्त्रियों ने एकाकी परिवार कहा है।

परिवार के दो पक्ष है संरचनात्मक और संस्थागत। परिवार कुछ सदस्यों से मिलकर बनता है। ये सदस्य साथ रहते हैं। इनका घर होता है। इनके बीच पारस्परिक संबध होता है। साथ रहने के इनके कुछ निश्चित लक्ष्य होते है इस अर्थ में परिवार एक समूह है। परिवार की संरचना के मूल में कुछ निश्चित नियम और कार्यप्रणाली है इस दृष्टि से परिवार एक संस्था भी होता है।

मैकाइवर और पेज का मत है कि परिवार यौन सबन्धो के द्वारा परिभाषित एक निश्चित और दीर्धकालीन समूह है जो बच्चों का प्रजनन और लालनपालन करता है। इनमें अन्य रक्त संबंधी भी साथ रह सकते है लेकिन मुख्य रूप से इनकी संरचना स्त्री पुरूष और उनके बच्चों के साथ रहने से होती है। इनके साथ रहने से जो इकाई बनती है, उसे परिवार कहते है। ऑगबर्न और निमकॉफ का विचार है कि परिवार पति पत्नी के साहचर्य से बनी, बच्चों सहित अथवा बिना बच्चों की समिति है। इनके अनुसार केवल पति पत्नी अथवा स्त्री अथवा बच्चे अथवा केवल पुरूष तथा बच्चों के साथ रहने से भी परिवार बन सकता है। इनके अनुसार परिवार केवल इन्ही व्यक्तियों तक सीमित नहीं है इसका आकार विस्तृत भी हो सकता है। इसमें कई पीढ़ियों के लोग तथा संबंधी साथ साथ रह सकते है ये सभी मिलकर जो इकाई बनाते है, उसे ऑगबर्न और निमकाफ के अनुसार संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। ये लोग परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर करते है।

परिवार के कुछ निश्चित तत्व होते है वे इस प्रकार हैः–

1– परिवार एक प्राथमिक निश्चित और दीर्घकालीन समूह होता है ।

2– इस समूह की रचना पति पत्नी के सापेक्ष्य रूप में स्थायी साहचर्य और यौन संबंधों से होती है।

3– परिवार में पति पत्नी के बच्चे भी साथ रहते है परिवार बच्चों का प्रजनन और लालन पालन करता है।

4– परिवार का आकार विस्तृत भी हो सकता है जिसमें कई पीढ़ियों के लोग साथ रह सकते है।

5– परिवार का आकार केवल पति पत्नी अथवा केवल पुरूष एवं बच्चे अथवा केवल स्त्री और बच्चे तक भी सीमति हो सकता है।

6– जब कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते है तो उसे घराना या संयुक्त परिवार कहा जाता है।

परिवार की विशेषताऐं

स्त्री पुरूषों के साथ रहने, बच्चों के प्रजनन एक लालन पालन मात्र से ही परिवार नहीं बन जाता है स्त्री पुरूष के संबंधों को स्थायी रूप से पति पत्नी के संबंधों में बदल देने में विवाह की भूमिका उल्लेखनीय है। यौन संबंधों और प्रजनन के साथ मनोवैज्ञानिक लगाव का होना भी अनिवार्य है। समाजशास्त्रीय महत्व की दृष्टि से समाज का कोई अन्य संगठन परिवार से मुकाबला नहीं कर सकता है। मैकाइबर और पेज के अनुसार परिवार की निम्नाकित विशेषताएं हैः–

1– सार्वभौमिकता,

2– भावनात्मक आधार

3– व्यक्ति के आरंभिक जीवन को प्राभावित करने वाला सामाजिक पर्यावरणात्मक स्वरूप,

4– सीमित आकार,

5– सामाजिक संरचना की केंद्रीय स्थिति,

6– सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना ,

7– सामाजिक नियमन,

8– स्थायी अथवा अस्थायी प्रकृति,

परिवार की उपरोक्त परिभाषाओं और विशेषताओं पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि एक ओर तो इसका जैविकीय पक्ष है जिसके द्वारा स्त्री पुरूष निश्चित नियमों और विधियों के द्वारा पति पत्नी बनते है। वे आपस में यौन और भावात्मक संबंध रखते है, तथा बच्चों का प्रजनन और लालनपालन करते है। दूसरा इसका सामाजिक पक्ष है जिसके अंतर्गत परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालने करते है एक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणके रूप में परिवार अपने सदस्यों के जीवन को सामाजीकरण के प्रकिया द्वारा प्रभावित करता है। अपने सदस्यों के व्यवहारों का परिवार नियमन भी करता है।

परिवार का आकार अन्य समूहों संगठनों और समितियों की तुलना में छोटा होता है इस प्रसंग में यह ध्यान में रखनें की बात है कि परिवार का आकार कभी कभी कृषक और जनजातीय समुदायों में बहुत बडा भी हो सकता है। परिवार की प्रकृति सार्वदेशिक है क्योकि यह सभी समाजों में पाया जाता है परिवार का अस्तित्व एक समूह के रूप में स्थायी है परिवार विशेष की प्रकृति स्थायी अथवा अस्थायी हो सकती है।

परिवार का विकास

परिवार का आधुनिक संगठन कई सोपानों से होकर गुजरा है। परिवार, विवाह, आर्थिक व्यवस्था और उत्तराधिकार में अतंसंबंध है। परिवार की संरचना, कार्य पद्धति तथा प्रकार्य सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन के साथ बदलते रहे है।

मार्क्स एंगेल्स और मोर्गन के इस मत का प्रतिपादन किया है कि आदिम समाज में यौन संबंधों की स्वच्छंदता थी और उनमें परिवार तथा विवाह की संस्थाओं का अस्तित्व नहीं था कुछ आदिम समाजों में उत्सव के समय यौन संबंधों के छूट या पत्नियों की अदला बदली की प्रथा के कारण ये लोग इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचे थे। मानवशास्त्रियों द्वारा आदिम समाजों के अध्ययनों और विशेषकर मैलिनास्की के शोधों से इस बात की पुष्टि होती है कि किसी न किसी रूप में आदिम समाज में भी परिवार का संगठन पाया जाता है। आदिम सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में विशेषकर कृषि व्यवस्था में अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता पडती है अतः इन समाजों में परिवार का आकार प्रायः विस्तृत होता है इनमें बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी इस कारण भी परिवार का आकार बडा होता था।

औद्योगिक नगरीय व्यवस्था में परिवार का आकार छोटा हो गया है। इस व्यवस्था में परिवार का अर्थ प्रायः पति पत्नी तथा उनके बच्चों तक सीमित हो गया है।इसके पीछे कुछ सामाजिक और आर्थिक कारक है। श्रम और वेतन पर आधारित व्यवस्था में अकेला व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। रोजगार की तलाश में व्यक्ति गांव से नगर में आता है। नगर में वेतन मकान और जीविका की बाध्यताएं उसे परिवार को सीमित करने के लिए प्रेरित करती है

आधुनिक नगरीय औद्योगिक व्यवस्था में विवाह का आधार प्रेम और व्यक्तिगत पसंद पर आधारित है। इस कारणभी परिवार का आकार छोटा हुआ है।

परिवार के प्रकार्य

एक समूह के रूप में परिवार अनेक प्रकार्यो को पूरा करता हैं मरडाक के अनुसार परिवार के निम्नांकित प्रकार्य है 1– यौनगत 2– प्रजननात्मक 3– आर्थिक 4– शैक्षणिक ।

गुडे के अनुसार परिवार के निम्नलिखित कार्य है 1– बच्चों का प्रजनन 2– पारिवारिक सदस्यों का भौतिक अनुरक्षण 3– बच्चों एवं वयस्कों के सामाजिक स्थान का निर्धारण 5– सामाजीकरण एवं भावनात्मक सहारा 6– सामाजिक नियंत्रण ।

परिवार के उपरोक्त प्रकार्यो को निम्नाकित चार भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1– जैवकीय,

2– सामाजिक,

3– मनोवैज्ञानिक,

4– आर्थिक,

सबसे पहले परिवार जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है यौन संतुष्टि। परिवार यौनसंतुष्टि की आवश्यकता को विवाह के माध्यम से संस्थागत स्वरूप देता है। बिना परिवार बनाए भी यौनसंतुष्टि संभव है। लेकिन परिवार के माध्यम से इस जैविकीय आवश्यकता की पूर्ति को सामाजिक स्वीकृति मिलती है। परिवार का दूसरा जैविकीय कार्य बच्चों का प्रजनन है। प्रजनन के द्वारा मानव जाति की एक पीढी से दूसरी तक गुजरते हुए जीवित रहती है प्रजनन के साथ मनुष्य की अनेक मनोवृत्तियां जुडी है जिनमें संतान के रूप में वंशज का संतोष प्रमुख है उसके द्वारा व्यक्ति संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी प्राप्त करता है तथा वंशज के रूप में अनेक स्मृति और धरोहर की रक्षा करता है। परिवार का तीसरा जैविकीय कार्य प्रजनन के द्वारा मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा है।

परिवार के कुछ–कुछ सामाजिक प्रकार्य भी है यह बच्चों का पालन पोषण करता है और उनके समाजीकरण में सहायता देता है। बच्चे परिवार के मध्य ही विकसित होते है वे परिवार में ही भाषा रीतिरिवाज पंरपरा तथा आचार को सीखते है । परिवार का महत्वपूर्ण योगदान इसके सदस्यों के समाजीकरण तथा उनके व्यवहारों के नियमन एवं सामाजिक नियंत्रण में है । परिवार अपने सदस्यों को इस बात की सीख देता है कि उन्हे क्या करना चाहिए जिससे उनके समाजीकरण स्व के विकास तथा एक पीढी से दूसरी पीढी को पारिवारिक परंपराओं रीतिरिवाजों और विश्वासों को सीख देने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही साथ परिवार अपने सदस्यों को इस बात की भी सीख देता है कि उनहे क्या नहीं करना चाहिए इससे परिवार के सदस्यों के व्यवहारों का नियमन होता है। परिवार द्वारा अनुमोदित तथा समाज द्वारा स्वीकृत नियमों मूल्यों तथा प्रथाओं को इस तरह परिवार के सदस्य हृदयंगम करते है और व्यवहार के मापदण्डों से विचलित नहीं होते है।

जैविकीय और सामाजिक कार्यो के अतिरिक्त परिवार मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। परिवार में इसके सदस्यों को साहचर्य, प्रेम, सहानुभूति, तथा मानसिक संबल प्राप्त होता है। परिवार का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक भी है।

औद्योगिक व्यवस्था से पूर्व और जनजातीय तथा कृषक समाजों में आज भी परिवार उत्पादन की इकाई है। पारिवारिक व्यवसाय जैसे कृषि, दस्तकारी, गृह उद्योग, पशुपालन, शिकार आदि कार्यो में परिवार के सभी समर्थ सदस्य समान रूप से योग देते है। परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षा, आवास, कपड़े, तथा बीमारी में देखरेख की व्यवस्था करता है।

परिवार के प्राणिशास्त्रीय और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के मध्य अनवरत अंतःक्रिया चलती रहती है। परिवार के द्वारा शिशु जो मात्र प्राणी होता है एक मनुष्य में परिवर्तित होता है। मनुष्य के जैविकीय और सांस्कृतिक पक्ष एक ओर तो दूसरे के पूरक है दूसरी ओर उनमें परस्पर विरोध और द्वंद्व की स्थिति भी बनी रहती है। जैवकीय इच्छाओं का निगमन सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के द्वारा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक जैविकीय संवेगों का नियमन नहीं भी कर पाते है तब समाज में नई समस्याएं उठ खडी होती है यहाॅ एक बात स्मरणीय है कि मात्र जैविकीय जरूरत और संवेग परिवार की संरचना नहीं कर सकते है।

परिवार प्रणाली में परिवर्तन और तत्जनित समस्याएं

औद्योगीकरण नगरों के विकास , आप्रवास, यातायात तथा संचार के क्षेत्र में हुए चमत्कारिक कांति राज्य के प्रभाव क्षेत्र में विस्तार तथा व्यक्तिवादी जीवन दर्शन के प्रभाव के कारण परिवार प्रणाली में व्यापक परिवर्तन हुए है परिवर्तन की गति कहीं कही इतनी तीव्र रही है कि विलियम जे0 गुडे जैसे समाजशास्त्रियों के रूढिवादी तथा कांतिकारी दोनों विचारधाराओं और अमेरिकी समाज के अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह सवाल भी उठाया है कि क्या परिवार प्रणाली का अंत हो रहा है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है आज भी एशिया और अफ्रीका में प्रायः पूरी तौर पर तथा यूरोप तथा अमेरिका में हर परिवर्तन के उपरांत भी परिवार एक संस्था के रूप में अत्यंत प्रभावशाली है।

परिवार प्रणाली में परिलक्षित परिवर्तनों की जड़ में औद्योगिक व्यवस्था के बढते प्रभाव का महत्वपूर्ण हाथ है औद्योगीरकण और इससे प्रभावित नगरीकरण की प्रकिया के कारण उत्पादन की पद्धति आप्रवास, सामाजिक गतिशीलता तथा पारस्परिक संबंधों पर व्यापक प्रभाव पडा है। नतीजा यह हुआ है कि औद्योगिक नगरीय व्यवस्था में आधुनिक परिवार उस तरह तो उत्पादन की आर्थिक इकाई नहीं रह गया है जिस तरह यह जनजातीय और कृषक समाजों में है। आज भी ग्रामीण समाज में खेती तथा कारीगरी में लगे लोगों के लिए परिवार आर्थिक उत्पादन की इकाई है किसान अपनी भूमि पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेती करता है और अन्न पैदा करता है। लोहार, सोनार, कुम्हार अपने घर पर ही लोहे का सामान गहने तथा मिट्टी के बर्तन परिवार के सदस्यों के सहयोग से बनाते है। लेकिन औद्योगिक व्यवस्था में उद्यमों का स्वामित्व उद्योगपतियों के हाथ में होता है। काम करने वाले श्रमिक दूसरे लोग होते है। इस तरह परिवार औद्योगिक व्यवस्था में उत्पादन की

इकाई नहीं रह गया हैं इसमें पति पत्नी तथा वयस्क बच्चे भी काम करते है। उनके काम के स्थान , काम के घंटे, सेवा की शर्ते उनके नियंत्रण के बाहर होते है। इस तरह पारिवारिक सदस्यों की भौतिक निकटता धीरे धीरे समाप्त हो रही है उत्पादन की पद्धति तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के मिले जुले प्रभाव के कारण व्यक्तिवादी विचारधारा प्रबल हुई है । इस कारण परिवार के सदस्यों के पुराने रिश्तों तथा उनकी भूमिकाओं में व्यापक परिवर्तन हुआ है। पति पत्नी दोनों के स्वतंत्र रूप में किसी व्यवसाय में लगे होने से स्वाभाविक रूप से इस पुरानी धारणा में परिवर्तन आया है कि पत्नी का काम घर और बच्चों की देखभाल करना है। आर्थिक रूप से स्त्रियों की पुरूषों पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है और वे स्वतंत्र जीवनयापन करने की ओर उन्मुख हो रही है। अपने जीवन विवाह आदि के विषय में वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लने की क्षमता रखती है ।

इस व्यवस्था का प्रभाव परिवार के आकार पर भी पडा है अब मिले जुले विस्तृत तथा संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थान पर एकाकी तथा वैयक्तिक परिवार प्रणाली का प्रचलन बढ़ रहा है इसके साथ ही एकाकी परिवारों के अंतर्गत भी छोटे परिवार तथा कम बच्चों पर जोर दिया जा रहा है इस प्रसंग में एक सवाल उठ सकता है कि क्या भारत की संयुक्त परिवार प्रणाली परिवर्तित हो रही है ? एम. कापड़िया का मत है कि परिवर्तन हो रहा है और छोटे तथा तथा एकाकी परिवारों की प्रवृत्ति बढ रही है। आई. पी. देसाई ने महाराष्ट्र राज्य के जनगणना के आकडों से इस बात से अपनी असहमति व्यक्त की है।

सदस्यों की शिक्षा, स्वास्थ्य, देखरेख, खानपान आदि का उत्तरदायित्व पहले पूर्ण रूप से परिवार पर था। आज अनेक संस्थाओं तथा व्यवसायिक समूहों जैसे राज्य, विद्यालय, अस्पताल, अध्यापक, डाक्टर, नर्स आदि ने परिवार के बहुत से कार्यो को अपने अधिकार

क्षेत्र में ले लिया है। कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की धारणा के साथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य का प्रबंध, बूढे, बच्चों गर्भवती महिलाओं तथा अपंगों आदि के देखभाल का उत्तरदायित्व भी काफी सीमा तक राज्य में ले लिया हैं इसके कारण भी परिवार की भूमिका का अधिकार क्षेत्र सीमित हो गया है व्यक्तिवादी विचारधारा का भी पति पत्नी के संबंधों, उनकी भूमिका, बच्चों का लालनपालन, माता पिता के नियंत्रण आदि पर गहरा प्रभाव पडा है विशेष रूप से यूरोप, अमेरिका तथा औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों में परिवार की सुदृढता तथा भूमिका के पारंपरिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुआ है नतीजा यह हुआ है कि विवाह अब दो परिवारें के आपसी सबंधों के स्थान पर दो व्यक्तियों के पारस्परिक आकर्षण और निर्णय का फल हो चला हैं विवाह अब माता पिता द्वारा निर्धारित होने के स्थान पर परिणयसूत्र में बंधने वाले जोड़ों का अपना व्यक्तिगत निर्णय है। विवाह का आधार पारस्परिक प्रेम माना जा रहा है। इस विचारधारा का स्वाभाविक प्रतिफल यह है कि पति पत्नी जब पारस्परिक प्रेम और आकर्षण की स्थिति में विवाह का निर्णय ले सकते है तो इन तत्वों के अभाव में विवाह को तोडने का भी उन्हे अधिकार है। इस तरह तलाक की दर में पश्चिमी देशों में काफी वृद्दि हुई है। भारत में कानूनी रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के बाद तलाक का प्रावधान हिंदू विवाह के क्षेत्र में भी हो गया है। इससे परिवार की सुदृढता तथा स्थिरता की परंपरागत मान्यता प्रभावित हुई है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी सभ्यता की विचारधारा और जीवन पद्वति में और भी परिवर्तन हुए है। विवाह से पूर्व बच्चों और उनकी माताओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण उदार हुआ है और राज्य की संचालित समाज कल्याण की देखभाल योजनाओं का पूरा लाभ ऐसी माताओं तथा बच्चों को मिलने लगा है बिना विवाह के रहने वाले जोड़ों की संख्या में क्रमिक वृद्धि है। इन दोनो स्थितियों ने पश्चिमी सभ्यता के मध्य विवाह और परिवार की भूमिका को किया है।

जहॉ तक भारतीय परिवार प्रणाली का प्रश्न है इस पर विचार करते समय भारत भौगोलिक जनसंख्या विषयक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखने की जरूरत है परिवार की संरचना में विवाह का महत्वपूर्ण हाथ है। हिंदुओं के लिए विचारधारा की दृष्टि विवाह एक संस्कार है जबकि मुसलमानों लिए यह एक समझौता है। भारत की विभिन्न जातियों में विवाह और परिवार की वर्णित अनेक प्रणालियों पाई जाती है इसके उपरांत भी भारत में कृषि अर्थव्यवस्था परिवार प्रणाली में काफी समानता पाई जाती है। आमतौर पर भारत में धर्म और संस्कृति की विभिन्नता के उपरांत भी परिवार की प्रणाली संयुक्त अथवा विस्तृत है। आज भी तलाक के मामले प्रायः सभी समुदायों के मध्य काफी है आज भी बूढे माता पिता की देखभाल का दायित्व परिवार के सदस्यों और पुत्रों पर है। आज भी कृषक और कारीगर परिवार उत्पादन तथा इसके साधनों पर पूरे परिवार के सभी सदस्यों का स्वामित्व होता है। लेकिन बढते उद्योगीकरण, नगरीकरण, आप्रवास और सामाजिक गतिशीलता के साथ परिवार संबंधी व्यक्तिवादी विचारधारा का उदय धीरे धीरे भारतीय समाज में भी दिखाई पडने लगा है।

सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादी विचारधारा के उदय होने से जहॉ संयुक्त परिवार की अवधारणा प्रभावित हुई है, वही इस व्यवस्था से जुडी अनेकानेक विशेषताएं भी परिवर्तित हुई है। संकट का बीमा कहे जाने वाले संयुक्त परिवारों में वृद्धजन आज उपेक्षित से पड़े दिखाई देते है।

उपेक्षा के कारणों के सम्बन्ध में शोधार्थिनी ने अध्ययन क्षेत्र के वृद्धों का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की स्थिति ज्ञात करनी चाही है।

सारिणी संख्या 6.1 से यह स्पष्ट होता है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्ध व्यक्तियों की कार्य न करने की क्षमता का प्रतिशतांक सर्वाधिक 93.5 है, जब कि 55–60 आयु समूह के वृद्धों के कार्य न कर पाने की क्षमता वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 29.8 है जबकि कार्य कर पाने की क्षमता रखने वाले वृद्ध व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत 87.0 है यह 55–60 वर्ष आयु समूह के वृद्ध है। 60–65 वर्ष आयु समूह के वृद्धों की कार्य कर पाने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों का प्रतिशतांक 87.0 है तथा 70–75 वर्ष आयु समूह के कार्य करने की क्षमता न होने वाले वृद्धों का प्रतिशत 86.0 है।

सारिणी संख्या – 6.1

वृद्धों की कार्य करने की क्षमता का विवरण

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	कार्य करने की क्षमता			
		हॉ		नहीं	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	87	70.2	37	29.8
60–65	205	85	41.5	120	58.5
65–70	90	36	40.0	54	60.0
70–75	50	07	14.0	43	86.0
75 वर्ष से ऊपर	31	02	6,5	29	93.5

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार

सारिणी के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे उम्र में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे व्यक्तियों में कार्य करने की क्षमता में कमी होती जाती है वृद्धावस्था की ओर बढने वाले व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं में कमी आने लगती है। चिकित्सा विज्ञान से यह स्पष्ट हो चुका है कि जैसे जैसे व्यक्ति जीवन के अन्तिम सोपान की ओर बढने लगता है उसे तरह तरह की बीमारियॉ घेर लेती है पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है जिसका सीधा प्रभाव कार्य करने की क्षमता पर पड़ता है यही कारण है कि 55–60 वर्ष आयु समूह की तुलना में 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता कम हैं।

अध्ययन क्षेत्र के वृद्ध व्यक्तियों की बीमारी से सम्बन्धित विवरण सारिणी संख्या 6.2 में प्रस्तुत किया गया है जिसको देखने से ज्ञात होता है कि 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों का प्रतिशतांक 96.7 है जो बीमार रहने वाले या फिर किसी न किसी रोग से ग्रसित रहने वाले वृद्धों का है 70–75 वर्ष आयु समूह के 90.0 प्रतिशत वृद्ध हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रसित रहते है कम बीमार रहने वाले वृद्धों का प्रतिशत 19.4है जो आयु समूह 55–60 है।

सारिणी संख्या – 6.2

बीमारी से सम्बन्धित वृद्ध व्यक्तियों का विवरण

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	बीमारी का विवरण			
		हॉं		नहीं	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	24	19.4	100	80.6
60–65	205	121	58.1	86	41.9
65–70	90	61	67.8	29	32.2
70–75	50	45	90.0	05	10.0
75 वर्ष से ऊपर	31	30	96.7	01	3.3

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

75 वर्ष से अधिक आयु समूह के 3.3 प्रतिशत वृद्ध ऐसे है जो बीमारी से ग्रसित नहीं रहते हैं, यह प्रतिशत सबसे कम है। 5.0 प्रतिशत वृद्ध ऐसे है जो किसी बीमारी का शिकार नहीं रहते है यह प्रतिशत 70–75 वर्ष आयु समूह के वृद्धों का है।

तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता में कमी आती है वैसे वैसे बीमार रहने की प्रवृत्ति बढती जाती है उन्हे कोई न कोई

रोग घेरे रहता है जो वृद्ध यह दावा करते है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है वे भी प्रायः किसी न किसी मौसमी बीमारी का शिकार हो जाते है।

बीमारी की इस समस्या का सीधा प्रभाव वृद्धों का परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में नकारात्मक भूमिका निभाता है।

बीमारी से मुक्ति पाने के लिए वृद्धों को चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता होती है जिसके लिए उन्हें अपने परिवारीजनों पर निर्भर रहना पडता है एक सीमा तक परिवार के सदस्य उन्हें चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में सामान्य रूचि दिखाते है लेकिन कालान्तर में वे इन्हें उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखते है उनका मानना है कि जीवन के अन्तिम पड़ाव में ऐसा होता ही है इस पर धन का व्यय करना ठीक नहीं है, इस बचत को वे अपनी सुख सुविधाओं में उपयोग करते है।

खॉसी, श्वास तथा कराहने की आवाजें परिवार की युवा महिलाओं बच्चों तथा अन्य लोगों, जो वृद्धावस्था से दूर है चिढाती सी लगती है वे वृद्धों की इस पीड़ा की दशा में भावात्मक सहयोग के स्थान पर, उपेक्षित व्यवहार तथाअपनी खीझ देते है जिससे उनकी पीड़ा समाप्त या कम होने के स्थान पर बढती है।

कार्य न कर पानें की क्षमता के कारण उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होते है, जिससे वे अपनी बीमारी का इलाज करा सकें, क्योकि अपने जीवन के स्वर्णिम काल में अर्जित आय का उपयोग वे अपनी नवागत पीढी के लिए विभिन्न मदों में खर्च कर चुके होते हैं जो पेशंन आदि उन्हे प्राप्त भी होती है वे समुचित ढंग से उसका उपयोग अपने लिए नहीं कर पाते है।

सारिणी संख्या 6.3 में प्रस्तुत किया गया है। कि वृद्ध जिन्हे पेशंन मिलती है वे अपनी पेशंन से होने वाली आय को किस मद में खर्च करते है ।

सारिणी संख्या – 6.3
वृद्ध व्यक्तियों के पेंशन व्यय करने का विवरण

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	वृद्ध: जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है।	पेंशन व्यय करने के मद			
			स्वयं के खर्च में		परिवार के खर्च में	
			सं.	प्र.	सं.	प्र.
55–60	124	02	01	1.5	01	1.7
60–65	205	25	05	7.5	20	30.3
65–70	90	27	06	9.0	21	31.8
70–75	50	07	02	3.0	05	7.5
75 वर्ष से ऊपर	31	05	01	1.7	04	6.0
योग	500	66	15	22.7	51	77.3

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

अध्ययन क्षेत्र के 500 वृद्ध व्यक्तियों में से मात्र 66 ऐसे वृद्ध है जिन्हें पेशंन प्राप्त होती है ऐसे वृद्धों का प्रतिशंताक 13.2 है। पेशंन प्राप्त करने वाले वृद्ध व्यक्तियों मे से

अधिकाशं वृद्ध अपनी पेशंन से होने वाली आय को परिवार के मद में खर्च कर देते हैं ऐसे वृद्धों का प्रतिशत 77.3 है जब कि 22.7 प्रतिशत वृद्ध अपनी पेशंन से होने वाली आय को अपने उपयोग में लाते है।

अध्ययन क्षेत्र के जिन वृद्धों को वृद्धावस्था पेशंन प्राप्त होती है उसमें निरन्तरता नहीं होती है क्योकि क्षेत्र से सम्बन्धित लेखपाल (राजस्व विभाग का कर्मी) जिसे पेशन के चेक सम्बन्धित पात्र को पहुॅचाने का दायित्व शासन द्वारा दिया गया है वह अपनी सुविधानुसार ही चेक व्यक्ति तक पहुॅचाता है यदि उसे प्राप्त होने वाली धनराशि का कुछ प्रतिशत रिश्वत के रूप में मिल जाता है तब तो वह समयानुसार चेक पहुॅचाता है अन्यथा अपनी संस्तुति के साथ चेक वह चेक सम्बन्धित विभाग को वापस कर देता है उसकी संस्तुति प्रायः यही होती है कि या तो व्यक्ति दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं है या फिर वह पेशंन का पात्र नहीं है।

जब वृद्धों को पेशंन का लम्बे समय तक चेक प्राप्त नहीं होता है तो वह सम्बन्धित विभाग तक जाने का साहस जुटाता है किन्तु वहॉ पर भी कुछ ही लोगों को सफलता प्राप्त होती है जिससे उन्हें उसी माह की धनराशि का चेक प्राप्त हो जाता है पूर्व के महीनों की धनराशि उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है।

समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों की उदासीनता के कारण क्षेत्र के वृद्धों को वृद्धावस्था पेशंन शासन की मंशा के अनुरूप प्राप्त नहीं हो पा रही है।

जो वृद्ध किसी न किसी मद से पेशनं प्राप्त कर रहे है और किसी न किसी रूप में कुछ धन एकत्रित कर लेते है तो 750 रूपये प्रतिमाह के लगभग मिलने वाली

धनराशि की जो बचत होती भी है तो उस पर परिवार की बहुएं, पुत्रों तथा नाती पोतों की निगाहे उस पर टिकी रहती है। बहुँए अपने पुत्रों के माध्यम से उस धनराशि का प्रयोग अपनी पुत्रों की या फिर परिवार के लिए कोई न कोई वस्तु खरीदने का आग्रह या प्रस्ताव समय समय पर करते रहते है यदि वृद्ध उस बचत का प्रयोग उन प्रस्तावों के अनुरूप कर देते है तो परिवार का वातावरण कुछ समय के लिए सामान्य बना रहता है किन्तु यदि इन प्रस्तावों पर वृद्धों द्वारा कोई अमल नहीं किया गया तो उन्हे तानें सुनने पडते है तथा घर परिवार का वातावरण कलहपूर्ण हो जाता है।

शोधार्थिनी द्वारा वृद्ध व्यक्तियों से सम्बन्धित परिवारों के वातावरण की स्थिति जानने का प्रयास किया है, अध्ययन क्षेत्र के परिवारों की स्थिति का विवरण सारिणी संख्या 6.4 में प्रस्तुत किया गया है।

75 वर्ष से ऊपर आयु समूह के वृद्ध व्यक्तियों के परिवारों में कलहपूर्ण वातावरण का प्रतिशंताक 93.5 सर्वाधिक है तथा 55–60 वर्ष आयु समूह के वृद्ध व्यक्तियों से सम्बन्धित परिवारों में 79.8 प्रतिशत परिवारों में कलहपूर्ण वातावरण है जबकि 20.2 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनमें कलहपूर्ण वातावरण नहीं है यह वे परिवार है जो 55–60 वर्ष आयु समूह के वृद्ध व्यक्तियों से सम्बन्धित है। 60–65 वर्ष आयु समूह के 12.2 प्रतिशत परिवारों में कलह का वातावरण नहीं है। 75 वर्ष से अधिक आयु समूह के वृद्धों से सम्बन्धित परिवारों में 6.5 प्रतिशत परिवारों में कलह का वातावरण नहीं है।

सारिणी संख्या – 6.4

पारिवारिक कलह का विवरण

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	पारिवारिक कलह का विवरण			
		विद्यमान है		नहीं है	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55—60	124	90	79.8	25	20.2
60—65	205	180	87.5	25	12.2
65—70	90	81	90.0	09	10.0
70—75	50	46	92.0	04	8.0
75 वर्ष से ऊपर	31	29	93.5	02	6.5

अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्ध व्यक्तियों से साक्षात्कार के दौरान यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जाता है पारिवारिक कलह के वातावरण में बृद्धि होने लगती है, जिसका प्रमुख कारण वृद्ध ही होते है, वे ही कलह के केन्द्र बिन्दु होते है। कलह की स्थिति उत्पन्न तब हो जाती है जब वृद्ध व्यक्तियों के इलाज के खर्य का बोझ पडता है, वैसे इलाज के ये खर्च परिवार के सदस्यों के अन्य खर्चें की तुलना में नगांण्य होते है, किन्तु वृद्ध व्यक्ति

को युवा वर्ग द्वारा अनुपयोगी मानकर, उनके इलाज पर खर्च करना उपयुक्त नहीं लगता है, इसके अतिरिक्त यदि वृद्ध नयी पीढी को उनके कार्यो को सम्पादित करने में अपने अनुभवों की सीख देना चाहते है तो युवा वर्ग को यह सब अपने कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप सा प्रतीत होता है, और वे इन सीखों का विरोध करते है, वाद प्रतिवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और कलह शुरू हो जाती है ।

अधिकाशं परिवारों में कलह का अप्रत्यक्ष कारण वृद्ध होते है किन्तु जब कलह बढती है तो वृद्धों की प्रतिकिया होना स्वाभाविक हो जाती है ।

अध्ययन क्षेत्र के 75 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों द्वारा पारिवारिक कलह के दौरान किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है (58.0 प्रतिशत) ।

आयु समूह 55–60 वर्ष के 3.0 प्रतिशत वृद्ध कलह के दौरान किसी प्रकार की प्रतिकिया व्यक्त नहीं करते है जब कि इसी आयु समूह के 30.0 प्रतिशत वृद्ध सहज रहते है तथा 60.0 प्रतिशत वृद्ध उग्र हो जाते है, उग्र होने वाले वृद्धों का प्रतिशतांक का अधिक होना इस बात का प्रमाण है कि इस समूह के वृद्ध कार्य करने की कुछ न कुछ क्षमता रखते है। जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उम्र होने की स्थिति में कमी होती जाती है 75 वर्ष से अधिक आयु समूह के वृद्धों के उम्र होने का प्रतिशतांक 0.0 है। 60–65 वर्ष आयु समूह के वृद्धों में से 27.7 प्रतिशत कलह के दौरान उग्र हो जाते है तथा 2.7 प्रतिशत वृद्ध कोई प्रतिकिया व्यक्त नहीं करते है।

अधिकांश वृद्ध पारिवारिक कलह के बीच असाधारण हो जाते है वे अपनी स्थिति से परिचित होते है । उनका मानना है कि वे दूसरे पर निर्भर है यदि वे उनके (पति

पत्नी और बच्चों) के बीच कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगे तो वह आग में घी डालने का ही कार्य करेगा यही सोचकर वे अर्न्तमन में अशान्त और कुढ़न अनुभव करते है (सारिणी संख्या 6.5)।

सारिणी संख्या – 6.5

पारिवारिक कलह में वृद्धों की भूमिका की स्थिति

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	पारिवारिक कलह में वृद्धों की भूमिका							
		क		ख		ग		घ	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	99	30	30.0	60	60.0	6	6.0	3	3.0
60–65	180	100	55.5	50	27.7	25	13.8	5	2.7
65–70	81	60	74.4	5	6.1	10	12.3	6	7.4
70–75	41	20	43.4	01	2.1	15	32.6	10	21.7
75 वर्ष से ऊपर	29	10	34.4	00	0.0	02	6.8	17	58.0

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

क– सहज,

ख– उग्र,

ग– असाधारण,

घ– कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते,

कलह एवं तनावपूर्ण वातावरण युक्त परिवारों में वृद्ध अपने आपकों उपेक्षित अनुभव करते हैं। शोधार्थिनी ने यह जानने का प्रयास किया है कि वृद्ध व्यक्तियों के प्रति परिवार की बहुओं का व्यवहार कैसा है ? अध्ययन क्षेत्र के 55–60 वर्ष आयु समूह के 18.5 प्रतिशत वृद्धों ने स्वीकार किया कि उनके प्रति बहुओं का व्यवहार उचित है। 60–65 वर्ष आयु समूह के 14.1 प्रतिशत वृद्धों ने माना कि बहुओं का व्यवहार उचित है जब कि 6.4 प्रतिशत ही वृद्ध, जो 75 वर्ष से ऊपर आयु समूह के है, के प्रति बहुओं का व्यवहार उचित है जब कि इसी आयु समूह के 93.6 प्रतिशत वृद्धों स्वीकारते है कि उनके प्रति बहुओं का व्यवहार उचित नहीं है तथा 81.5 प्रति वृद्धों (55–60 वर्ष आयु समूह) के प्रति बहुओं का व्यवहार उचित नहीं है। सारिणी संख्या 6.6 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है।

सारिणी संख्या – 6.6
वृद्धों के प्रति बहुओं का व्यवहार

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	बहुओं का व्यवहार			
		उचित		अनुचित	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	23	18.5	101	81.5
60–65	205	29	14.1	176	85.9
65–70	90	10	11.2	80	88.8
70–75	50	04	8.0	46	92.0
75 वर्ष से ऊपर	31	02	6.4	29	93.6

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

जैसे–जैसे वृद्ध वृद्धावस्था की ओर बढते जाते है वैसे–वैसे बहुओं का व्यवहार उपेक्षापूर्ण होता जाता है। वृद्धावस्था के शुरूआती स्थिति में वृद्धों के प्रति बहुओं का व्यवहार उचित होने की स्थिति सन्तोषजनक नही है जिसके पीछे प्रमुख कारण बहुओं का पर्दा प्रथा के पालन करने की मजबूरी, सेवा सुश्रुषा करने की बाध्यता तथा स्वतन्त्ररूप से कार्य न कर पाने की स्थिति प्रमुख रूप से दिखाई देती है।

वृद्धों के प्रति बहुओ के उपेक्षापूर्ण व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने का प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पडता है। वृद्ध व्यक्तियों के प्रति उनके नाती पोतों तथा परिवार के अन्य बच्चों के लगाव होने की स्थिति का विवरण सारिणी संख्या 6.7 में दिया गया है। 75 वर्ष से अधिक आयु समूह के वृद्धों (90.3 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि उनके परिवार के बच्चों का उनके प्रति कोई लगाव नहीं है जब 11.2 प्रतिशत वृद्ध (55–60 वर्ष आयु समूह) व्यक्ति यह मानते है कि उनके परिवार के बच्चे उनके प्रति लगाव व्यक्त करते है, इसी आयु समूह के 56.4 प्रतिशत वृद्ध यह स्वीकारते है कि उनके प्रति परिवार के बच्चे लगाव रखते है यह सर्वाधिक लगाव रखने वाले वृद्धों का प्रतिशतांक है, इस समूह के 32.2 प्रतिशत वृद्धों के प्रति बच्चों का उचित लगाव है।

सारिणी संख्या – 6.7

वृद्धों के प्रति बच्चों के लगाव का विवरण

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	वृद्धों के प्रति बच्चों के लगाव का विवरण					
		क		ख		ग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	40	32.2	70	56.4	14	11.2
60–65	205.	25	12.1	30	14.6	150	73.1
65–70	90	16	17.7	05	5.7	69	76.6
70–75	50	05	10.0	03	6.0	42	84.0
75 वर्ष से ऊपर	31	01	3.2	01	3.2	28	90.3

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

क– उचित है,

ख– अधिक है,

ग– नहीं है,

75 वर्ष से अधिक आयु समूह के 3.2 प्रतिशत वृद्धों के प्रति बच्चों का लगाव उचित है।

सारिणी संख्या 6.7 के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे आयु में वृद्ध होती जाती है बच्चों का वृद्धों के प्रति लगाव घटता जाता है जो लगाव बच्चे रखते है वे अल्पायु के है तथा वृद्ध उन्हे कोई न कोई खिलौने या अन्य वस्तुओं का प्रलोभन देते है।

जो बच्चे अधिक आयु के वृद्धों के पास जाकर बैठना घूमना या बोलना चाहते है तो परिवार की बहुएँ उन्हे ऐसा करने से रोकती है, उनकी भावना होती है कि उनके बच्चों को कहीं कोई बीमारी या व्याधि न लग जाए जो परिवार के वृद्धों को लगी है या यदा कदा हो जाती है। जिससे चाहकर भी बच्चे वृद्धों के साथ खुश होने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं यदि वृद्ध परिवार के बच्चों को किसी न किसी बहाने से पास बुला भी लेते है तो उन्हे परिवार की युवा महिलाएं किसी न किसी बहाने बुला लेती है, ऐसी स्थिति में वात्सल्य की जो शीतल छांव बच्चों को प्राप्त हो सकती है, नहीं प्राप्त हो पाती है और वृद्ध बाल कीडाओं के सुख से वंचित रह जाते है।

अपने प्रति उपेक्षा का भाव और पारिवारिक कलह की वजह से अपने आपको अलग–थलग की स्थिति में पाने पर वे सामन्जस्य बनाने का प्रयास करते है कभी कभी वृद्ध सामन्जनस्य बनाने के लिए अपने मित्रों अथवा रिश्तेदारों की मदद लेते है ऐसे वृद्धों की संख्या मात्र 23 है जिसका प्रतिशतांक 4.6 हैं किन्तु 95.4 प्रतिशत वृद्ध अपने परिवार की कलह समाप्त कराने तथा सामन्जस्य स्थापित करने के लिए किसी मित्र और रिश्तेदारों की मदद लेना उचित नहीं समझते है उनका मानना है कि यदिं वे अपने परिवार के सदस्यों के मध्य तनाव की बात को घर की चहार दीवारी से बहार ले जाऐगे तो घर की बदनामी होगी जो परिवार की प्रतिष्ठा के लिए उचित नहीं होगी। वे अपनी स्थिति के लिए अपने भाग्य की स्थिति पर छोड देते है, कि उनके भाग्य में यही लिखा है और वे परिवार के सदस्यों के मध्य किसी कार्य मे अपना मत दिए बिना शान्त भाव से सब कुछ देखते और सहते रहते है सारिणी संख्या–6.8।

सारिणी संख्या – 6.8

पारिवारिक सांमजस्य स्थापित करने के लिए मित्रों \ रिश्तेदारों की मदद लेने की स्थिति

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	पारिवारिक सांमन्जस्य स्थापित करने में मित्रों / रिश्तेदारों की भूमिका			
		हाँ		नहीं	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	04	0.8	120	24.00
60–65	205	03	0.6	202	40.4
65–70	90	10	2.0	80	16.0
70–75	50	04	0.8	46	9.2
75 वर्ष से ऊपर	31	02	0.4	29	5.8
योग	500	23	4.6	477	95.4

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

वृद्धों की पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए क्या कोई एजेन्सी कारगर साबित हो सकती है ? स्थानीय प्रशासन वृद्धों की समस्याओं के लिए कुछ करने की स्थिति में है तो इस सम्बन्ध में 500 में से 29 (5.8 प्रतिशत) वृद्ध इस बात से सहमत है कि स्थानीय प्रशासन वृद्धों की समस्याओं के निराकरण में उपयोगी हो सकते है। स्थानीय प्रशासन

वृद्ध व्यक्तियों के लिए खाली क्षणों को सुखमय बनाने के लिए पुस्तकालय, पार्क तथा मनोरंजन गृहों की सीपना करके उनके खालीपन को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकता है उनकेअनुभवों को प्राप्तकर नयी पीढ़ी को उनसे अवगत कराने के लिए स्थानीय प्रशिक्षण गृह खोल कर उन्हे बतौर प्रशिक्षक कार्य प्रदान किया जा सकता है। वृद्धों के लिए कार्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु उद्योग केन्द्र स्थानीय स्तर पर स्थापित किये जा सकते है जहॉ वे कम मेहनत के उत्पादक कार्य कर सकते है और कुछ धनार्जन कर सकते है।

वृद्धों की समस्या समाधान में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का स्थिति

अध्ययन क्षेत्र के 94.2 प्रतिशत वृद्धों की मान्यता है कि स्थानीय प्रशासन वृद्धों की समस्याओं के निराकरण में कोई भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है क्योकि परिवार के सदस्यों के मध्य सम्बन्ध भावनात्मक आधार पर होते है और भावनाओं को किसी दबाव के आधार पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता है ये घरेलू समस्याऐं है और परिवारीजन ही इन्हे हल करने में सक्षम होते है, इसके लिए किसी प्रशासन आदि की आवश्यकता नहीं होती है (सारिणी संख्या– 6.9)।

सारिणी संख्या – 6.9

स्थानीय प्रशासन की समस्या समाधान में भूमिका

आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	स्थानीय प्रशासन की समस्या समाधान में भूमिका			
		हॉ		नहीं	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55—60	124	5	1.0	119	23.8
60—65	205	5	1.0	200	40.0
65—70	90	11	2.2	79	15.8
70—75	50	5	1.0	45	9.0
75 वर्ष से ऊपर	31	3	0.6	28	5.6
योग	500	29	5.8	471	94.2

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

वृद्धों की समस्याओं के निराकरण के लिए स्थानीय प्रशासन जहॉ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है वही संवैधानिक सुधार के माध्यम से वृद्धों के पुनर्वास की महती आवश्यकता है। पुनर्वास के लिए संवैधानिक सुधार अपेक्षित है ।

सारिणी संख्या 6.10 से यह विदित होता है कि क्षेत्र के 82.4 प्रतिशत वृद्धों की मान्यता है कि वृद्धों के पुनर्वास के लिए संवैधानिक सुधार अथवा संशोधनोंकी महती आवश्यकता है तथा 17.6 प्रतिशतांक वृद्धों का विचार है कि सम्बन्धों की प्रगाढता, त्याग और बलिदान के लिए किसी लिखित प्राविधान की आवश्यकता नहीं होती है वह तो मानवीय मूल्य, आदर्श और संस्कार जनित होते है जो स्वतः अपनों के प्रति आदर, सम्मान, त्याग और सहानुभूति जैसे गुणो की व्युत्पत्ति करते है।

सारिणी संख्या – 6.10
वृद्धों के पुनर्वास सम्बन्धी संवैधानिक संशोधन सम्बन्धी दृष्टिकोण

_आयु समूह (वर्षों में)	वृद्धों की संख्या	पुनर्वास के लिए संवैधानिक सुधार की आवश्यकता सम्बन्धी दृष्टिकोण			
		हाँ		नहीं	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
55–60	124	99	19.8	25	5.0
60–65	205	175	35.0	30	6.0
65–70	90	65	13.0	25	5.0
70–75	50	44	8.8	06	1.2
75 वर्ष से ऊपर	31	29	5.8	02	0.4
योग	500	412	82.4	88	17.6

स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश वृद्ध यह मानते है कि सवंधिान में वृद्धों के लिए जो कुछ उपलब्ध है वह पर्याप्त नहीं है। बढते भौतिकवादी युग में स्वार्थपूरक भावनाए सुरसा की तरह मुँह फैलाती जा रही है, ऐसी स्थिति में वृद्धों की समस्याओं में दिन व दिन बढोत्तरी होती जा रही है ऐसी स्थिति में संवैधानिक सुधार की आवश्यकता है। मात्र, वृद्ध वर्ष या दिवस मना लेने से ही वृद्धों की समस्याअें का निराकरण नहीं हो सकता है। संवैधानिक सुधार के माध्यम से वृद्धावस्था पेशंन में वृद्धि वृद्धों के लिए प्रथक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप कार्य उपलब्धता की निश्चितता होनी चाहिए मात्र संवैधानिक सुधार ही इसके लिए पर्याप्त नहीं होगे बल्कि उनका व्यावहारिक अनुपालन जब तक संभव नहीं होगा, तब तक कितने भी संशोधन कर दिए जाएं, स्थितियों में बदलाव की कल्पना करना एक छलावा सावित होगे।

अध्याय–7

उपसंहार

- वृद्ध जनों की अहम् समस्याएं
- समस्याओं के मूल कारण
- संयुक्त परिवारों का विघटन
- आधुनिकता अपनाने की ललक
- आर्थिक बोझ
- नैतिकता का पतन

उपसंहार

पूर्व अध्यायों में वृद्धों के पारिवारिक सामन्जस्य सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं की वृहद तथा तर्कपूर्ण विवेचना प्रस्तुत की गई है। इस अध्याय में वृद्धों के पारिवारिक सामन्जस्य सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं का तुलनात्मक विश्लेषण तथा वृद्धों की समस्याओं के निराकरण हेतु किए गए प्रयासों का समीक्षात्मक विवेचन करते हुए अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर किए जा सकने वाले विभिन्न प्रयासों को प्रस्तावित किया गया है।

वृद्धावस्था जीवन क्रम का अंतिम पन है। इस पन में जीवन अशक्त हो जाता हैं कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पडता है। यही निर्भरता वृद्ध जनों की समस्याओं की जड़ हैं शारीरिक व आर्थिक रूप से असमर्थ वृद्ध जन हाशिये के बाहर घुटन भरी जिंदगी जीने को विवश है। भारत वह भूमि है जहां माता पिता को देव तुल्य माना गया हैं संस्कृत के निम्न श्लोक में माता को पृथ्वी से बढ़ कर और पिता को आकाश से बढ कर माना गया है।

माता गुरूतरा भूमेः खात् पितोच्चतरस्तथा

बुन्देलखण्ड संभाग के झाँसी जनपद के वृद्ध व्यक्तियों के पारिवारिक सामन्जस्य के अध्ययन सम्बन्धी तथ्यों का तुलनात्मक विवरण

क. सं.	आयु समूह (वर्षों में)	चयनित वृद्धों की संख्या	जाति/धर्म				वृद्धों व्यक्तियों की शैक्षणिक स्थिति				
			हिन्दू	मुस्लिम	सिख	ईसाई	अशिक्षित	हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट	स्नातक	परास्नातक
			%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	55–60	124	20.0	4.0	0.6	0.2	7.4	6.0	5.4	5.0	1.4
2	60–65	205	30.0	8.4	2.0	0.6	23.4	6.8	5.4	4.0	0.4
3	65–70	90	11.0	4.2	1.8	1.0	8.4	5.6	3.0	1.0	0.0
4	70–75	50	8.4	0.6	0.6	0.2	4.4	3.4	2.0	0.2	0.0
5	75 वर्ष से ऊपर	31	4.0	1.6	0.4	0.2	3.6	2.0	0.6	0.0	0.0

पारिवारिक स्थिति		वृद्ध व्यक्तियों के आय के स्त्रोत						वृद्धों को उपलब्ध सुविधाएं				
संयुक्त	एकाकी	कृषि	सेवा	उद्योग	दुकानदारी	पेंशन	कुछ भी नहीं	पत्र–पत्रिका	रेडियों	टी. वी.	फ्रिज कूलर	कार स्कूटर
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
24.0	0.8	2.2	11.0	2.0	1.8	0.4	7.4	60.4	68.5	58.6	48.3	50.0
36.0	5.0	6.0	2.0	1.0	3.0	5.0	24.0	34.1	31.7	24.3	17.07	4.8
14.4	3.6	3.0	0.4	2.0	1.0	5.4	6.2	27.7	33.3	16.6	11.1	8.8
8.8	1.2	0.6	0.2	0.4	0.2	1.4	7.2	10.0	14.0	0.0	0.0	0.0
4.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

वृद्ध व्यक्तियों की राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने का विवरण		वृद्ध व्यक्तियों का राजनैतिक दलों से सम्बन्ध					राजनैतिक संरचना के सम्बन्ध में दृष्टिकोण		समस्याओं के समाधान सम्बन्ध में विचार		वृद्धों की कार्य करनें की क्षमता का विवरण	
हॉ	नही	भाजपा	कॉग्रेस	बसपा	सपा	अ. द.	उचित	अनुचित	हॉ	नही	हॉ	नही
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
20.4	4.4	8.0	6.7	5.0	5.6	1.8	4.8	20.0	20.4	4.4	70.2	29.8
36.4	4.6	25.4	7.5	6.4	5.3	4.0	19.0	22.0	21.6	18.4	41.5	58.5
13.0	5.0	6.7	2.6	5.3	1.8	0.8	7.0	11.0	10.8	9.2	40.0	60.0
4.4	5.6	2.6	1.3	0.5	0.8	0.5	4.0	6.0	6.2	3.8	14.0	86.0
0.4	5.8	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	2.8	3.4	3.2	3.0	93.5	96.7

वृद्धों का बीमार रहने का विवरण		पेशन व्यय करने के मद		वृद्धों के परिवारों में कलह का विवरण		परिवारिक कलह में वृद्धों की भूमिका				वृद्धों के प्रति बहुओं का व्यवहार	
हॉ	नहीं	स्वयं पर	परिवार पर	हॉ	नहीं	सहज	उग्र	असाधारण	कोई प्रश्न नहीं	उचित	अनुचित
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
19.4	80.6	1.5	1.7	79.8	20.2	30.0	60.0	6.0	3.0	18.5	81.5
58.1	41.9	7.5	30.3	87.5	12.2	55.5	27.7	13.8	2.7	14.1	85.9
67.8	32.2	9.0	31.8	90.0	10.0	74.4	6.1	12.3	7.4	11.2	88.8
90.0	10.0	3.0	7.5	92.0	8.0	43.4	2.1	32.6	21.7	8.0	92.0
96.7	3.3	1.7	6.0	93.5	6.5	34.4	0.0	6.8	58.0	6.4	93.6

वृद्धों के प्रति बच्चों का लगाव			वृद्धों का पारिवारिक सामन्जस्य स्थापित करने में मित्रों / रिश्तेदारों की भूमिका		वृद्धों की समस्याओं के समाधान में स्थानीय प्रशासन की भूमिका		पुनर्वास सम्बन्धी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता	
उचित है	अधिक है	नहीं है	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	न्हीं
%	%	%	%	%	%	%	%	%
32.2	56.4	11.2	0.8	24.0	1.0	23.8	19.8	5.0
12.1	14.6	73.1	0.6	40.4	1.0	40.0	35.0	6.0
17.7	5.7	76.6	2.0	16.0	2.2	15.8	13.0	5.0
10.0	6.0	84.0	0.8	9.2	1.0	9.0	8.8	1.2
3.2	3.2	90.3	0.4	5.8	0.6	5.6	5.8	0.4

⚙ स्त्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

इतना ही नहीं, कई श्लोकों में वृद्ध व्यक्तियों को सम्मान देने व उनकी आज्ञा मानने की बात कही गई है परंतु आज के भौतिकतावादी युग में वृद्ध जन उपेक्षा व तिरस्कार का शिकार हो रहे है। वे न तो देव तुल्य माने जा रहे है और न ही उन्हें वह सम्मान और अपनापन मिल रहा है जो कभी पहले मिलता था। आज वे घर परिवार में अनचाही वस्तु हो गए है जिसे न तो लोक लाज के कारण फेका ही जा सकता है और न सहेज कर रखने की इच्छा ही है।

एक निश्चित आयु सीमा के बाद वृद्ध जन भले ही हमारे लिए आर्थिक रूप से अनुत्पादक हों परंतु वे हमारी बुजुर्ग संपदा है। उनके लम्बे जीवन के व्यावहारिक अनुभव आज की युवा पीढी के लिए पथ प्रदर्शक है। उनकी सीख छोटे बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा है। परंतु आज हमारे वृद्ध जन अनेक समस्याओं से पीडित है। उन समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करना तथा उनके निराकरण के उपाय सोचना हर सभ्य व्यक्ति का परम कर्तव्य होना चाहिए ।

वृद्ध जनों की अहम् समस्याएं

वृद्ध जन शारीरिक रूप से अशक्त और आर्थिक रूप से पराधीन होते है। इसके कारण वे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए परिवारी जनों से सहारे की अपेक्षा करते हैं उनका अपेक्षा करना लाजमी है। माता पिता जिन पुत्रों को अनेक कष्ट सह कर, अपनी शान शौकत की इच्छाओं का दमन कर पाल पोस कर बड़ा करते है, उनसे जीवन के अंतिम पड़ाव में यदि सेवा व सहारे की आशा करें, तो यह अनुचित कैसे हो सकता है ? परन्तु देखने में आता है कि आज की युवा पीढी अपने मन से आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत रख कर भौतिकता की अंधी दौड में फंसी हुई **हम दो, हमारे दो**, तक सीमित रख कर वृद्ध जनों को अपने परिवार की परिधि से बाहर रखना चाहती है यही नहीं बल्कि वृद्ध जनों की अपनी निजी जिदंगी में बाधा भी समझती है। शहरी

संस्कृति में पलने वाले परिवार के सभी सदस्य एक ही डाइनिगं टेविल पर बैठ कर साथ साथ भोजन करते है परतु वृद्ध जन अलग भोजन करते है, वह भी सबके अंत में। अहम् बात यह है कि वृद्ध जनों को बाद में भोजन देने की बात क्यो सोची जाती है। उन्हें सबसे पहले भोजन देने में क्या हर्ज है ? उन्हे अपने परिवार से अलग थलग क्यों समझा जाता है ? उनकी बीमारी के इलाज को अनावश्यक व्यय क्यों माना जाता है ? यह विडंबना ही है कि आज जो हाथ अपने लाड़ प्यार से लोरी गा–गा कर अपने पुत्रों को सुलाया, उन्हे दूध पिलाया, उन्हें बडा किया, वही हाथ अपने नाती पोतों को प्यार करने को तरस रहे है।

नगरों में जो मध्यमवर्गीय परिवार है। वहां स्थिति और भी विषम है। उन माता पिता ने जीवन भर जो अर्जित किया वह बच्चों की शिक्षा एवं विवाह शादी पर खर्च कर दिया। अब वह शिक्षित एवं वृद्ध माता पिता जिनकी शारीरिक शक्ति तो क्षीण हो चुकी है, कितु आत्म सम्मान शेष है, वे उपेक्षापूर्ण वातावरण में घुट घुट कर जीते है। पुत्र दहेज ले कर आई पत्नी के पूरी तरह वश में हो जाते है । अन्यथा घर में अशाति का वातावरण बना रहता हैं वृद्ध माता पिता अपने को इतना नहीं बदल पाते कि उनका कोई सम्मान या रूचियां ही न रही हो। हां ऐसे सास ससुर जो शारीरिक रूप से घर में, कार्यों में हाथ बंटाने योग्य हों और वे अपना कोई व्यक्तित्व न रखते हों, बहुएं कामकाजी हो तभी साथ रखना पंसद करती है। अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले माता पिता की भावनाओं को पुत्रवधू एवं पुत्र के व्यवहार से कभी कभी अत्यधिक ठेस पहुचती है और वह शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक तनाव से भी ग्रस्त रहने लगते है। सफलता और सुख पा कर बच्चे भूल जाते है कि यह वही माता पिता है जिन्होनें अपने आराम की कोई चिन्ता न कर हमें इस योग्य बनाया। वर्षों पूर्व की बात है मेरे पिता के मित्र एक बीमा कंपनी में मैनेजर थे उनके पास एक वृद्ध दंपति आए जिनकी 30 वर्ष से अधिक की पुत्री पैसे के अभाव में कुंवारी बैठी थी जबकि उनका बडा पुत्र सेना में

मेजर था और दूसरा भी किसी प्राईवेट फर्म में अच्छी नौकरी पर था। पर दोनो से कोई पिता की इस समस्या को हल करने की स्थिति में नहीं था। कारण आज के यह कथित आधुनिक परिवारों का अपना एक ऐसा सामाजिक स्तर है जिससे जुडे रहना अपने सामाजिक स्तर को बनाए रखना और इस प्रकार अनेकों अनावश्यक खर्चे करते रहना उनकी नियति बन गई है पिता को साधारण सी पेशन मिलती थी बेटे उन्हें कोई नियमित आर्थिक सहायता भी नहीं देते थे। ऐसी स्थिति में उन माता पिता को अपने अफसर बेटों से अपनी समस्या के हल की कोई आशा नहीं रह गई थी। चमक दमक और सुख सुविधा आज के जीवन मूल्य बन चुके है अतः स्वयं शान से रहने वाले बच्चे यह सोचते तक नहीं कि जिनके प्यार और प्रयासों के कारण आज वह इस योग्य बने है, वह कैसे जीवन बिता रहे है, और उनकी क्या समस्याएं है।

वृद्ध जनों की समस्याओं के मूल कारण निम्न है –

1- संयुक्त परिवारों का विखडंन

पहले संयुक्त परिवार अधिक होते थे। परिवार की बागडोर वृद्ध जनों के हाथ होती थी। अहम् मसलों में उन्ही की सलाह व निर्णय मान्य होता था। शरीर से अशक्त होते हुए भी वे दरवाजे में पडे रह कर घर के पहरेदार होते थे। उनकी निगाह छोटे बच्चों पर भी रहती थी। वे छोटे बच्चों की कहानियां सुनाते थे। इससे एक ओर बच्चों का मनोरंजन होता था, दूसरी ओर उनको नैतिक शिक्षा मिलती थी पूरे परिवार के सदस्य उनका सम्मान करते थे। उनकी आज्ञा मानते थे। उनकी देख भाल करना, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना सभी सदस्यों की सम्मिलित जिम्मेदारी

होती थीं। वृद्ध जन अपनी जिदंगी की शाम सुखपूर्वक बिताते थे। उन्हें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती थी।

आज संयुक्त परिवार टूट रहे है। एकाकी परिवार पनप रहे है।। वृद्ध जनों का महत्व कम होता जा रहा है यदि एक पिता के तीन पुत्र है तथा तीनों अपना अलग अलग परिवार बसाना चाहते है तो हर पुत्र माता पिता के निर्वाह की जिम्मेदारी दूसरे पर सौपना चाहता है। ऐसी स्थिति में माता पिता कभी कभी साझे की सम्पत्ति बन जाते है जिसके रख रखाव में प्रायः विवाद होता रहता है।

शहरों के लोग तो आधुनिकता की आंधी में फॅसे ही है, गावों के लोग भी इसकी परिधि में आते जा रहे हैं अब एकाकी परिवार आधुनिक स्वेच्छाधारी जीवन बिताने की ललक रखते है। वृद्ध जनों के परम्परावादी विचार आधुनिक जीवन शैली अपनाने के मार्ग में रोड़ा समझे जाने लगे है। दूरदर्शन में देर रात की फिल्म देखना, पार्टियों में आना जाना नए नए फैशन अपनाना आदि ऐसे प्रचलन है जो वृद्ध जनों को रास नहीं आते अतः युवा पीढी वृद्ध जनों को दूर रखना चाहती है।

आज हर परिवार बढती हुई मंहगाई से दबा हुआ है। साधारण परिवार को अपनी गृहस्थी चलाना और बच्चों को पढाना लिखाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात में अनुत्पादक वृद्ध जनों को एक अनावश्यक बोझ के रूप में देखा जाने लगा है फलस्वस्वरूप उन्हें पराश्रित स्थिति में उपेक्षित जीवन जीने को विवश होना पडता है।

आज समाज में पाश्चात्य सम्यता के प्रभाव के कारण नैतिकता का पतन होता जा रहा है जिन वृद्ध जनों ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमें बडा किया, हमारी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, उनकी समुचित देखभाल करना, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए परन्तु नैतिकता के पतन के कारण समाज में वृद्धजनों की सेवा सुश्रषा के भाव तिरोहित होते जा रहे है।

वृद्धों की समस्याओं का निराकरण

किसी भी समस्या का निराकरण मुश्किल नहीं है, आवश्यकता है केवल सकारात्मक सोच की। युवा जन वृद्ध जनों को आर्थिक बोझ न समझें। समाज के हर व्यक्ति को पितृ देवो भव मातृ देवों भव का सिद्धांत अपनाना चाहिए। वृद्ध जनों की सेवा करना हरेक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। इस कर्तव्य के पालन से बचा नहीं जा सकता। आज हर कोई श्रवण कुमार को इसलिए जानता है क्योकि उसने सच्चे भाव से अपने माता–पिता की सेवा की थी, इतिहास में राजा ययाति, अर्जुन, राम जैसे अनेक महापुरूष हुए है जिनकी पितृ भक्ति आज भी याद की जाती हैं इन महापुरूषों ने अपने पितृ जनों के प्रति जो भाव दिखाए, वे आज की युवा पीढी के लिए अनुकरणीय है। वृद्ध जनों की उपेक्षा करके एक तरफ हम अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित होते हैं, दूसरी तरफ उनके जीवन की सुरक्षा का हक छीनते हैं। ये सम्य समाज के लक्षण नहीं है।

वृद्ध जनों का हमारे ऊपर बहुत एहसान है। हम आज जो कुछ बने है उसके पीछे वृद्ध जनों का अमूल्य योगदान है। उनकी भरपूर सेवा करके ही उनके योगदान के ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। अतः हमारा परम कर्तव्य है कि हम वृद्ध जनों को उचित सम्मान देते

हुए यथा संभव यथा शक्ति उनकी हर आवश्यकता पूरी करने की कोशिश करें, हमारी कोशिश यही हो, कि हमारे वृद्ध जन अभावों, उपेक्षा व तिरस्कार का जीवन न जिएं उन्हें हर शाम, हर सुबह सुहानी लगें।

जीवन के हर मोड पर नई परिस्थितियां बनती है। वृद्धावस्था भी जीवन कम के प्रवाह में एक नया मोड़ है। नई परिस्थितियों के साथ ताल मेल बैठा कर जीवन बिताने में ही सुख है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है समाज में भी सहज परिवर्तन होते रहते है प्रत्येक व्यक्ति के लिए नई परिस्थितियों के साथ अपने को ढ़ालना ही कल्याणकारी होता हैं वृद्ध जनों को भी समाज में आए नए परिवर्तनों के साथ अपने को ढ़ाल लेना चाहिए इस प्रकिया में कुछ पुराना छोड़ना पड़ेगा और कुछ नया अपनाना पड़ेगा वृद्ध जनों को चाहिए कि वे युवा पीढ़ी के कामकाज व तौर तरीकों में हस्तक्षेप न करें हर बात में मीनमेख न करें ।

बुढापा जीवन का विश्रान्तिकाल है घर परिवार के उलझनों में दिमाग खपाना अनावश्यक है। परिवार की जिम्मेदारी बेटे बहुँओं पर छोड़ कर तनाव रहित जीवन जिएं पुत्रों को अपना अनुभव व ज्ञान तभी दें जब वे उसकी आवश्यकता महसूस करें। अपने सामर्थ के अनुसार घर ग्रहस्थी के छोटे मोटे काम करते रहें। इससे एक ओर शरीर का व्यायाम होगा दूसरी ओर घर के लोग भी प्रसन्न रहेंगे।

अकेलापन और मानसिक तनाव

अकेलेपन का भाव वृद्धावस्था का सबसे बडा अभिशाप है। याददाश्त कमजोर हो जाने तथा इंद्रियों के दुर्बल पड जाने से वृद्ध व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। साथ ही शारीरिक बीमारियों तथा विकारों के कारण भी तनाव और निराशा घर करने लगती हैं इससे परिजन तथा दूसरे मिलने जुलने वाले लोग उनसे कतराने लगते है। बडे बूढों के पास कोई खास काम नहीं होता, उनके पास खाली समय बहुत रहता है जबकि अन्य लोग अपने काम धंधों और शौकों में व्यस्त रहते हैं और उनके पास बड़े बूढों के पास बैठने या उनसे बातचीत करने की न तो फुर्सत होती और न ही रूचि जिन वृद्धजनों के पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी होती है उनम अकेलेपन का भाव अधिक गहरा होता है। ऐसे लोग अपना दुखः सुख किसी के साथ बॉट नहीं सकते और न ही अंतरंगता महसूस कर सकते है। इस खालीपन के कोढ में खाज का काम करती है शारीरिक रोगो से पैदा हुई पीडा तथा सगे संबंधियों की उपेक्षा जो लोग उच्च पदों से रिटायर होते है उनके आसपास चक्कर लगाने वाले व्यक्ति ही उन्हे पहचानने से जब इंकार करने लगते है अथवा उन्हे देख कर रास्ता बदल लेते है तो उनके मन पर छुरिया चलने लगती है और उनमें हताशा घर कर लेती है। आत्म सम्मान पर चोट, अकेलापन, उपेक्षा और हताशा के फलस्वरूप वे मानसिक तनाव तथा अन्य मनोवैज्ञानिक रोगों का शिकार हो जाते है पिछले दिनों गुजरात में एक स्वयंसेवी संस्था ने बढे बुढों में मानसिक विकारों के संबंध में एक सर्वेक्षण किया। उसमें यह तथ्य सामने आया कि 88 प्रतिशत वृद्धजन मानसिक विकारों से पीड़ित थे। इसके मुख्य कारण है तनाव, मौत का भय, परनिर्भरता, अकेलेपन और बेबसी का एहसास, डिप्रेशन, व्यर्थता बोध, सनक, चितां आदि। इनमें सबसे अधिक यानी 80 प्रतिशत बडे बूढे मानसिक तनाव से 52 प्रतिशत हताशा, से 71 प्रतिशत पर निर्भरता, से और 75 प्रतिशत मौत के भय के कारण चिंतित पाए गए इन स्थितियों के चलते वृद्धजनों को कई गंभीर मानसिक रोग हो जाते हैं जिनका इलाज करना

आवश्यक होता है। ये रोग है पूर्ण भ्रम की स्थिति, हताशा विक्षिप्तावस्था, अलजीमर्स रोग आदि। अधिक मानसिक तनाव से उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, पक्षाघात, ब्रेन हैमरेज, माईग्रेन, दमा, स्पोडिलाइटिस, अल्सर जैसे रोग भी पैदा होते है। यों तो तनाव के कारण ये सभी रोग हर उम्र के व्यक्ति को हो सकते है परतु वृद्धावस्था में इनके होने की संभावना बढ़ जाती है।

हमारे देश में बड़े बूढों को विशेष सम्मान तथा आदर देने की परंपरा रही है जिससे विकसित देशों के समान उन्हें अकेलेपन और तनाव का शिकार न हीं होना पडता। परंतु शहरीकरण तथा आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में तेजी से आ रहे बदलाव के कारण हमारे परंपरागत मूल्य शिथिल होते जा रहे है जिसके फलस्वरूप वृद्धजनों की मानसिक परेशानियां बढती जा रही है अतः अपनी जनसंख्या के बहुत बडे भाग को अकेलेपन और मानसिक रूगणता से बचाने के लिए सभी स्तरों पर सतर्कता और सकियता बरतने की आवश्यकता हैं । सबसे पहले पारिवारिक स्तर पर प्रयास करने होगे । हमारे देश में आज भी परिवार, समाज की बुनियादी इकाई है। यदि घर के लोग इस बात का ध्यान रखें कि बड़ी उम्र के लोगो में मानसिक विकास पैदा होना स्वाभाविक प्रकिया है और उसी के अनुरूप उनके साथ आचरण करें तो वृद्धजनों को बहुत से मानसिक कष्टों से छुटकारा मिल सकता है और उनका तनाव रोगों में बदलने से बच सकता है। इसके अलावा जब भी घर के किसी बुजुर्ग में किसी तरह के मानसिक विकार के लक्ष्य दिखाई दे तो तुरन्त इन्हें डाक्टर या मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए जो वृद्धजन शारीरिक दृष्टि से सकिय है उन्हे समय समय पर यह समझाया जा सकता है कि वे स्वयं डाक्टर या मनोचिकित्सक से अपनी जांच कराते रहें वैसे यह काम इतना आसान नहीं है क्योकिं हामरे समाज में आज भी मानसिक विकारों को छिपाने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

और मनोचिकित्सक की सलाह लेना सामाजिक कलंक माना जाता है। समझदार और जिम्मेदार लोगों को समाज की इस सोच को बदलना होगा इस प्रवृत्ति के कारण बहुत से वृद्धजन तभी डाक्टरों के पास जाते है जब उनके मानसिक विकार, शारीरिक रोगों का रूप ले लेते है।

शारीरिक रोगों की जांच व इलाज की भांति मानसिक रोगों की जांच व इलाज के काम में भी स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

क्षेत्र के वृद्धजनों के कार्ड बनाकर नियमित रूप से हर सप्ताह, पखवाड़े या महीने के बाद उनकी जांच करके उन्हें आवश्यक परामर्श दिया जा सकता है। जिससे उनके मानसिक विकार काबू में रहे।

सरकारी स्तर पर बच्चों, महिलाओं, युवकों आदि के विकास व कल्याण के लिए जिस तरह की परियोजनाएं और कार्यक्रम चलाये जाते है, वैसे वृद्धजनों के लिए चलाये जाने चाहिए। इनमें वृद्धगृह तथा दिवा रक्षा केंद्र खोलने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इन आश्रमनुमा संस्थाओं में वृद्धजन आपस में मिलकर एक दूसरे का सुख दुख बांट सकते है और अपने मन का बोझ हल्का कर सकते है यही नहीं वो कुछ काम–धंधा करके अपनी आमदनी भी बढा सकते है। वृद्धजनों की देखभाल कर रही कुछ संस्थाओं ने इस तरह के केन्द्र खोले है जनसंचार माध्यमों से लोगों में यह चेतना पैदा की जाये कि मानसिक रूग्णता भी शारीरिक रूग्णता की तरह स्वभाविक प्रक्रिया है और इससे शर्मिदा होने की जरूरत नहीं है। इससे घर वाले तथा स्वंय वृद्धजन मानसिक रोगों के इलाज के लिए आगे आयेगें। मानसिक तनावों से मुक्ति पाने के उपाय बताने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों

का आयोजन किया जा सकता है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं इस तरह की कार्यशालाओं का सफल आयोजन किया है। पश्चिमी देशों में बडी संख्या में लोग वृद्धगृहों तथा अस्पतालों में इलाज करा रहे उन वृद्धजनों के साथ समय बिताते है जिनके सगे सम्बन्धी उन्हे पूंछनें नहीं आते। यह वास्तव में बडे पुण्य का काम है इससे बड़े बूढ़ों का अकेलापन दूर करने में काफी मदद मिलती है। हमारे देश में भी इस तरह की प्रवृत्ति को बढावा मिलना चाहिए। सरकारी एजेंसियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा वृद्धगृहों को बडे बूढों के मनोरंजन पर ध्यान देना चाहिए। इनमें गीत–संगीत के कार्यक्रम, इनडोर खेल तथा मेले आदि शामिल है इनसे वृद्धजनों को तनाव–मुक्ति का अवसर मिलता है।

वृद्ध कल्याण कार्यक्रम

हम प्रतिवर्ष पहली अक्टूबर को वृद्ध दिवस मनाते है। वृद्ध दिवस मनाना तभी सार्थक है जब हम वृद्ध जनों को उचित सम्मान दें, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें उनको किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न होने दें। वर्ष 1991 अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया है हम नए वर्ष के शुभारंभ के आधार पर हमें वृद्ध जनों को सुरक्षा व संरक्षा प्रदान करने का संकल्प लेना चाहिए।

कई देशों में वृद्ध जनों के कल्याणार्थ कार्यक्रम चल रहे है। अमेरिका, चीन, हांगकांग, कीनिया, अर्जेटीना, थाईलैड, इस्राइल, नेपाल उत्तरी कोरिया आदि देश वृद्ध जनों की समस्याओं के निराकरण के कार्यक्रम चलाए है। भारत में भी वृद्ध आश्रम, वृद्ध कल्याण केन्द्र देख भाल गृह आदि स्थापित किए गए है। जिनका उद्देश्य वृद्धजनों की देखभाल करना है। केन्द्रीय व राज्य सरकारे स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक अनुदान दे कर वृद्ध कल्याण कार्यक्रम कियान्वित करा रही

है। इस हेतु आठवीं योजना में 13 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए थे। सरकार निराश्रित वृद्ध जनों को वृद्धावस्था पेंशन भी देती है। रेल विभाग वृद्धजनों को वरिष्ठ नागरिक की सम्मानजनक संज्ञा दे कर यात्री भाडे में छूट देता है। ये सारे कल्याण कार्यक्रम निराश्रित वृद्ध जनों के लिए तो उचित लगते हैं पर यदि भरे पूरे परिवार वाले वृद्ध जन अपनी देख भाल के लिए वृद्ध कल्याण आश्रम की शरण लें , अपने को निराश्रित घोषित कर वृद्धावस्था पेंशन का हकदार बनें तो यह हमारे लिए कलंक है। हमें इस कलंक को मिटाना चाहिए ।

इस सबसे यह तो स्पष्ट ही है कि आज की पीढ़ी न तो व्यवहारिक रूप में ही वृद्धजनों की देखभाल करने की स्थिति में है, और न भावनात्मक लगाव ही शेष रह गया है सेवा, श्रद्धा, सम्मान जैसे शब्द तो प्रायः शब्दकोश की वस्तु बन कर रह गए है। ऐसी स्थिति में समाज और सरकार दोनों ही को इस समस्या का हल खोजना होगा। आज अत्यंत आवश्यकता है ऐसे आवास गृहों की, जहां वृद्ध दंपति अथवा अकेले वृद्ध वृद्धाएं अपनी अपनी स्थिति के अनुकूल स्थान पा सकें। यह आवास गृह मात्र संग्रहालय जैसे न हो। अपितु वृद्धों के स्वास्थ्य, शारीरिक स्थिति और उनकी रूचियों केअनुसार कुछ समाज सेवा आदि के कार्यक्रमों का आकार आयु के अनुरूप हो कुछ मनोरंजन के साधन भी हों, जैसे रेडियो, टेलीविजन, लाइब्रेरी आदि की सुविधाएं हो, उनके साथ वह अपना समय अच्छी तरह काट सकें। जिनको स्वजनों से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिल सकती अथवा कोई पेशंन आदि भी नहीं मिलती है, उनकी देखभाल का प्रबंध समाज सेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्ति कर एवं सरकारी अनुदान आदि से चलाया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्थाएं होना आज समय की मांग है।

वृद्धाश्रमों में सभी आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति की जाती हैं खाने पीने से ले कर इलाज के लिए दवा, मनोरंजन का साधन, मन बहलाव के लिए स्कूली बच्चे, व मानसिक शांति के लिए प्रार्थना आयोजित की जाती है। लेकिन इन सब साधनों के बाबजूद उनके मन में असंतोष है घुटन है, नियमित दिनचर्या का शिकंजा है, अपनापन का अभाव है। उन्हें चाहिए अपने संतान का साथ, उन्हें चाहिए स्वतंत्र जीवन, जीने का परिवेश, उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी बात सुने और उस पर अमल करें। आखिर इन सब अनुत्तरित सवालों का जबाब कौन देगा? उनकी समस्याओं का निदान कौन करेगा? इन्ही बातों को लेकर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रख्यात समाजशास्त्री योगेंन्द्र सिहं कुछ इस प्रकार से समस्याओं को उठाते हुए उसका निराकरण बताते है। वे बताते है कि त्रिस्तरीय समस्याएं है, पहला वह वर्ग जो साधनहीन है, दूसरा वह जो मध्यमवर्गीय है और तीसरा समृद्ध वर्ग से है । वे कहते है कि कुछ लोग ऐसे है जो खान पान से लेकर स्वास्थ्य व शिक्षा सभी मामलों में कमजोर है। जो दैनिक मजदूरी पर जीते है उनकी समस्या सबसे भयावह है। ऐसे परिवारों के बूढों के लिए स्वयंसेवी संस्था व ग्रामीण सामुदायिक संस्था को आगे आना चाहिए। वे कहते है कि इनकी भावनात्मक सुरक्षा तो दूर की बात है पहले जीने के लिए पहल करने वाला चाहिए। उनका मानना है कि वृद्धों का भी एक संगठन होना चाहिए जो परिवार व संस्थाओं पर दबाब डाले कि उन्हें उचित सम्मान व संरक्षण मिले। मध्यवर्गीय परिवार के नौकरी पेशा सदस्यों को इनकम टैक्स में छूट मिलना चाहिए जिससे बच्चों के लालन पालन के साथ वृद्धों की भी सही देखभाल हो सके। सरकार को चाहिए कि नौकरी पेशा लोगों को वृद्धों की देखभाल के लिए अलग से कुछ प्रोत्साहन राशि दे। साथ ही ऐसे नियम बनाने चाहिए कि सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति अपने वेतन का कुछ भाग वृद्धों के उपर खर्च करने को बाध्य हो। तीसरा बुजुर्ग समृद्ध वर्ग से होते है जो परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने को कतई राजी नहीं होते है। वे खुद की जिंदगी जिस ऐशो आराम व स्वतंत्रता सेजिए होते वे वैसी ही जिदगी जीने के लिए वृद्धपन में भी चाहते है। उनमें व्यक्तिवादिता हावी रहती है। यूरोप के देशों में ऐसे

व्यक्ति काटते है। इसमें सारी सुविधाएं मौजूद होती है। वे कहते है कि इस प्रकार के लागो के लिए होटल के प्रकार की व्यवस्था होती है। पैसे पहले ही जमा करा लिए जाते है उनका मानना है कि भारत में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की संस्था व्यावसायिक संस्था न बन जाए इसके लिए बुजुर्गों के संरक्षक व सरकारी अधिकारी को समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए उनका मानना है कि वृद्धों के संरक्षण व देखभाल के लिए परिवारनुमा या समाज सदृश्य एक ऐसी संस्था विकसित करने की आवश्यकता है जहाँ उन्हें परिवार से दूर रहने का दुख न हो।

वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं पर विचार करते समय हमें इस बात को विशेष रूप से दृष्टि में रखना चाहिए कि उनके पास अनुभवों का एक बडा खजाना है । वृद्धावस्था अनुभवों की एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे आवश्यकता के अनुसार कभी भी खोल कर पढा जा सकता है और लाभ अर्जित किया जा सकता है। मगर इसके लिए हमें वृद्ध व्यक्तियों को पर्याप्त सम्मान देना होगा, तभी वे हमें अपने अनुभवों से लाभान्वित कर सकेंगे। वृद्ध व्यक्तियों को दूर दराज होस्टलों में रखकर अपने से अलग कर देने से, उनके अनुभवों का लाभ उठाने की संभावना कम हो जाएगी ।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग सदन बनाने केस्थान पर सामान्य सदनों में ही, उनके लिए स्थान सुरक्षित रख देना अधिक उपयोगी रहेगा। उनके लिए विशेष क्लबों की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए, जहॉ पर उनकी क्षमता और रूचि के अनुसार खेल आदि की व्यवस्था हो। वृद्धों की नियमित रूप से चलने वाली कुछ अध्ययन गोष्ठियों का भी प्रबंध किया जाना चाहिए, जिनमें वे विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करे अपनी सिफारिश संबंधित अधिकारियों के पास भेज सकें। वृद्ध व्यक्तियों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार अध्यापन, समाज सेवा, चित्रकारी

बुनाई और कढ़ाई आदि कार्यो का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, जिससे जीवन के प्रति उनका आकर्षण बना रहे और उपने लिए वे कुछ अतिरिक्त धन भी अर्जित कर सकें।

कुछ कम परिश्रम वाले कार्य केवल वृद्ध व्यक्तियों के लिए ही आरक्षित रखे जा सकते है। मसलन छोटे बच्चो को स्कूल लाने ले जाने का कार्य दूध के डिपों की व्यवस्था, गली मोहल्लों के छोटे वाचनालयों की देखभाल, घर पर बच्चों की देखभाल आदि। बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए उचित पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनके स्वास्थ्य की नियमित देखभाल के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों में इस बात का प्रचार भी होना चाहिए कि अपना शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उन्हे कैसे रहना चाहिए, और क्या खाना चाहिए। इस प्रकार की समाज सेवा संस्थाएं भी बनाई जानी चाहिए जो वृद्ध व्यक्तियों को उनकी दैनिक समस्याओं के बारे में आवश्यक परामर्श दें सकें ।

परिशिष्ट

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Abelson , R. P. & Rosenberg, M.J. - 1950. Symbolic Psychologic a model of attitudinal cognition. Behavioral science

Alloprt, Gorden, W. - 1957 . Personality. New york Henry Holt na Company.

Anderaon, T.W. - 1972 An Introduction to Miltiveriate statistical Analyeis. New Delhi, Wilay Dastern pvt. Ltd.

Bakker, C.B. and Dightman, C.R. - 1964. Psychological factors in fertility control. Fertility and sterility

Blake, R.L. Insko, C.A. Cialdini, R.B. & Chaikan A.L. - 1969, Belief and attitudes about contraception among the poor. Caroling Population Centre, Monograph series .

Cattell, R.B. - 1950 Personality a systematic, Theoretical and Factual study, New York MC Graw Hill Book Company

Cattell, R.B. - 1952 Factor Analys is, New york,

Cattell, R.B. - 1957. Personality and Motivation Structure and Meqsurement. New York, Harcourt, Brace and world

Child O. - 1975 Essentials of Factor Analysis. London. Holt, Rinehart ad Winston.

Cooley, W.W. and Hohnes, P.R. - 1971 Multivariate Data Analysis New York, Hohn wiley and sons.

De Charms R. - 1968 Personal Cansation the internal effective determinats of Behaviour, New York Academic press.

Fox David J. - 1969 The Research process in Education, New york. Holt, Rinchart wand winaton,

Hall, C.S. and Lindzey, G. - 1957 Theories of Personality. New York. John wiley & Sons.

Hoffman L.W. and wyatt, F. - 1960 Social Change and Motivations for having larger families. Some theoretical Considerations, Merrill Palmer Cuarterly 6,p.p.235-244 .

Mac Donal Jr. A.P. - 1970 Internal External locus of Control and the proctice of birth control Psychological Reports

Young, P.V. - 1977 " The Scientific Social Surveya and Research. Printice Hall Publication, New Delhi etc.

Back, K.W., - 1976. Personal Characteristics and Social Behaviour .New York.

Bhatia H.S. - 1983. Aging and Society: A Sociological Study of the Retired Public Servants. Udaipur.

Bose A.B. & K.D. Gangrade, - 1988 Aging in India : New Delhi.

Carol, H.Meyer, - 1975 Social Work with the Aging. New York .

Chandra Dave - Some psycho-social Aspects of Aging . Tirupati.

Desai K.C. - 1982 Aging in India. Bombay

Desai, K.G.&R.D. Naik, - 1970 Problems of the Retired People in Greater Bombay. Bombay

D' Souza V.S. - 1969 Changes in Social Structure and changing Roles of Other People in India . Washington.

Homban, David - 1978 Social Challenge of Aging. London

Kilty, K.M.&A Feld, - 1976 Attitudes toward Aging and the Needs of other People, Journal of Gerontology.

Mahajan. A - 1987 Problems of the Aged in unorganized Sector . Delhi.

Nair, T. Krishnan - 1980 Other People in Rural Tamil Nadu, Madras.

Raghani, V. and N.K. Singhi - 1970 " A Survery of Problems of Retired Persons" Jaipur.

Raj, B.and B.G. Prasad, - 1971 " A Study of Rural Aged Persons in Social Profile. Bombay.

Bamamurti, P.V. - Problems of Aging in Industry.

Sati, P.M. - 1988 Retired and Aging People . Delhi.

Sharma, M.L. & T.M. Dak, - 1987 Aging in India . Delhi

Srivastava, R.S. - 1983. Aged and the Society. New Delhi.

कर्वे , इरावती – भारत में नातेदारी व्यवस्था

मुखर्जी , आर.एन. – सामाजिक शोध एवं साख्यिकी

अग्रवाल जी. के. – समाजशास्त्र (आगरा)

❁❁❁

REPORTS

1- WORLD DEVELOPMENT REPORT OXPORD UNIVERSITY 1987

2- REPORT OF THE STUDY TEAM ON OVER DUES OF COOPERALIVE CREDIT SUIETIES RBT 1974

3- उत्तर प्रदेश वार्षिकी	–	सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग उ. प्र. लखनऊ
वर्ष 1993 – 94	–	पूर्वोक्त
1994 – 95	–	पूर्वोक्त
1995 – 96	–	पूर्वोक्त
1996 – 97	–	पूर्वोक्त
4– सांख्यकीय पत्रिका	–	जनपद झॉसी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी झॉसी
वर्ष – 1994 – 95	–	पूर्वोक्त
195 – 96	–	पूर्वोक्त
1996 – 97	–	पूर्वोक्त
5– जनगणना पुस्तिका	–	खण्ड I II III IV
वर्ष 1971	–	पूर्वोक्त
1981	–	पूर्वोक्त
1991	–	पूर्वोक्त
जनगणना झॉसी का गजेटियर	–	भारत सरकार का गजेटियर उ. प्र.

पत्र - पत्रिकाएं

1– योजना मासिक पत्रिका		– योजना भवन संसद मार्ग नई दिल्ली
वर्ष	1994	– सभी अेंक
	1995	– सभी अंक
	1996	– सभी अंक
	1997	– सभी अंक
	1998	– सभी अंक
	1999	
2– समाज कल्याण मासिक पत्रिका		– केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली
वर्ष	1994	– सभी अंक
	1995	– सभी अंक
	1996	– सभी अंक
	1997	– सभी अंक
	1998	– सभी अंक
3– इण्डिया टुडे साप्ताहिक पत्रिका		– लिविंग मीडिया इण्डिया लि0 नई दिल्ली
वर्ष	1994	– मई के सभी अंक
	1995	– फरवरी के दो अंक
	1996	– अप्रैल के तीन अंक
	1998	– नवम्बर के सभी अंक

1999 – जनवरी फरवरी के अंक

4– राष्ट्रीय सहारा दैनिक – लखनऊ संस्करण

5– अमर उजाला दैनिक – झांसी संस्करण

6– दैनिक जागरण दैनिक – झांसी संस्करण

7– हिन्दुस्तान दैनिक – लखनऊ संस्करण

फोटोग्राफी

गोपनीय
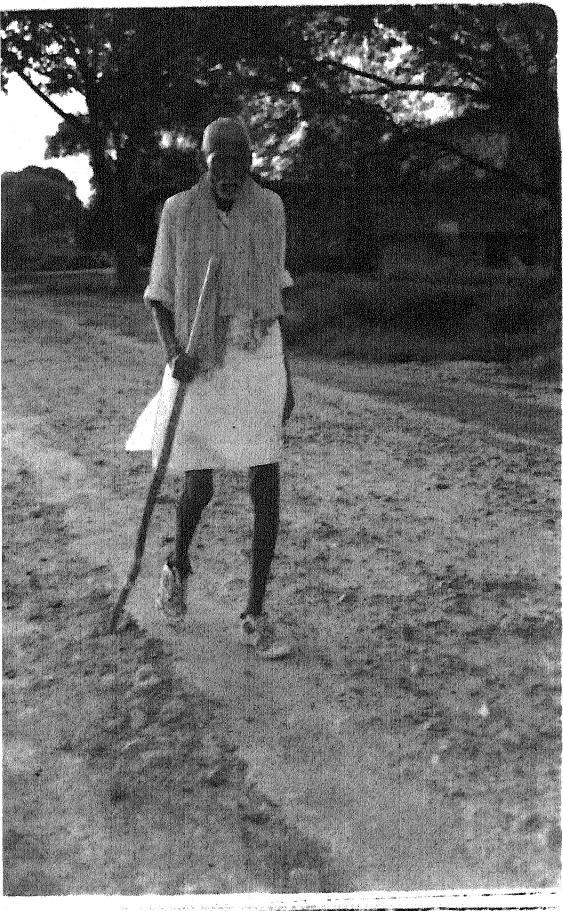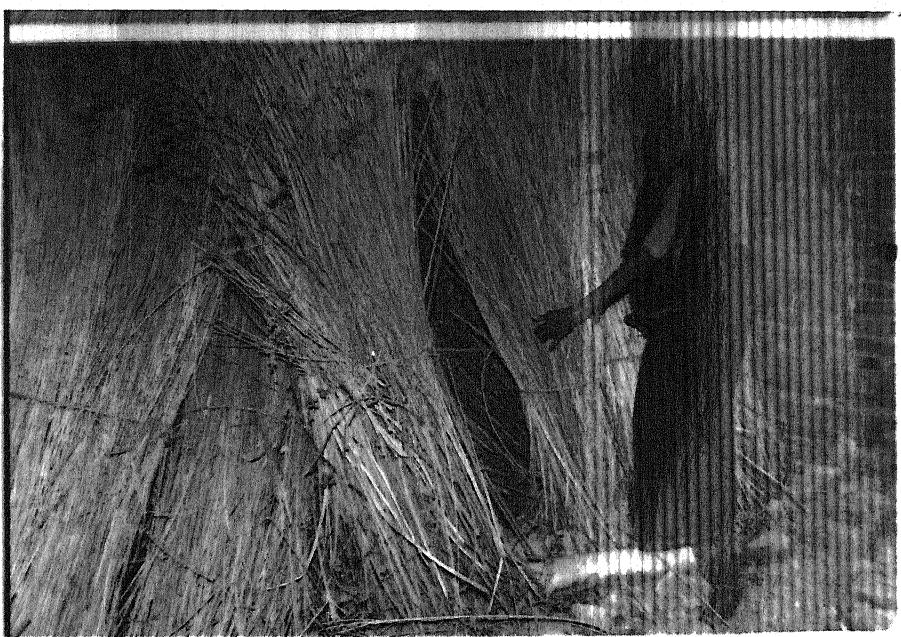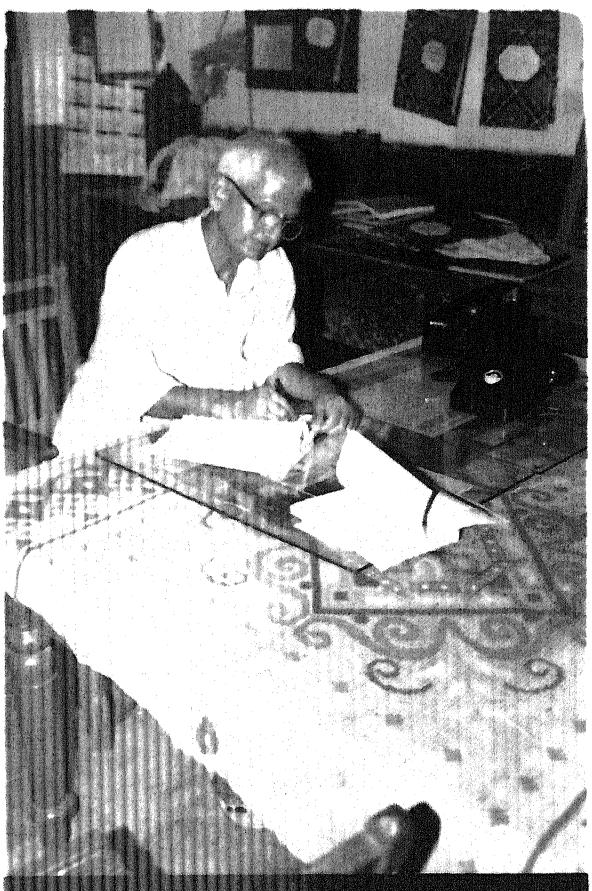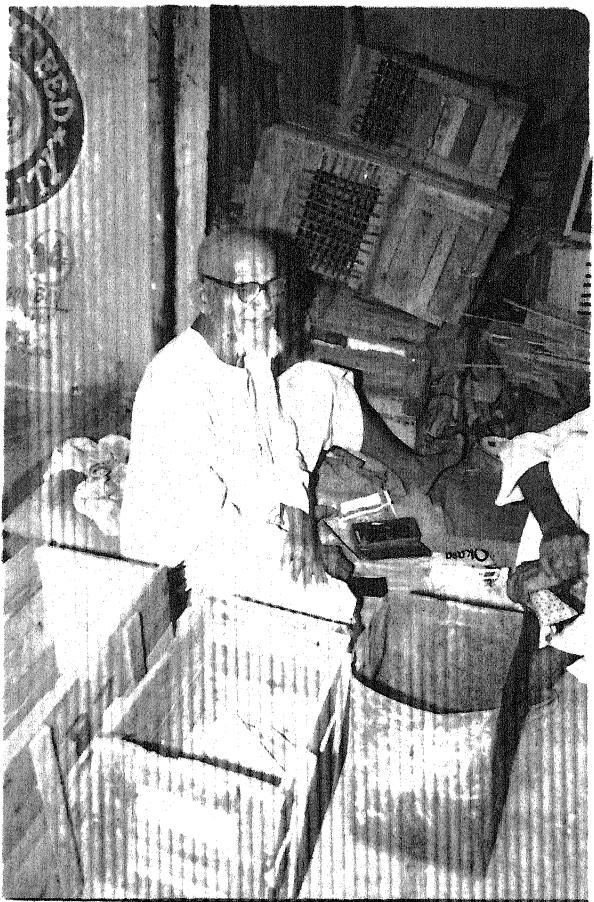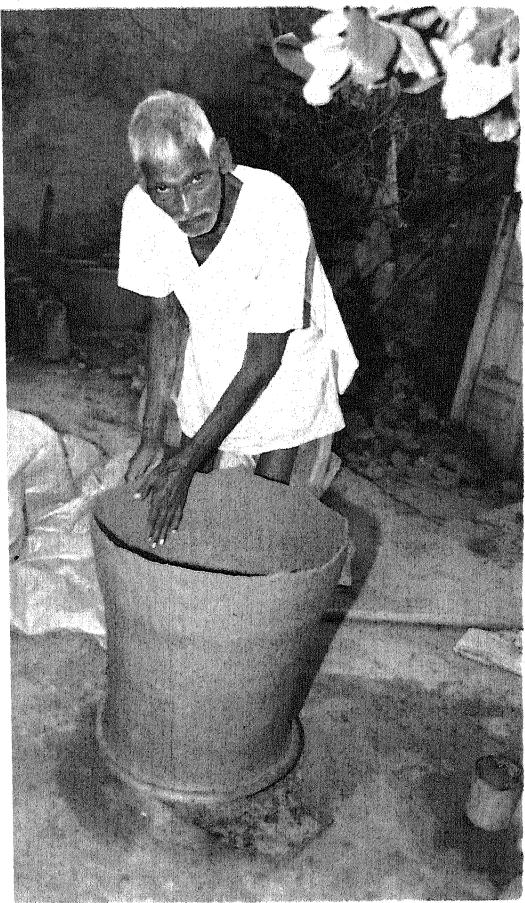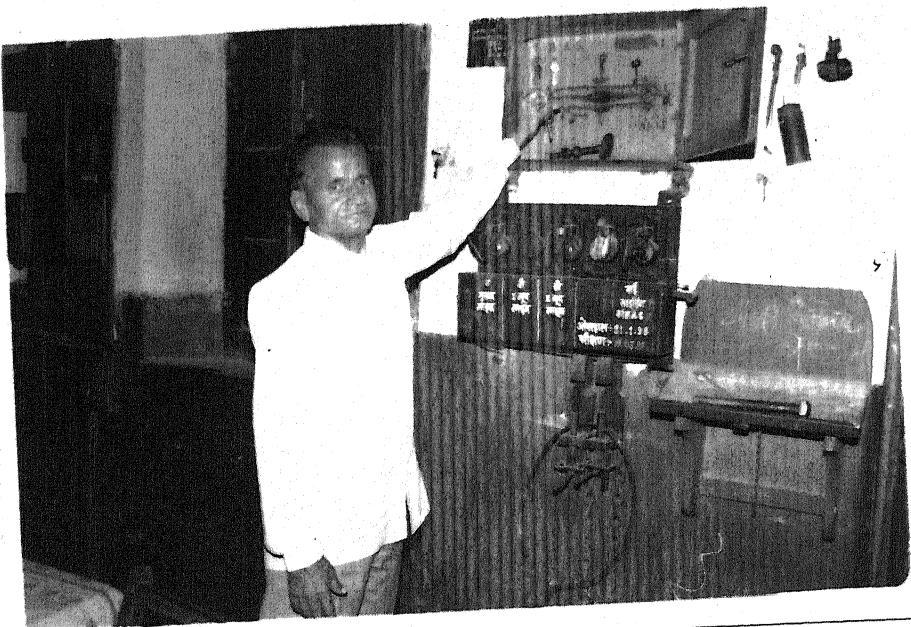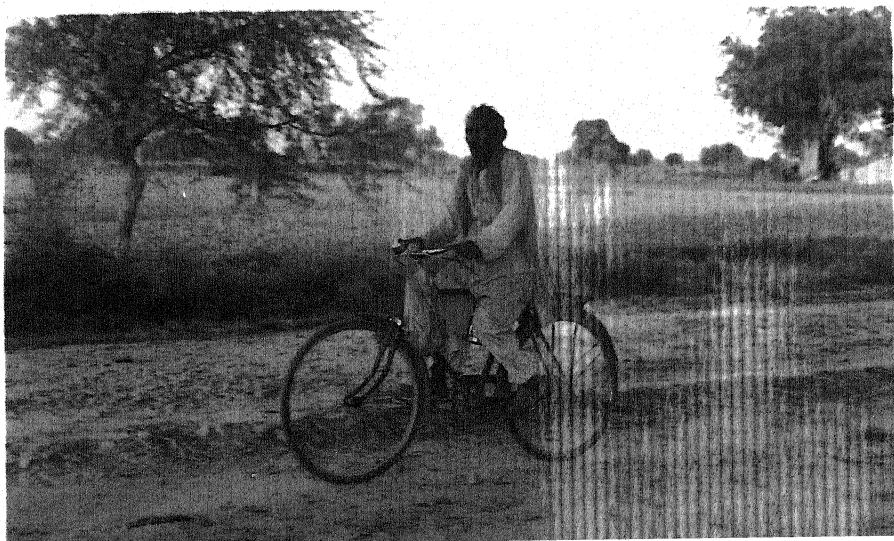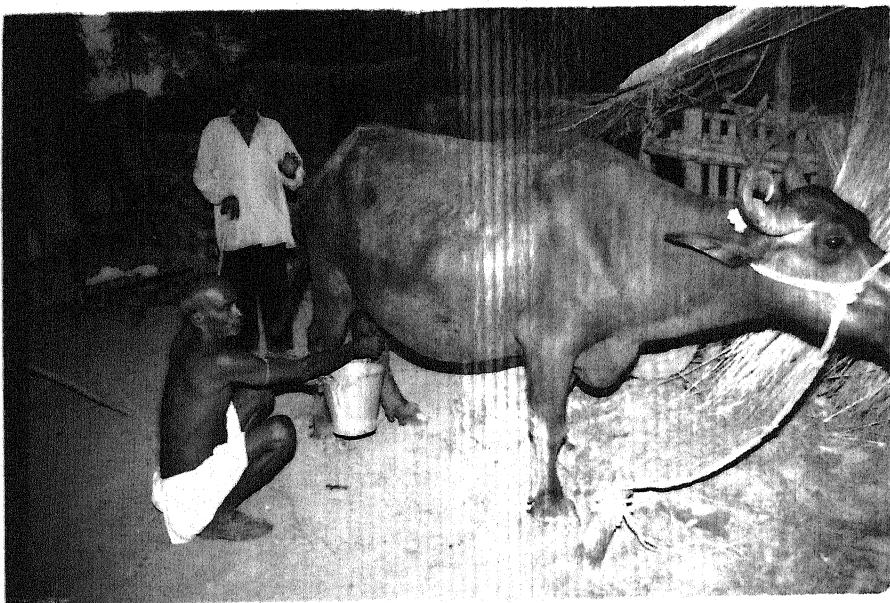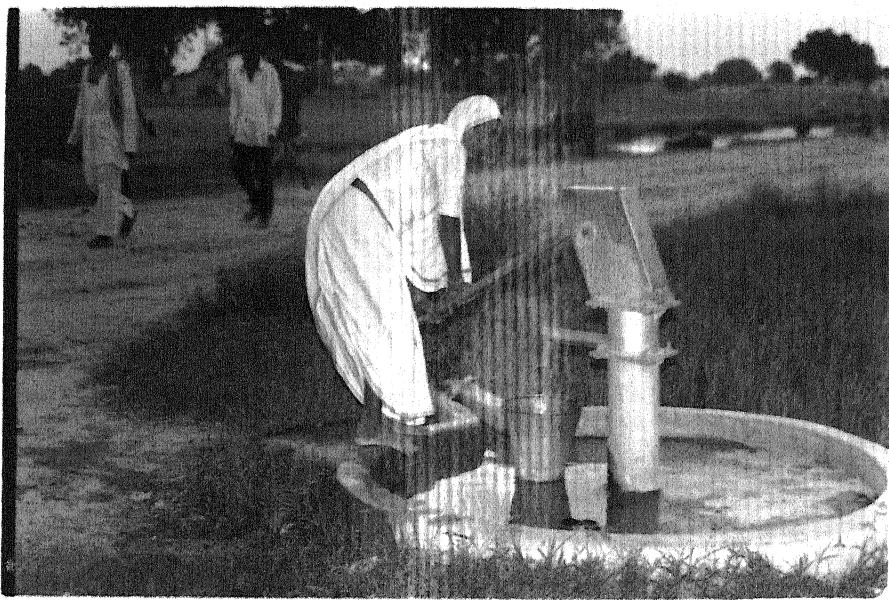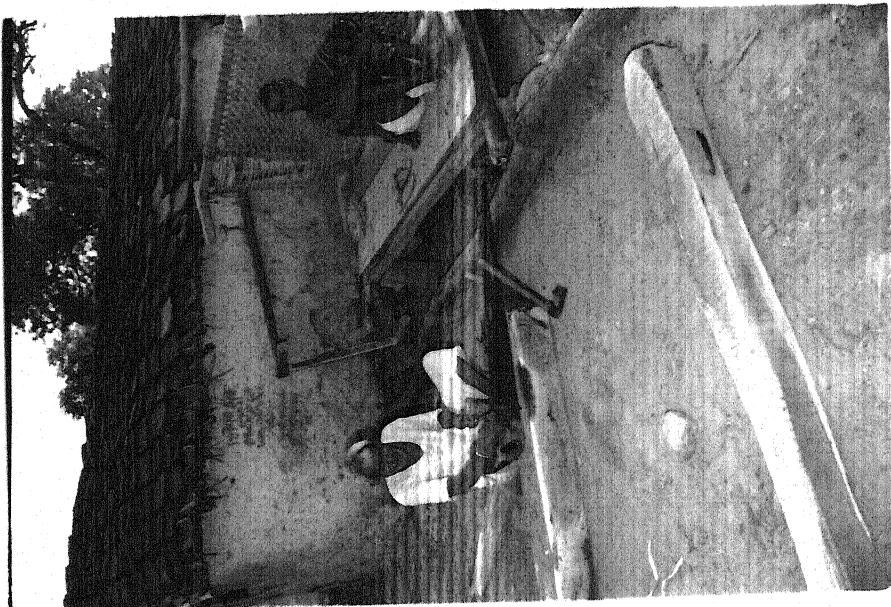
साक्षात्कार अनुसूची का प्रारूप

वृद्ध व्यक्तियों का पारिवारिक सामन्जस्य एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(बुन्देलखण्ड संभाग के झांसी जनपद के विशेष संदर्भ में)

शोधार्थिनी – श्रीमती विजयलक्ष्मी पाठक
समाजशास्त्र विभाग
आर्य कन्या महाविद्यालय झांसी ।

1. सामान्य सूचनायें :–

1.1– कम संख्या ....

1.2– उत्तरदाता का नाम ....

1.3– उत्तरदाता की जन्मतिथि ....

1.4– उत्तरदाता का धर्म ....

1.5– उत्तरदाता की जाति ....

1.6– उत्तरदाता की शैक्षणिक स्थिति – अशिक्षित/हा. स्कूल/इण्टर/स्नातक /परास्नातक

1.7–उत्तरदाता का वैवाहिक स्तर– विवाहित/अविवाहित/विधुर/विधवा /परित्यक्ति

1.8– उत्तरदाता का भाषा ज्ञान– हिन्दी/अग्रंजी/अन्यभाषा यदि कोई हो स्पष्ट उल्लेख कीजिए ।

2. वृद्ध व्यक्तियों का सामाजिक स्वरूप

2.1– परिवार किस प्रकार का है .... संयुक्त/केन्द्रीय

2.2– परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है ....

2.3– परिवार के सदस्यों का शैक्षणिक स्वरूप ....

कम संख्या	सदस्य का नाम	आयु	शैक्षणिक स्तर	सेवा का स्वरूप	आपसे सबंध

2.4– परिवार में भोजन व्यवस्था .... स्वतंत्र / मिश्रित

2.5– परिवार में भोजन का स्वरूप...... .... शाकाहारी / मांसाहारी / मिश्रित

2.6– परिवार में धार्मिक कियाओं का

अनुपालन किस प्रकार होता है :– वर्ष भर का विवरण

2.7– परिवार की सत्ता ....मातृ सत्तात्मक / पितृ सत्तात्मक

2.8– परिवार में पर्दा प्रथा विद्यमान है .... हां / नहीं

2.9– जादू / टोने आदि पर विश्वास करते है................................हां / नहीं

2.10– आकस्मिक आपत्ति में परिवार के सदस्य एकीकृत रूप में निराकरण के लिए तत्पर रहते है – हां नहीं

2.11– पारिवारिक समस्याओं के निराकरण के लिए महिलाओं के विचारों को उचित स्थान दिया जाता है .... हां / नहीं

2.12– पारिवारिक स्थिति से संतुष्ट है ....हां / नहीं / कुछ नहीं कह सकते है

3. आर्थिक अध्ययन :–

3.1– परिवार में आय के स्रोत्र – कृषि / सेवा / उद्योग / दुकानदारी / मिश्रित

3.2 परिवार के समस्त स्त्रोतों से प्राप्त मासिक आय

कम सख्या	आय का श्रोत	आय	समस्त श्रोतों से प्राप्त आय का कुल योग

3.3– परिवार में उपलब्ध सुविधायें का स्वरूप –

क– पत्र पत्रिकायें आदि .... हां/नहीं

ख– रेडियो .... हां/नहीं

ग– टी0वी0/वी0सी0आर0.... ..... हां/नहीं

घ– फ्रिज/कूलर .... हां/नहीं

ड.– स्कूटर/कार आदि .... हां/नहीं

3.4– आपको पेंशन मिलती है .... हां/नहीं

3.5– आपके द्वारा किये सेवाकाल में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों का विवरण

क– मकान निर्माण पर व्यय किया.... .... हां/नहीं

ख– कन्या विवाह पर खर्च किया.... .... हां/नहीं

ग– बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया'.... .... हां/नहीं

घ– आय द्वारा की गई आर्थिक बचत का स्वरूप पोस्टआफिस / बैंक / अन्य मद

4. राजनैतिक अध्ययन

4.1– क्या आप राजनैतिक गतिविधि में भाग लेते है .... हां / नही

4.2– आप किस राजनैतिक दल के समर्थक हैं– .... भाजपा / कॉग्रेस / सपा / बसपा / अन्य

4.3– वर्तमान राजनैतिक संरचना उचित है .... हां / नहीं

4.4– राष्ट्रीय विकास में राजनैतिक सहयोग

के प्रंसग में मत व्यक्त कीजिए ....

....

....

4.5– अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में अपने विचार व्यक्त कीजिए ....

4.6– साम्प्रदायिक उन्माद राजनैतिक प्रयासों द्वारा

समाप्त किये जा सकते है...... .... सहमत / असहमत / कुछ नहीं

4.7– वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं का निराकरण राजनैतिक प्रयासों द्वारा किया जा सकता है .... हां / नहीं

4.8– स्थानीय राजनैतिक दल वृद्ध व्यक्तियों को सम्मान देते है ...... हॉ / नहीं

5. पारिवारिक सामन्जस्य का अध्ययन

5.1– आप स्वतः का कार्य करने में सक्षम हैं..... .... हां / नहीं

5.2– आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं .... हॉ/नहीं

5.3– आपको प्राप्त होने वाली पेंशन का व्यय किन

मदों में होता है ....स्वयं के खर्च में/परिवार के खर्च में

5.4– आपकी दिनचर्या क्या है –

प्रातःकाल से प्रारम्भ कर रात्रि तक का विवरण

5.5– आप किस क्लब अथवा समाजसेवी संस्था के सदस्य है .... हां/नहीं

5.6– आर्थिक गतिविधियों में आप भाग लेते है .... हां/नहीं

5.7– पारिवारिक वैमनस्य विद्यमान है.. ... . हॉ/नहीं

5.8– पारिवारिक महिलाओं में कलह होता है .... हां/नहीं

5.9– पारिवारिक कलह में आपकी भूमिका

क्या रहती है .... सहज/उग्र/असाधारण/

प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं।

5.10– आपके प्रति परिवार के बच्चों

(अल्पायु) का लगाव .... उचित है/अधिक है/नहीं है

5.11– परिवार में सास बहू के झगडों का स्वरूप सामान्य/उग्र/अनियंत्रित /झगडा

उत्पन्न नहीं होता

5.12– आपके प्रति बहुओं का व्यवहार ....उचित/अनुचित नहीं है

5.13– आपके मतानुसार वृद्ध व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संवैधानिक संशोधन की

आवश्यकता है .... हां/नहीं

5.14– क्या स्थानीय प्रशासन आपकी समस्याओं को हल करने में सक्षम है ....

...... हां / नहीं

5.15– पारिवारिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए मित्रों अथवा

रिश्तेदारों की मदद की आवश्यकता पडती है .... हां / नहीं

5.16– पारिवारिक सामंजस्य में अन्य प्रकार का कोई

कठिनाई हो तो उसका उल्लेख कीजिए .... हां / नहीं

5.17– भारतवर्ष में वृद्ध व्यक्तियों की आकांक्षाओं के बारे में मुक्त विचारों का विवरण दीजिए

....

....

....

5.18– अन्य कोई सुझाव ....

....

....

धन्यवाद

***